राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतांत

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम सत्र १९६४ का ४३ वां दिवस [संख्या ३४

शुक्रवार, दिनांक, ३ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ६ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, गृह, खाद्य, सिंचाई एवं राजस्व—विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

अकाल राहत कार्य

८५१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील में अकाल राहत कार्य बहुत कम स्थानों पर खोले गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में अधिकांश गांवों में अकाल के कारण भुखमरी की स्थिति है ? अगर हां, तो सरकार सड़कों एवं तलाइयों का काम प्रारंभ करने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर तहसील में राहत कार्य तो काफी चल रहे हैं लेकिन उसकी मेरे पास विस्तृत सूचना हर एक काम की नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि यह क्वेश्चन आगे रख दिया जाय ।

प्रश्न संख्या ८५२

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५३

श्री संपत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५४

श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५५

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५६

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल

Page No. 2

राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री को सरकारी जमीन

८५७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन (टाउन प्लानिंग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री को एक सरकारी जमीन जो रामनिवास बाग के सामने मिर्जाइस्माइल रोड, जयपुर पर स्थित है, दी गई है ?

(२) यदि हां, तो इस जमीन का रकबा कितना दिया गया है और किन शर्तों पर ? इसके लिए क्या कोई दस्तावेज लिखा गया है ? यदि हां, तो दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) सरकार ने यह जमीन कौन से कानून और नियम के तहत दी है ? कानून और नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) इस जमीन की बाजारी कीमत आजकल के रेट के अनुसार क्या है ?

(५) इस जमीन को देने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) रकबा १.८७ एकड़ के। शर्तों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। दस्तावेज अभी नहीं लिखा गया।

(३) यह नजूल भूमि विज्ञप्ति संख्या एफ. ४ (३२) एल. एस. जी।५६, दिनांक १७-७-६१ के अनुसार दी गई है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) लगभग २,२५,००० रु०।

(५) वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के लिए दी गई है। यहां संग्रहालय भी बनेगा जिसमें राज्य के खनिज, औद्योगिक एवं वन पदार्थों का प्रदर्शन किया जायगा। एक सभा भवन भी होगा जिसका उपयोग पब्लिक भी कर सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आपने कण्डीशन्स दी हैं इन कण्डीशन्स में न तो इसमें कीमत ली हुई है न कोई रेन्ट ली हुई है तो क्या यह माना जाय कि इसका कोई रेन्ट मुकर्रर नहीं किया गया है या कोई भी कीमत नहीं ली गई है।

श्री परसराम मदेरणा : मार्केट प्राइस न लेकर फ्री ऑफ कास्ट यह लैंड अलॉट की गई है। सिर्फ एक रुपया माहवार नोमीनल रेन्ट ली जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जमीन जो दी गई है इसका डीड एग्जीक्यूट करने से पहले क्या यह सही है कि उसका कब्जा दे दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, यह सही है कि कब्जा उनको दे दिया गया है और डीड को हम लीगली एग्जामिन करवा रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कब्जा डीड एग्जीक्यूट होने से पहले नहीं दिया जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : पहले जिस वक्त सरकार ने डिसीजन लिया उस वक्त शर्त यह लगाई गई थी कि उनसे लिख कर ले लिया जायगा कि जब तक चेम्बर ने पांच लाख रुपये इकट्ठे नहीं कर लिए हैं। बल्डिंग कन्स्ट्रक्शन के लिए और असेम्बली हॉल बनाने के लिए तब तक जमीन नहीं दी जायगी। अब उन्होंने पांच लाख रुपये इस पर्पज के लिए कलेक्ट कर लिए हैं और क्योंकि एक पब्लिक इन्स्टीट्यूशन के लिए था, हालांकि देखने में इंडस्ट्री और कॉमर्स दीखता है लेकिन यह व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं है बल्कि एक इन्स्टीट्यूशन को अलॉट की गई है जिसके जरिए कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी हैं उन सबका विकास होगा। जब पांच लाख रुपये इकट्ठे किए गए और जाहिर हो गया कि इसकी नीति इस तरह के मकान बनाने की है जिसका प्लान हमको दिया है, तब पजेशन दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार दूसरे केसेज में भी ऐसी व्यवस्था करेगी कि कोई डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है ऐसी इन्स्टीट्यूशन के लिए ? क्या ऐसी जनरल पॉलिसी सरकार दूसरे केसेज में भी निर्धारित करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : पॉलिसी कानून में दी हुई है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०२ के नीचे जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनके नीचे और अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट की दफा २४ के नीचे—इन तीनों में इस बात का प्रावधान है कि सरकार पब्लिक इन्स्टीट्यूशन को जमीन दे सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौनसा प्रावधान है ? जो रूल्स बताये अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के तहत, क्या यह सही नहीं है कि यह बाई सेल या बाई ऑक्शन ही दे सकते हैं ? फ्री ऑफ चार्ज नहीं दे सकते वर्ना आप रूल का हवाला दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : रूल ८ का प्रोविजो उसका पार्ट (बी)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : डीड का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : Rule 8, Proviso, Part (d).

श्री रामकिशन (वैर) : क्या इसी जमीन को सूचना केन्द्र ने भी मांगा था ? क्या इस प्रकार की दरख्वास्त उनके द्वारा दी गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : सूचना केन्द्र ने मांगा नहीं था लेकिन इस तरह की बात, जब केबिनेट से फाइनली दिया गया, तो डिस्कशन में आयी थी कि सूचना केन्द्र को दी जाय या इस इन्स्टीट्यूशन को दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या सरकार की निगाह में इस चेम्बर के लोग इतने गरीब थे या उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि वे इसके लिए पैसा नहीं दे सकते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : इस इन्स्टीट्यूशन को इसलिये दिया गया कि वहां पर म्यूजियम लगायेंगे जिसमें इन्डस्ट्रीज और कॉमर्स के विकास की चीजों का प्रदर्शन करेंगे, टूरिस्ट्स के लिये यह ओपन रहेगा। हॉल बनायेंगे तो गवर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड फन्क्शन्स फ्री ऑफ चार्ज फन्क्शन कर सकते हैं। जयपुर एक मैट्रोपोलि-

Page No. 4

(श्री परसराम मदेरणा)

सिटी है और यहां पर ऐसा कोई टाउन हाल नहीं था इसलिये प्राइवेट लोग खर्चा करके टाउन हाल बनायें और कन्डीशनल हम यूज कर सकें तो यह सब सोच कर उनको यह जमीन दी गई।

श्री रामकिशन : क्या सरकार रकम की मांग करती तो चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वह दी जाने से इन्कारी की जाती ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि लेते तो २,२५ हजार मिलता। लेकिन १० लाख का प्लान दिया है जिसको वे एग्जीक्यूट करेंगे। यह भी उसमें शर्त रखी है कि पब्लिक पार्क भी होगा। चिल्ड्रन के लिये वह एक्सेसिबल होगा यह भी शर्त रखी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शर्तों के अनुसार डीड का एग्जीक्यूशन हो जाता तो ठीक था लेकिन इनका वायोलेशन बाद में करेंगे तो आप क्या करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : डीड का एग्जीक्यूशन इसलिये नहीं हुआ है कि ट्रस्ट, इसको लीगली एग्जामिन कर रहा है। बिल्डिंग बनाने के पहले प्लान का एप्रूवल हमारे से होगा और जब डीड का एग्जीक्यूशन हो जायगा तब ही हम एप्रूवल देंगे। जमीन का पजेशन उनको इसलिये दिया कि पांच लाख रुपया इकट्ठा हो जाय और ऊपर बिल्डिंग बनाने का भरोसा हो जाय। उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि पजेशन दिया जाय तो पैसे अधिक इकट्ठा कर सकते हैं। यह हमने नहीं माना लेकिन जब इकट्ठा कर लिया तो हमने उनको पजेशन दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बगैर डीड के एग्जीक्यूशन के पजेशन और किन-किन को दिये गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उनको कोई खास रियायत नहीं दी हैं। आप दूसरों के लिये पूछ रहे हैं लेकिन ऑफ एन्ड ऑन तो मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है, मैं अभी नहीं बता सकता। एग्जीक्यूशन से पहले पजेशन दिया है। प्लान एप्रूवल होने के बाद डीड एग्जीक्यूट होगा और जमीन कन्स्ट्रक्ट करने का, एडीफिस बनाने का अभी प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार अलावा जयपुर के किसी शहर में किसी क्लास ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह क्लास ऑर्गेनाइजेशन के इन्ट्रेस्ट में नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस क्लास ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं, हम क्लास लेस सोसाइटी की बात करते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आप टोटेलिटेरियन स्टेट की बात करते हैं। आप और हमारे विचारों में बहुत अन्तर है। इन्डस्ट्रीज और कॉमर्स का राजस्थान में डेवलपमेन्ट हो और कोई जमीन ले जिसका फायदा किसी इन्डीविजुअल इन्स्टीट्यूशन को न होकर सारी पब्लिक को होता है तो हमें उसको देना चाहेंगे। हम उनसे नफरत नहीं करते जो इन्डस्ट्रीज में काम करते हैं। इससे राजस्थान का विकास करने वाले हैं, इससे इम्पीटस मिलने वाला है। खनिज पदार्थों को जब पब्लिक देखेगी और उससे जो भावना पैदा होगी उसके पीछे यह मोटिव है।

Page No. 5

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने इस प्रकार का अलॉटमेन्ट किसी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को या और किसी को भी किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स हो सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : जरूर किया होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई पर्टीक्यूलर केस बतायें; डेफिनिट कहें ।

श्री परसराम मदेरणा : किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा ?

श्री परसराम मदेरणा : नाम तो याद नहीं है । एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन को दिया है । जिनको हमने पब्लिक इन्स्टीट्यूशन माना है, उस केटेगरी में आने वालों को दिया है ।

श्री अध्यक्ष : क्या चेम्बर को यह अधिकार होगा कि इस बिल्डिंग को बेच सके, रहन कर सके या किराये पर दे सके ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अधिकार उसको नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके रूल ८ पार्ट (बी) में कहा है कि that he shall not transfer the land so allotted until such construction is completed; that is to say when the construction is completed they will be entitled to sell it.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्षजी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लैंड उनको दी गयी है, उस लैंड के साथ यह कन्डीशन अटेच है कि जो बिल्डिंग उस पर बनेगी, हाल और दूसरी चीजें बनेगी, उनसे कोई इन्कम होगी, वह चेम्बर की होगी, इन्स्टीट्यूशन की होगी, किसी को वापिस नहीं जा सकती । एक पीस ऑफ यार्ड ऑफ लैंड भी नहीं बेच सकते । सारी की सारी जमीन इन्स्टीट्यूशन की होगी, इस बात को किया गया है । इसकी बड़ी वजह यह थी कि चेम्बर का काम होगा उसके साथ-साथ परमानेन्ट इन्डस्ट्रियल म्यूजियम भी होगा जहां पर चीजों के प्रोडक्शन और आगे क्या पोसिबिलिटीज हैं उनका ब्यौरा आदि होगा, हाल होगा जिनकी कीमत अभी जमीन की कीमत हो सकती है उससे कहीं ज्यादा होगी । ये सारे पर्पज पूरे कर रहे हैं यह समझ कर दे दी गयी है । किसी इन्डिविजुअल को कोई एडवान्टेज न हो इस पर ध्यान रखा गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी कन्डीशन्स लिख कर गवर्नमेंन्ट ने दी हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया उन कन्डीशन्स में ये बातें दर्ज नहीं हैं जब कि रूल में लिखित धारायें हैं कि सेल का उनको राइट होगा । नम्बर २, रूल नं० ८ जिसके तहत दिया गया है उसमें इन्स्टीट्यूशन कोई एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन, पब्लिक इन्स्टीट्यूशन या चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन होने चाहिये जब कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्डस्ट्रीज एक व्यवसाय के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है । अपनी क्लास इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उसको फाइट आउट करने के लिए बाकायदा यह ऑर्गेनाइजेशन है जो कि

Page No. 6

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके बारे में डिसिजन लेता है, फाइट करता है और नीति रखता है। इस प्रकार बाकायदा पोलिटिकल सोसाइटी को जिसका इस शासन में प्रीडोमिनेन्ट स्थान हो गया है, चीफ मिनिस्टर ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए रूल्स को डिसरिगार्ड करके, न यह कोई चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन है, न एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन है और न ही पब्लिक इन्स्टीटयूशन है, गवर्नमेन्ट ने उनको जमीन दे दी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी बता रहे हैं कि जितनी बातें हैं उसमें लिखी हुई हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बहुत स्पष्ट है। उसमें से सेल करने की ऑथोरिटी नहीं होगी। अगर उसमें कहीं उस बात की कमी होगी तो उसको स्पष्ट कर दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में है। इन्स्टीट्यूशन को ही दिया है किसी इन्डीविजुअल को नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : बेचने या ट्रांसफर करने का प्रश्न है। किसी इंडीविजुअल का प्रश्न नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन।

संचालक, मोबाइल सर्जिकल यूनिट

८५८. श्री **फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट राजस्थान के संचालक के लिये अपना पूरा समय इसकी देख-रेख के लिये देना आवश्यक होता है ?

(२) यदि हां, तो उक्त यूनिट के संचालक का कार्य व प्रिन्सिपल मेडिकल कॉलेज, उदयपुर का कार्य दोनों एक ही व्यक्ति के पास रखे जाने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री फूलचन्द जैन : क्या यह सही है कि पहले जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट काम करता था, संचालक पूरी तरह उसके लिए जिम्मेदार था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री फूलचन्द जैन : जब 'जी हां' बताया तो क्या कारण है कि संचालक, मोबाइल सर्जिकल यूनिट और प्रिन्सिपल, मेडीकल कॉलेज, उदयपुर का कार्य एक ही व्यक्ति को सौंपा गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल सर्जिकल युनिट महीने में लगभग कुल तीन दिन बाहर रहना पड़ता है। इस तरह से साल भर में कुल २५-३० दिन बाहर रहना पड़ता है, टीम रहती है। यूनिट फोलो करती है, ऑपरेशन करके चले जाते हैं। २५-३० दिन साल में काम कर सकते हैं। उनके काम में ऐसी कोई बाधा नहीं आती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या एक व्यक्ति दोनों काम कर सकता है जिससे आपने एक व्यक्ति को दोनों काम संभला दिये ?

श्री अध्यक्ष : कुछ उत्तर तो दीजिये।

Page No. 7

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यही देख कर कि दोनों काम संभाल सकते हैं, यह नई व्यवस्था की गई है ।

श्री फूलचन्द जैन : जिनको मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया है उनकी नियुक्ति को मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ने मान्यता नहीं दी है । यह जो जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है उसके कारण जो सीनियोरिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्रकाशित की है उसके अनुसार उनको जो नियुक्ति दी गई है वह गलत है, इससे मेडिकल सर्जन्स में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न अलग है ।

प्रश्न संख्या ८५६

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

८६०. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला जालौर में ३४ कम्पाउन्डरों के स्थान खाली हैं जिनमें २३ कम्पाउन्डर डेपूटेशन पर काम कर रहे हैं और ११ कम्पाउन्डरों की जगह बिल्कुल रिक्त है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों है ? उपरोक्त कमी को सरकार कब तक पूर्ण करने में समर्थ होगी ?

(२) क्या यह भी सच है कि जिला जालौर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे हुए कम्पाउन्डर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त दूसरे जिलों में भेज दिये जाते हैं और इस जिले की कमी ज्यों की त्यों बनी रहती है ? अगर हां, तो पिछले पांच सालों में ऐसे कितने कम्पाउन्डर किस किस साल में कितने-कितने किस-किस जिले में भेजे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । क्या सरकार भविष्य में ऐसे तबादले रोकने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी कम्पाउन्डरों की कमी होते हुए भी बिना एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज की मंजूरी के नियुक्तियों में एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज अडचनें उपस्थित करता है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ? क्या यह भी सच है कि एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज पर्याप्त मात्रा में कम्पाउन्डर नियुक्ति के लिये भेजने में भी असमर्थ है ? अगर हां, तो सीधी नियुक्ति में फिर क्यों एतराज किया जाता है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं, जालौर में ६५ कम्पाउन्डरों की स्वीकृत संख्या है जिनमें १६ कम्पाउन्डरों के स्थान रिक्त हैं । २० कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय (पी. एन. आर. सी.) नहीं थे जिन्हें पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग में भर्ती करके डेपूटेशन पर भेजा है ताकि जिनको आगे प्रमोशन मिल जाय । मार्च में जो पी. एन. आर. सी. की परीक्षा हुई है उसके परिणाम निकलने पर उत्तीर्ण छात्रों से खाली जगह की पूर्ती कर दी जावेगी ।

(२) जी नहीं । जालौर जिले के ६ व ३ मास ट्रेनिंग पाये हुए सबसे प्रथम बार जुलाई सन् १९६१ में १६ छात्र पी. एन.

Page No. 8

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

आर. सी. ट्रेनिंग के लिये भेजे गये और ६ छात्र जनवरी सन् ६४ में भेजे गये। उनमें किसी ने भी अभी तक शिक्षा समाप्त नहीं की है। सन् १९६१ जुलाई के भेजे हुए सन् १९६५ अगस्त में जो परीक्षा देने योग्य होंगे; इसलिये जो जालौर से भेजे हुए कम्पाउन्डर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये गये हैं उनका बाहर भेज देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज अड़चनें उपस्थित नहीं करता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो १६ स्थान खाली हैं उसके लिये जो ट्रेनिंग के लिये भेज गये वे तो आये नहीं तों क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ट्रेनिंग पास होने पर ही आयेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब तक पांच साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हैं तो जालौर से जो आये हैं उनको किसी दूसरी जगह नहीं भेजा जायगा, यह आश्वासन तो आप दे सकते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो १६ की कमी है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ज्यों ज्यों उपलब्ध होंगे कमी पूरी की जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो जालौर से ट्रेनिंग पास करने के लिये आये हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जालौर के अलावा अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजा जायगा, यह तो कह सकते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह कहा जा सकता है।

प्रश्न संख्या ८६१

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

सरकार को गलत सूचना

८६२: **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या इस समय आई. जी. पी. जेल के पास कोई ऐसा केस है जिसमें किसी सुपरिन्टेंडेण्ट जेल ने इन्टीग्रेशन के वक्त अपनी हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज म अपने आपको गलत मैट्रिक पास लिखा था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां से ?

(२) क्या जांच से यह विदित हो गया है कि उन्होंने सरकार को धोखा दिया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। कारावास विभाग में इस केस का श्री गणेश हुआ है। जिससे यह विदित हुआ है कि श्री गंगाप्रसाद शर्मा, अधीक्षक कारावास ने इन्टीग्रेशन के समय अपनी हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज में अपने आपको गलत मैट्रिक पास लिखा था। पंजाब विश्वविद्यालय से इस मामले में जांच की गई थी।

(२) जी हां। प्राथमिक जांच से यह पाया जाता है कि श्री गंगाप्रसाद शर्मा ने सरकार को धोखा दिया है और उन्हें

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इस हेतु नियुक्ति विभाग की ओर से पत्र संख्या एफ. १ (७८) नियुक्ति (६) ६३, दिनांक १७-१२-६३ द्वारा चार्ज-शीट दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब सरकार को इस प्रकार की बात मालूम हो गई थी कि इसने गलत सर्टिफिकेट दिया है तो इस संबंध में आई. जी. पी. ने उनको सस्पेण्ड करने की इजाजत मांगी थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सस्पेण्ड करने की इजाजत नहीं मांगी थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जब इस प्रकार का मामला आगया क्या सरकार उचित नहीं समझती जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के हैसियत का आदमी जो इस प्रकार का काम करता है उनको केवल चार्जशीट देना ही उचित समझती है ?

श्री निरंजन्नाथ आचार्य : चार्ज-शीट देने के बाद एक्स्प्लेनेशन आ जाय उसके बाद सस्पेन्शन करना ज्यादा जस्टिफाएबल है।

श्री मुरलीधर व्यास : इतने सीरियस मामले पर जब कि प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो जाता है केवल चाज-शीट दी जाती है। जिसके लिये प्राइम फेसी एस्टेब्लिश हो गई हों उसको चार्ज-शीट देते ही सस्पेण्ड करना चाहिये। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा केवल चार्ज-शीट ही नहीं इसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये। इस तरह से गवर्नमेंट इन ४२० लोगों को शील्ड करने की चेष्टा करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शील्ड करने का प्रश्न गवर्नमेंट के सामने नहीं है ये जो तथ्य सदन के सामने रखे गये हैं उसके हिसाब से प्राइमाफेसी केस बनता है, डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी के साथ अगर प्रोसीक्यूशन आरंभ कर दिया जाय तब भी बेजा नहीं है। ४१७ और ४१५ के अन्तर्गत जो मामला बनता है उसके लिये प्रोसीक्यूशन होना चाहिये, सस्पेन्शन होना चाहिये, ये दोनों प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : पहले डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी का नतीजा आ जाय फिर प्रोसीक्यूशन की सोचिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह व्यवस्था ठीक है प्राइमाफेसी, एस्टेब्लिश हो जाती है, डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी द्वारा उसके बाद ही प्रोसीक्यूशन ज्यादा सफल होता है। कोई कारण नहीं कि हम इसको थ्रेश आउट करना चाहते हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो फेक्ट्स आपके नोटिस में आगये हैं क्या उनके आधार पर आप पर्याप्त नहीं समझते कि इनको सस्पेण्ड किया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये सब फेक्टस इन्क्वायरी आफिसर के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : चार्ज शीट बहुत दिनों से दे रखो है। उनका जवाब हो नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : चार्ज-शीट किस तारीख को दी गई ?

Page No. 10

श्री निरंजननाथ आचार्य : १६-१२-६३ को ।

श्री अध्यक्ष : जवाब अभी नहीं आया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मुझे पता नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जवाब के लिये तारीख निश्चित क्यों नहीं कर देते कि अमुक तारीख तक जवाब आ जाना चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार्ज-शीट की नकल मेरे पास नहीं है मैं विश्वास दिला सकता हूं २०—२५ रोज के अन्दर चार्ज-शीट का प्रोसीजर कम्पलीट कर दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । प्राइम.फेसी केस हो जाने के बाद गवर्नमेंट चार्ज-शीट दे, सामान्यतया यह प्रोसीजर होना चाहिये कि सस्पेण्ड होना चाहिये । किसी स्थिति में सस्पेण्ड नहीं किया जावे तो सेटिस्फेक्टरी······

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था संभव नहीं इसके लिये हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं बनाये जा सकते । जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार किया जा सकता है । कहीं टेक्निकल नेचर का केस बनता है जहां एवीडेन्स का सवाल हो उसमें सोचना पड़ता है लेकिन ऐसे मामले में जहां सबूत हों जैसे टी. ए. बिल के मामले हों, मेडिकल रिएम्बर्समेंट का सवाल हो, जिसके सुबूत मिल सकते हैं, ऐसे मामलों को डिफरेंण्ट केटेगरीज् में लेना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : चार्ज-शीट पहले भी दी गई थी दो साल से इसी तरह चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

चीनी वितरण में अनियमितता

८६३. **श्री जेठामल बरबड** (परबतसर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उप सरपंच श्री पोकरमल चाण्डी, पंचायत समिति मकराना, तहसील परबतसर द्वारा चीनी वितरण में अनियमितता बरतने बाबत ग्राम पंचायत के वार्ड पंच श्री मालमसिह ने एस. डी. एम., परबतसर के पास शिकायत की थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि एस. डी. एम., परबतसर ने नायब तहसीलदार मकराना से जांच करवाई जिसमें शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । यह सही है ।

(२) जी हां, यह सही है कि एस. डी. एम. परबतसर ने नायब तहसीलदार, मकराना से इसकी जांच करवाई । जिलाधीश, नागौर द्वारा कुछ बातों के बाबत एस. डी. ओ. परबतसर से इस जांच रिपोर्ट के बाबत स्पष्टीकरण चाहा है । जांच अभी जारी है ।

श्री जेठमल बरबड : क्या यह सही है कि उस सरपंच ने शक्कर में आटा मिलाया और रेट भी ज्यादा ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : यह शिकायत पहले कब आई कलेक्टर के पास या आपके पास ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास डेट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : तो यह तो आपको मालूम करना चाहिये । सामान्य तौर से कार्यवाही नहीं होती है, इसलिये बाध्य होकर लाना पड़ता है । यह पुरानी बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पुरानी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Please be sure. Be sure of the facts.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो माननीय सदस्य भी बता देंगे कि कितनी पुरानी है। दो महीने की वह भी कह रहे हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह व्यक्ति सरपंच होते हुए गड़बड़ी करता है, की है । शक्कर में आटा मिला कर लोगों को दी, और रेट से पैसा ज्यादा चार्ज किया । एक तो वैसे ही गांवो में शक्कर बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसमें भी आटा मिला दे और पैसा ज्यादा ले तो इसकी तो तुरन्त जांच होनी चाहिये थी और उस पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन एलीगेशन्स की जांच जारी है । अगर वह गुनाहगार पाया जायेगा तो सजा दी जावेगी जरूर ।

मजदूरों की छंटनी

८६४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या बड़ी सिचाई परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष १९६३ में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट विभाग से कितने मजदूर नौकरी से अलग किये गये ? ब्यौरेवार बताया जावे कि उनमें से कितने मैकेनिक, ऑपरेटर, फोरमैन और चार्जमैन थे ? उनको अलग करने का क्या आधार था ?

उप-मंत्री, बड़ी सिचाई योजानाएं (श्री दौलतराम सारण) : वर्ष १९६३ में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (राजस्थान भाग) से कुल सात मजदूर नौकरी से अलग किये गये, उनमें से १ चार्जमैन व ३ ऑपरेटर थे । उनको नौकरी से निकालने के आधार निम्नलिखित हैं:—

नाम	आधार
१. श्री अमरनाथ, चाजमैन	सरकारी वस्तुएं उठा कर ले जाने का इलजाम ।
२. श्री रतनराम, ऑपरेटर	मशीनों का कार्य भार ठीक तरह से न संभालना एवं उनका दुरुपयोग ।
३. श्री जगमालसिंह, ऑपरेटर	ड्यूटी से लगभग लगातार ६ माह गैर-हाजिर रहना ।
४. श्री दयालसिंह, ऑपरेटर	ड्यूटी से दो माह गैर-हाजिर रहना ।

शेष तीन कर्मचारी हैल्पर, मैट आदि श्रेणी के थे ।

श्री केदारनाथ : निकालने से पहले क्या उनको चार्ज-शीट दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

धर्म परिवर्तन

८६५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ब्यावर क्षेत्र में मेहरात राजपूतों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न पिछले कुछ दिनों से कुछ मुल्ला-मौलवियों ने जारी किया है जिसके कारण उस इलाके में स्थिति गंभीर बनती जा रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): जी नहीं । ब्यावर क्षेत्र में जहां मेहरात लोग अधिकतर संख्या में रहते हैं वे वास्तव में राजपूत नहीं हैं किन्तु वह मुसलमान ही हैं । यद्यपि उनमें कुछ के रहन-सहन के तरीके हिन्दुओं के समान हैं व कुछ ने अपने नाम भी हिन्दुओं जैसे ही रखे हुए हैं । यह सही है कि तावलिक कार्यकर्त्ता जो कि मुल्ला व मौलवी हैं वे समय समय पर इन ग्रामों में आते हैं व इन मेहरात लोगों को इस्लाम धर्म का उपदेश देते हैं और इस बात का प्रभाव डालते हैं कि वह हिन्दू रीति-रिवाज को पूर्ण रूपेण त्याग दें व केवल इस्लाम रीति-रिवाज को अपनावें और अपने बच्चों को मुसलमानी शिक्षा दिलावें । इस क्षेत्र की स्थिति साधारण है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि राजपूत हिन्दू भी होते हैं और मुसलमान भी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि कुछ अर्से पहले रावत और मेहरातों में शादी-विवाह होते थे और एकसा उनका आपस में रहन-सहन था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारा निवेदन तो इतना ही है कि कोई आदमी इसके लिये बाध्य न करे कि यह धर्म ही पालन करो, यही शिक्षा दो, दवाब डालने वाली, दबाने वाली बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री हुकमसिंह (जैसलमेर) : पहले जो राजपूत मुसलमान हो गये उनको पुनः राजपूत बनाने की आज्ञा दी जा सकती है, क्या इस तरह के प्रचार करने की मन्त्री महोदय इजाजत देंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें सदन नहीं पड़ेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह स्वतन्त्रता तो है ही है । प्रश्न तो बाध्य करने और दवाब डालने का है ।

प्रश्न संख्या ८६६

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

जागीरदारों के उत्तराधिकारियों को जागीर

८६७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य में प्रचलित प्रथा, नियम व कानून के अनुसार जागीरदार केवल अपने पुरुष उत्तराधिकारियों को ही जागीर दे सकता था?

Page No. 13

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) क्या यह भी सच है कि अपने पुरुष उत्तराधिकारियों के अलावा किसी को भी सब-ग्राण्ट (जागीर) की जाने की सूरत में वह जागीर (सब-ग्राण्ट) सरकार द्वारा रिज्यूम की हुई मानी जायेगी ?

(३) पाली जिले में कौन २ सी जागीरें जोधपुर राज्य के कानून व प्रथा के विरुद्ध जागीरदारों ने अपनी औरतों, बेटियों व बेटों की बहुओं को दी ? सूची सदन की मेज पर रखें व उनकी माली आय भी बतावें व सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) पाली जिले की जागीरों को प्रश्न के भाग (३) में बताई गई सूचना के आधार पर कितना रुपया बतौर मुआवजा व रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट दिया गया व दिया जायगा व अगर अधिकारी कानून के अधीन धारा १९८ मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करते तो सरकार को रिजम्प्शन के पहिले कितने रुपये की लैंड रेवेन्यू की आमदनी होती ?

(५) मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १९८ की कार्यवाही न करने के लिये कौन २ दोषी हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की व कब की व जिनके विरुद्ध नहीं की उसका क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : इसमें कुछ लीगल क्वेश्चन इन्वोल्व्ड हैं और बार-बार इस प्रश्न को सदन में उठाया गया है इसलिये सदस्यों को एन्टायर सेटिस्फेक्शन देने के लिये हमेशा के लिये ताकि वे सेटिस्फाई हो जावें यह क्वेश्चन कल के लिये पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : कल के लिये पोस्टपोन किया जाता है।

श्री शंकरलाल।

भूदान की भूमि

८६८. **श्री शंकरलाल जाट** (सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजराणा बड़ी सादड़ी ने ऑर्डर नम्बर ३७६१५ रकबा २८२।७३ भूदान बोर्ड को दी थी ? क्या उक्त भूमि भूदान अधिनियम के अन्तर्गत दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि भूदान बोर्ड ने मोटा महुडा एवं माता मगरी के अठारह आदिवासियों को दी थी ? यदि हां, तो वापिस उक्त भूमि से उन आदिवासियों को क्यों हटाया गया है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त भूमि का लगान अब भी उन्हीं आदिवासियों से वसूल किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। परन्तु इन आदिवासियों का कब्जा तहसीलों द्वारा नहीं हटाया गया है और यह भूमि अब भी इन्हीं आदिवासिग्रों के कब्जे में है।

(३) जी हां।

श्री शंकरलाल जाट : क्या यह सही है की फारेस्ट विभाग द्वारा उनका कब्जा हटाया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार के पास में जानकारी यह है कि उनका कब्जा नहीं हटाया गया है और अभी तक उनका कब्जा है ।

श्री शंकरलाल जाट : पर सही बात यह है कि दो साल से उनको काश्त नहीं करने दी जा रही है और उनका कब्जा हटा दिया गया है, और लगान उन्हीं से वसूल किया जा रहा है तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन दिलावेंगे कि उन आदिवासी किसानों के ही अधिकार में वह जमीन रहेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी सूचना जो थी वह मैंने निवेदन कर दी । आप दूसरी बात कहते हैं तो मैं एन्क्वायरी करा लूंगा । पर जब उनका कब्जा है तो यह मामला फोरेस्ट विभाग और हमारे बीच का है और हमारे बीच डिस्प्यूट चल रहा है । डिस्पजेस उनको नहीं किया है, पर अगर जैसा आप कहते हैं किया है तो जांच करा लूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उनको काश्त करने में फोरेस्ट विभाग ने अड़चन डाली है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया अभी कि ऐसा है तो में और जांच करा लूंगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पर आप दोनों विभागों के आपस के झगड़े में दो साल से उन गरीब आदिवासी किसानों को काश्त नहीं करने दी जा रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी सूचना के अनुसार तो दो साल से वे काश्त कर रहे हैं और लगान दे रहे हैं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : फसल बोने से नहीं रोका गया मिनिस्टर कहते हैं तो क्या जांच करावेंगे और जांच में जो दोषी पाये गये तो उनसे किसानों को नुकसान दिलाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कार्यवाही का प्रश्न नहीं होता । हमारे पास जिलाधीश से जो इत्तला आई है उसके अनुसार उनका कब्जा है, वे काश्त कर रहे हैं । इसके बाद भी विपरीत तथ्य अगर नोलेज में आते हैं तो जांच करावेंगे ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अगर जांच से शिकायत सही पाई गई तो जो लगान वसूल कर लिया गया है वह वापिस किया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कैटेगेरिकली रिप्लाई दिया है कि वे काबिज हैं, काश्त कर रहे हैं । पर फिर भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहता है तो मैं जांच करा लूंगा । और लैंड रेवेन्यू काश्त से हटाने के बाद भी वसूल की गई है तो वापिस कर देंगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल) : लगान की ही बात नहीं है । जमीन से भी बेदखल नहीं किया जावेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अगर बेदखल करते हैं तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप कोई एक्शन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसील गंगधार में चोरियां

८६९. **श्री जयलाल** (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील गंगधार क्षेत्र में गत वर्ष में कुल कितनी चोरियां हुई और उनमें कितने का माल चोरी में गया और कितनी चोरियों का माल व चोरी करने वाले पकड़े गए ?

(२) इस क्षेत्र में जो चोरियां हुई हैं उसका प्रमुख कारण क्या है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) तहसील गंगधार क्षेत्र में गत १ वर्ष में अथवा १-१-६३ से ३१-१२-६३ तक कुल १३ चोरियां हुई जिनमें ५,८२८) रु. का माल चोरी गया। उन समस्त चोरियों का ४,७१३) रु. का माल बरामद हुआ व सात चोरी करने वाले पकड़े गए।

(२) इस क्षेत्र में चोरी होने के मुख्य कारण यह हैं कि आसपास कंजर जरायम पेशा लोग रहते हैं व यह तहसील तीन तरफ से मध्यप्रदेश की सीमा से मिली हुई है जहां पर भी कंजर अधिकतर रहते हैं जो इस क्षेत्र में जुर्म करके या तो इधर–उधर फैल जाते हैं या मध्य प्रदेश प्रान्त में घुस जाते हैं और इसी कारण उन्हें पकड़ने में व माल बरामद करने में कठिनाई होती है।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : जितनी चोरियां होती हैं उनमें कंजर ही शामिल रहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, अमूमन कन्जर शामिल रहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, कन्जरों को बसा दिया गया है और उनको जमीन दे दी गयी है तो आप ही बतायें कि कितने कन्जर पकड़े गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम और आप सब लोग जानते हैं कि उनको वह आदत बहुत पुरानी पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

मालखाने में गबन

८७०. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बारां मालखाने में हजारों रुपयों का गबन हुआ है ?

(२) यह गबन कब से हो रहा था व कितना माल किस किस प्रकार का गबन हुआ व कुल कितने का गबन हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) यह ग़बन कैसे हुआ व किस की गलती से हुआ व इसमें कौन कौन शामिल थे ?

(४) सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां, कुल २९,१९८) रु. की क़ीमत के माल का गबन हुआ है।

(२) यह गबन दिनांक ११-१-५० से १२-६-६२ तक के समय में हुआ है। सूची इस प्रकार है : —

Page No. 16

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(१) एडीशनल सेशन जज की अदालत के २१ प्रकरणों का ६,२०३) रु. के मूल्य की सम्पत्ति का, (२) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय का ६७ प्रकरणों का १२,८५३.०३ रु. की मूल्य की एवं (३) एस. डी. एम. कोर्ट के ३५ प्रकरणों का ७१४२.६६ के मूल्य की सम्पत्ति का गबन हुआ। गबन केवल सोना, चांदी के आभूषण एवं नकद का हुआ है।

(३) मालखाने का इन्चार्ज हैड-कॉन्स्टेबिल जैमालसिंह था और यही मालखाने से माल समय समय पर अवसर प्राप्त कर निकाल कर बेचता रहा एवं निजी कार्य के लिए उपयोग करता रहा। तफतीश से केवल वही दोषी पाया गया।

(४) इस गबन के सम्बन्ध में ६ प्रकरण धारा ४०६ ता० हि० में पंजीबद्ध किये जाकर तफतीश की गई। जैमालसिंह को गिरफ्तार किया गया था, जो जुडिश्यिल कस्टेडी में ही बीमार होने से ता० ३१-५-६३ को कोटा अस्पताल में मर गया। एक केस का चालान कोटा अदालत में किया गया था जो २७-८-६३ को मुलजिम के मर जाने से खारिज किया गया। अन्य केसेज में मुलजिम के मरने के कारण फाइनल रिपोर्ट की गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

पशुओं की चोरी

८७१. श्री **बालूराम चौधरी** (फतेह-पुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फतेहपुर तहसील में ग्राम ढेडी के एक वर्ग विशेष के लोग पशुओं की चोरी के लिये बहुत बदनाम हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस रामगढ थाना एवं फ़तेहपुर थाना में प्रति वर्ष यहां से इन चोरों के खिलाफ जनता की शिकायतें आती हैं ? तथा क्या पुलिस विभाग ने यह जांच की है कि इन चोरों के खिलाफ़ सिर्फ़ १० पर्सेन्ट मामले पुलिस के ध्यान में लाये जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस ग्राम में चूरू ज़िले की पुलिस को भी चोरों के पीछे प्रति वर्ष कई बार आना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस ग्राम में एक पुलिस चौकी कायम की जाय जिससे पशुओं की चोरियां बन्द हों ?

उप-मन्त्री गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, पिछले तीन वर्षों में यानी १९६० से १९६२ तक केवल दो घटनाओं की रिपोर्ट ग्राम ढेडी के राजपूतों के खिलाफ़ थाना रामगढ ढेडी में पेश हुई। तफ्तीश में दोनों मामले झूठे पाये गये।

(३) जी नहीं। केवल घोषित अपराधी भारतसिंह की गिरफ्तारी के लिये चूरू ज़िले की पुलिस ने ग्राम ढेडी में रेड्स किये थे।

(४) जी नहीं।

श्री बालूराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताऊं कि यह ढेडी ग्राम है यह चोरों का ग्राम

(श्री बालूराम चौधरी)

है और मोहनसिंह नाम का राजपूत है उसके द्वारा ऊंट झुन्झुनू भेजे जाते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कई चोरियां होती हैं यहां। हर साल करीब २०० ऊंट इस गांव में से होकर झुन्झुनू जाते हैं और हमारे जो गांव हैं वह इससे आतंकित हैं। दूसरे अमरसिंह राजपूत गांव सातड़ा के करीब १६ आदमियों का गेंग है जिसमें सांवतिया और फतूखां यह आदमी हैं जो लगातार फतेहपुर तहसील में इसी काम में लगे हुए हैं और कल परसों की बात है कि एक केप्टिन लालसिंह के के पुत्र के घर से ऊंट उठाकर ले गये और सब को आतंकित कर रखा है। मेरे प्रश्न करने का मूल उद्देश्य यही है कि यह चोरों के ठहरने का स्टेशन है। यहां पर हॉल्ट करते हैं और दूसरे दिन ऊंटों को आगे पार कर देते हैं। इसलिये इस गांव में चौकी कायम होनी चाहिये। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं वापिस स्थिति को दिखवा लूंगा कि क्या स्थिति है और प्रयत्न यह किया जायेगा कि आपको सन्तोष मिले।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, इस गांव में चोरों की गवर्नमेन्ट है और यहां पर चौकी कायम होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

घग्घर बाढ पर नियन्त्रण

८७२. श्री **मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) घग्घर बाढ़ का नियन्त्रण कब तक हो सकेगा ?

(२) क्या बाढ नियन्त्रण का कार्य इस वर्ष शुरू हो जायेगा ?

(३) इस कार्य में राजस्थान सरकार का खर्चा होगा या केन्द्रीय सरकार का ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) घघ्घर बाढ़ के नियन्त्रण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि यह कार्य जुलाई, १९६६ तक पूर्ण हो जायेगा।

(२) जी हां।

(३) इस बारे में कि घग्घर बाढ़ नियन्त्रण योजना को क्रियान्वित करने में जो खर्चा होगा वो केन्द्रीय सरकार देगी या पंजाब राज्य सरकार देगी अभी तक कोई निश्चय केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया है तथा इस प्रश्न को भविष्य में निश्चित किये जाने का सुझाव है। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपने दृष्टिकोण कि इस योजना का खर्च पंजाब सरकार या केन्द्रीय सरकार को देना होगा से अवगत करवा दिया है।

श्री मनफूलसिंह: घग्घर बाढ़ का पानी कितना डाइवर्ट किया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : इस नयी योजना के अन्दर ?

श्री मनफूलसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : नई योजना के द्वारा लगभग १३ हजार क्यूसेक्स एक चैनल

(श्री दौलतराम सारण)

के मार्फत होगा और कुछ वहीं फैल जायेगा। लगभग क़रीब २० हज़ार क्यूसेक्स पानी तक हम बचा सकेंगे।

श्री **मनफूलसिंह** : किस जगह फैल जायेगा वह पानी ?

श्री **दौलतराम सारण** : नाली के एरिया में जहां आज तक फैलता आया है।

श्री **मनफूलसिंह** : खाली जगह है ही नहीं दूसरी जगह जहां फैंकना चाहते हैं और उस जगह के लोगों को नोटिस दिया गया है।

श्री **दौलतराम सारण** : सूरतगढ़ से दक्षिण की ओर जहां धोरे हैं उस जगह पर चला आयेगा।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सरकार मानती है कि यह जो वर्षा आयेगी उसमें किसी भी प्रकार से घग्घर का पानी नुकसान नहीं देना चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर चुकी है ?

श्री **दौलतराम सारण** : इस सदन में कई बार इस प्रश्न पर बतलाया गया है कि यह योजना जब तक पूरी होगी जैसा कि मैंने समय बताया कि जुलाई ६६ तक उससे पहले कुछ रक्षा के लिए बांध बनाये गये हैं खास खास जगह पर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, पीली बंगा, तलवाड़ा इस तरह से कई जगह बांध बनाये गये हैं, रक्षा के लिये। उन बांधों से रक्षा होगी। जैसा मैंने निवेदन किया कि लगभग १५-२० हज़ार क्यूसेक्स तक पानी आने से अधिक नुकसान होने की सम्भावना नहीं है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : जैसे लिसाड़ा बांध बंधा है जिससे सारा पानी इस तरफ़ घूम जायेगा और उससे पानी बहुत तादाद में बढ़ जायेगा।

श्री **दौलतराम सारण** : लिसाड़ा ड्रेन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी सदन को अवगत करा चुके हैं।

श्री **मुरलीधर व्यास** : ऑल इन्डिया रेडियो पर जो स्टेटमेन्ट है, हमने उससे सुना था कि ७५ प्रतिशत पानी तो इधर ही आयेगा और २५ प्रतिशत उधर जायेगा, तो सरकार यह मानती है कि लिसाड़ा बांध जो बांधा है उससे राजस्थान के क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा ?

श्री **दौलतराम सारण** : लिसाड़ा का कोई डैम नहीं बंधा है। एक ड्रेन खोदी गयी है लेकिन उसकी स्थिति के सम्बन्ध मुख्य मंत्रीजी यहां सदन में निवेदन कर चुके हैं जैसा मैंने निवेदन किया और बाकी घग्घर के कैचमेन्ट एरिया का और जो दूसरी ड्रेन्स का पानी है उसको घग्घर फ्लड कन्ट्रोल स्कीम के अन्तर्गत काम में लाया जायेगा। उसके अन्दर से जैसा मैंने निवेदन किया कि एक तो नहर बना कर सूरतगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पानी डाला जायेगा। दूसरा ओटो के घाट से राजस्थान कैनाल को लिंक करने के लिए एक लिंक बनाई जायेगी और राजस्थान कैनाल का पानी उसमें डालकर आगे ले जाया जायेगा। इस तरह से घग्घर फ्लड कन्ट्रोल के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यह सही है कि जो लिसाड़ा ड्रेन के संबंध में....

Page No. 19

श्री अध्यक्ष : लिसाड़ा ड्रेन के सम्बन्ध में अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री मनफूलसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि घग्घर बाढ़ से हर साल कई गांव डूबते हैं। इसमें तलवाड़ा को सुरक्षित कर दिया गया है, हनुमानगढ़ को सुरक्षित कर दिया गया, सूरतगढ को सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में जो गांव आते हैं और जो हर साल डूबते हैं उनके बचाने का क्या सरकार ने साधन किये ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया कि ८ सुरक्षा के लिए बांध बनाये गये हैं, वह मैं बता देता हूं :– (1) Protection Bund of Hanumangarh town. (2) Protection Bund for Suratgarh Town. (3) Strengthening of Karniji distributory.(4) Protection Bund of Sir Ramsir village. (5) Protection Bund of Talwara Kalan village. (6) Protection Bund for Barekomi village.(7) Protection Bund for Theri, Amarpura village. (8) Protection Bund for Rampura village.
ये बांध बनाये गये हैं ।

श्री मनफूलसिंह : यह आपकी सूचना सही नहीं है। आपको वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है। अमरपुरा आपका लास्ट ईयर डूबा है, रामपुरा डूबा है और रंग महल में छोटी सी ढाणी है वह भी डूबी है। शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बान्ध बनाये हैं। गांवों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाये हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना उपलब्ध थी वह मैं अर्ज कर चुका हूं।

श्री मनफूलसिंह : क्या जो दूसरे गांव डूबते हैं उनके प्रोटेक्शन का आश्वासन देते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सारे गांवों को और क्षेत्र को बचाने के लिये घग्घर फ्लड कन्ट्रोल स्कीम बनाई जा रही है और उस स्कीम के बनाये जाने से जैसा कि मैंने निवेदन किया जुलाई, ६६ में वह पूरी हो जायगी तो सारा क्षेत्र उससे सुरक्षित किया जा सकता है। उससे पहले थोड़ा बहुत नुकसान अधिक फ्लड आजाये तो हो सकता है। मैं ना नहीं करता। लेकिन जो प्रारम्भिक व्यवस्था की गई है रक्षा के लिए वह मैंने निवेदन किया है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रश्न यह है कि गांव जो हर साल डूबते हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए आश्वासन देते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट पूछने का है।

श्री अध्यक्ष : आप जनरली लिसाड़ा बान्ध पर पूछने लगते हैं। इस पर बहस हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनरली नहीं। जो अभी एग्रीमेन्ट हुआ है ....

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेन्ट के बारे में न पूछें।

प्रश्न संख्या ८७३

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७४

श्री मन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७५

(श्री अध्यक्ष)

श्री मुरारीसिह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७६

श्री मजलिसखां ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

तहसीलों का श्रेणीबद्ध वर्गीकरण

८७७. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार द्वारा तहसीलों के श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की कोई कार्यवाही की गई है ?

(२) यदि हां, तो इस वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है ?

(३) क्या वर्गीकरण के आधार पर सिकराय तहसील 'बी' श्रेणी में नहीं आती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) तहसीलों का वर्गीकरण का आधार निम्न प्रकार है :—

(१) तहसील की जन-संख्या।

(२) तहसील का रक़बा ।

(३) तहसील की आमदनी।

(४) गांव की जन-संख्या।

(५) खसरा नम्बर।

(६) भौगोलिक परिस्थिति।

(३) उपरोक्त कारणों को देखते हुए सिकराय तहसील 'बी' श्रेणी में नहीं आ सकती।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि अन्ता और रायपुर के अन्दर नायब तहसीलें मौजूद हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

कुण्ड की मरम्मत—नदबई

८७८. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नदबई स्थित पानी का कुण्ड वर्षों से खुदाई नहीं होने के कारण मिट्टी से दब गया है जिससे जनता को पानी की बड़ी असुविधा हो गई है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जनता ने इस कुण्ड की खुदाई के लिए स्वयं भी कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है और सरकार से भी सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार कब तक सहायता देने का विचार रखती है ?

(३) क्या नगरपालिका, नदबई ने इस कुण्ड की खुदाई और मरम्मत के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है या इसे खुदाने आदि का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, स्वायत-शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

(२) ऐसी कोई सूचना नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग से कोई सहायता के लिए नहीं मांग की गई।

(३) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल र्वादया।

चीनी का वितरण

८७६. श्री **उदयलाल र्वादया** (लसा-ड़िया) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शहरी व्यक्तियों के मुकाबले में गांव वालों को शक्कर कम मात्रा में देने का राज्य सरकार का निर्णय है? यदि हां तो क्यों और क्या इस व्यवस्था को ठीक करने का सरकार इरादा रखती है?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हां, यह सही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय शहरी एवं गांव के निवासियों की प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं के अनुभव पर लिया है। गांवों में प्रति माह प्रत्येक खरीददार को एक किलो चीनी दिये जाने का राज्य सरकार का निर्णय है। भारत सरकार से यदि शक्कर का कोटा अधिक एलॉट होने लग जावे तो सरकार द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन बाबत विचार किया जाना सम्भव हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या दूसरी स्टेट्स में भी ख़ास तौर से यू पी. और पंजाब में भी शहरों और देहातों में इस प्रकार का फर्क है?

श्री नाथूराम मिर्धा : हरेक का कोटा अलग अलग है। जैसा कि मैंने कई दफ़ा निवेदन किया कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिमान्ड पर है और पंजाब का कोटा काफी बड़ी तादाद में है हालांकि जन संख्या दो करोड़ है, लेकिन उनक कोटा हमारे से दुगने से भी ज्यादा है। १४००० टन का है। इस तरह से अलग अलग स्टेटों का अलग अलग कोटा है, उनका इन्टर्नल डिस्ट्रिब्यूशन का अलग अलग प्रोग्राम है, उसके हिसाब से किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो आधार इस डिफरेन्स रखने का बताया है वह यह नहीं बताया है कि स्टेट के कोटे के आधार पर है। आपने आधार बताया कि गांव वाले कम कन्ज्यूम करते हैं और शहर वाले ज्यादा कन्ज्यूम करते हैं इसलिये यह आधार रखा है। यह बात दूसरे प्रान्तों के बारे में भी कही जा सकती है, आप स्पष्ट बतायें कि कोटे के कारण ऐसा किया गया है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरीक़े से हो सकता है। अगर आप उस तरीक़े से करते हैं तो वह बात दूसरी है। कौन सा आधार है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने इसके बारे में कई दफ़ा बता दिया कि गांव वालों को गुड़ का कोटा एक्स्क्लूज़िवली देने का तय किया गया था। शक्कर का गांवों और शहरों का कोटा अलग अलग कर दिया। उसकी सारी बैक ग्राउन्ड अर्ज कर दी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : गांवों के लिए जो शुगर दी जाती है वह आप

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज़िलावार एलॉट कर रहे हैं। वह गांवों में बराबर बहुंचती है या नहीं?

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

अनाज का स्टाक

८८०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या कृषि एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार के पास कौन कौन सा अनाज कितने कितने टन अपने स्टॉक में मौजूद है जो जनता में सस्ते दरों पर वितरण करने के लिए सरकार के पास जमा है?

(२) राजस्थान सरकार को कौन-कौन सा अनाज या चावल का कितना कितना कोटा प्रति माह भारत सरकार से मिलना तय हुआ है और उस कोटे में से कितना अनाज या चावल राजस्थान को मिला है?

(३) १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार से विभिन्न अनाजों का कितना कितना कोटा राजस्थान के लिए तय हुआ था? और इस कोटे के मुकाबले में कितना कितना अनाज या चावल राजस्थान में आया था?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास जो भी स्टॉक अपना है या केन्द्र से मिलता है वह राज्य में अनाज की आवश्यकताओं के देखते हुए काफी नहीं है?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राज्य सरकार के पास स्वयं का कोई स्टॉक नहीं है। राज्य के ज़िलों की मांग पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से पूर्ण व्यवस्था है।

(२) खाद्यान्नों के कोटे निर्धारित नहीं हैं। जब जब राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगें भारत सरकार को प्रस्तुत करती हैं तब तब मांग के अनुसार राज्य सरकार को खाद्यान्न प्राप्त होते हैं।

(३) सन् ५७-५८ एवं ५८-५९ में कोई कोटा तय नहीं किया गया था। किन्तु १८,७२,८४८ मन गेहूं एवं ६,००,२३७ मन चावल सन् ५७-५८ में तथा २७,१५,६२९ मन गेहूं तथा ३,६५,६०० मन चावल का ५८-५९ में आयात हुआ।

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है। राज्य सरकार के पास खाद्यान्न का कोई अभाव नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अभी राज्य सरकार के पास अपना कोई स्टॉक है या नहीं जब आपने कहा कि खाद्यान्न तो राज्य सरकार के पास बहुत है लेकिन आपके पास अपना स्टॉक तो है ही नहीं।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : क्या हुआ मैंने कह दिया तो ठीक है। भारत सरकार स्टॉक राज्य सरकार को देती है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या भारत सरकार ने यह गारन्टी दी हुई है कि जितना भी राज्य सरकार को अभाव महसूस हो तो उतना ही अनाज सप्लाई करेंगे।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : जितनी भी मांग होगी वह सप्लाई करेंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : तो क्या वजह है कि पिछले दिसम्बर और जनवरी में जब

Page No. 23

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इतनी अनाज की कमी महसूस हुई और भाव इतने तेज हुए तब इमोजियेटली कोटा सप्लाई करके और सब जगह दूकान खोली गई ताकि भावों को बढ़ने से रोका जा सके।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : यह सब किया गया है। आपका कहना गलत है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : बावजूद इतने अनाज के भाव नीचे नहीं आये?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : बहुत नीचे आये हैं।

प्रश्न संख्या ८८१।

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)।

श्री भीमसेन।

सलाहकार समितियां

८८२. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की नीति है कि तहसील तथा जिला स्तर पर अकाल सहायता कार्यों में सलाह देने के लिए सलाहकार समितियों के माध्यम से कार्य किया जावे? अगर हां, तो क्या बीकानेर जिले में तहसील एवं जिला स्तर की समितियों की कभी बैठकें हुई?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियां एवं जिला परिषद् के अलावा उक्त सलाहकार समितियों की बैठकें समय समय पर आयोजित करना अधिक सुविधा-जनक है तथा इसमें बिना किसी प्रकार के खर्च के जल्दी निर्णय लिये जा सकते हैं? अगर हां, तो क्या सरकार जिलाधीश, बीकानेर से सरकारी नीति को क्रियान्वित करने का आदेश देगी?

उप-मन्त्री, **अकाल सहायता** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां। बीकानेर जिला अकाल सहायता परामर्श-दात्री समिति की बैठक दिनांक ६-७-६३, २३-७-६३ तथा ७-८-६३, ६-८-६३, २५-१०-६३ तथा ३०-१०-६३ तथा २८-१-६४ को की गई है। तथा तहसील समितियों की बैठकें भी समय समय पर बुलाई जाती है।

(२) जी हां जिलाधीश, बीकानेर को इस विषय में आदेश दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या ८८३

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरिराम।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८८४

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

घास का सरकारी डिपो

८८५. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जामसर में सरकारी घास के डिपो पर पिछले कई दिनों

Page No. 24

(श्री भीमसेन)

से ऊंटों एवं बैलों को घास व चारा नहीं दिया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि बिना घास व चारे के पशुओं की हालत खराब हो रही है तथा चूना निकालने के काम में बाधा पड़ रही है? अगर हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) बैलों के लिए तूड़ा और ऊंटों के लिए खारिया पीपल उपलब्ध मात्रा के हिसाब से तथा अन्य घास बिक्री किये जाने की व्यवस्था है।

(२) ऐसे कोई मामले अभी तक राज्य सरकार के सामने नहीं आये हैं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने खुद ने कलेक्टर को यह लिखा है कि आज से दो महीने पहले की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और पशुओं की हालत खराब हो रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस मार्च के फर्स्ट वीक की डिटेल्ड सूचना है कि कितना घास किस किस्म का इस डिपो के ऊपर आया कितना स्टाक है और कितना खर्च हुआ है।

श्री भीमसेन : आपके पास यह सूचना हो सकती है। उन्होंने इकट्ठा कर रखा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े भी हैं। जितना इम्पोर्ट हुआ उसके आंकड़े भी हैं और जितना बकाया है उसके आंकड़े भी हैं।

स्थगित प्रश्न संख्या ५८०

श्री **अध्यक्ष** : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

श्री **पोहूमल ईसरदास**, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा, श्री मथुरेश बिहारी माथुर, श्री नत्थीसिंह वैद्य, श्री गोविन्द सहाय, श्री विजयसिंह झाला, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री हरिदत्तसह, श्री अब्दुलजब्बार, श्री महेन्द्रसिंह, श्री भैरोंसिंह, श्री मजलिसखां, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री हरिराम चौहान, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान।

बेदखली के नोटिस

८८३. श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मंडावर तहसील के साबी नदी के आस पास के खेती करने वाले कितने किसानों को नोटिस बेदखली दिये गये हैं और उनसे पैनल्टी वसूल की जा रही है?

(२) क्या यह सही है कि इन में १५-२० साल के जोता किसान भी हैं और जिनसे बाकायदा सरकार जमा वसूल करती रही है और जिनके साथ खसरा गिरदावरी भी करती रही है? यदि हां, तो फिर भी सरकार के पास इनको नोटिस देने के क्या आधार है?

(श्री हरिराम चौहान)

(३) क्या सरकार इन सब किसानों को दिये गये नोटिस वापिस लेने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) साबी नदी के आस पास खेती करने वाले किसी भी काश्तकार को बेदखली के नोटिस नहीं दिये गये हैं और न कोई पैनल्टी ही वसूल की जा रही है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिराम चौहान : मैं समझता हूं यह जानकारी दी है वह गलत है। रदासर गांव है उसमें सैंकड़ों लोग साबी नदी के किनारे काश्त करते हैं उनको नोटिस दिये गये।

श्री परसराम मदेरणा : साबी नदी के आसपास का सवाल नहीं है। आपने पूछा कि नदी के बेड में जो काश्त करते हैं जो ट्रेसपासर्स हैं उनको जरूर नोटिस दिये गये।

श्री हरिराम चौहान : मैंने यह पूछा है कि मंडावर तहसील में साबी नदी के आस-पास कितने लोगों को नोटिस दे रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आस-पास नहीं, अन्दर हैं जरूर।

श्री हरिराम चौहान : अन्दर कितने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : संख्या है ४८७।

श्री हरिराम चौहान : ये ४८७ कितने गांवों के लोग हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जिन्होंने ट्रेसपास किया है नदी के बेड में काश्त करने के लिये जिन्होंने पर्मिशन नहीं ली है और काश्त कर ली है उनको नोटिस दिये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितने सालों से काश्त करते आये हैं उनको सालों साल पर्मिशन लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : नदी का बेड़ परिवर्तनशील है। न इसका खसरा रहता है न गिरदावरी। मौके मौके पर सौरे बदलते रहते हैं और बदलने के बाद यह प्रश्न रहता है कि किसको दिया जाय। परिवर्तन के हिसाब से ही गिरदावरी होती है। कितने साल से कौन वहां पर काश्त कर रहा है यह कहा नहीं जा सकता। १५ या २० साल से तो एक ही आदमी द्वारा काश्त हो नहीं सकती क्योंकि नदी का बेड परिवर्तनशील है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गिरदावरी के अनुसार पता लगा सकते हैं कि कौन काश्तकार सालों साल परमिशन लेता है या किस तरह से कल्टीवेशन करता है ?

श्री परसराम मदेरणा : नदी का रक़बा अनकल्टीवेबल लैण्ड है और इसके लिये रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार एलॉटमेन्ट करना चाहिये। हक काश्त का पैदा होता नहीं है ऐसी ज़मीन पर जिसकी शक्ल हर साल बदलती रहती है। ऐसी जमीन जिसकी शक्ल बदलती नहीं है उसी पर हक़ रहता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर जिले में यह रहा है कि लगातार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
वह किसान काश्त करता है। उसका खसरा होता है इसलिये सेक्शन १६ की तहत खातेदारी हक नहीं भी मिले तो भी वे लोग गैर खातेदार की हैसियत से रहने चाहिये। सरकार ने जो नोटिस दिये हैं वे गलत हैं उनको वापिस लेना चाहिये। एलॉटमेन्ट हर साल नहीं होता है।

श्री **परसराम मदेरणा** : बिस्वदारी एबोलिशन से पहले जो सालाना काश्त करते थे उनको सालाना काश्त मान कर पड़त ज़मीन विलेज रेट से दी जाती थी लेकिन उसके बाद जो अनकल्टीवेबल लैण्ड है और रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार इजाजत लेकर काश्त करते हैं तो नोटिस उनको नहीं दिया जाता है। बिना इजाज़त काश्त करते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है और नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जो लोग नियम बनने से पहले बिस्वेदारी अबोलिशन से पहले काश्त करते आये हैं, सरकार ने कभी उनको हटाया नहीं है, लगातार वे ही काश्त करते आये हैं, तो खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं हुए हैं तब भी उनका इजैक्टमेन्ट नहीं हो सकता, वहां काश्त करने का उनका अधिकार है। फिर आपने उनको ट्रेसपासर कैसे माना?

श्री **परसराम मदेरणा** : परमिशन लिये बिना काश्त करते हैं इसलिये नोटिस दिये गये।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): काश्त वे लगातार करते होंगे?

श्री **परसराम मदेरणा** : लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी।

श्री हरिराम **चौहान** (तिजारा) : हर साल काश्त करना दर्ज है, खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं हुए तो भी सरकार उनको ट्रेसपासर कैसे मानती है?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं हो सकते।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : पहले उनका मालकाना था विस्वेदार थे उस हैसियत से काश्त करते थे। अब बिस्वेदारी एबोलिशन के कारण मालकाना से खातेदार बना दिया, तब उनको कहना कि तुम्हारा पजेशन इल्लीगल है, आप परमिशन लें, यह कहां तक ठीक होगा। और जिलों में जिनके राइट्स कहीं नहीं थे, अनऑथराइज्ड पज़ेशन जिन्होंने कर रखे थे उनको भी रेगुलराइज़ कर रहे हैं तो ये जो बिस्वेदार थे, हमेशा से काश्त करते आ रहे हैं उनको इल्लीगल नोटिस देना कहां तक उचित है?

श्री **मोहनलाल** सुखाड़िया : जैसा मैंने कहा, बैड ऑफ़ दि रिवर में खातेदार बनाने का प्रावधान नहीं है, खातेदार हो नहीं सकते इसलिये विस्वेदारी एबोलिशन के बाद ओटोमेटिकली खातेदारी राइट एक्वायर नहीं हो सकता इसलिये ईयर टू ईयर परमिशन लेकर कल्टीवेशन करना पड़ता है। यह नोटिस देने का सवाल परमिशन लिये बिना कल्टीवेशन करने के कारण हुआ मालूम होता है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) क्या टीनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि रीवर बैड में इस प्रकार राइट एक्वायर नहीं

(गिरधारीलाल व्यास)
होता और सालों साल परमिशन लेनी पड़ती हैं?

श्री अध्यक्ष : यही बात मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि जो लोग लगातार एक लैण्ड से अपना जीवन यापन करते रहे हैं, आपके रूल्स बने हैं बाद में संन् ५६ में या ६० में उनकी तहत यह नहीं कहा जा सकता कि वे ट्रेसपासर हो गये। यह ठीक है कि आप उनको खातेदारी अधिकार मत दीजिये लेकिन यह इन्क्वायरी कर लीजिये कि वे लगातार काश्त करते हैं या नहीं, यह आपकी पोलिसी और उनके जीवन–यापन का सवाल है खातेदारी अधिकार न होते हुए भी उस ज़मीन पर उन्हीं का अधिकार है आप उनकी प्रायोरिटी को एग्ज़ामिन कर लीजिये आपकी मशीनरी इतनी डिफ़ेक्टिव है कि बन्दर बांट में जमीन चली जाती है और जो लोग २० साल से काश्त करते चले आ रहे हैं उनको नहीं मिलती। आप उनकी प्रायोरिटी को एग्ज़ामिन कर लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आम तौर से उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, डिस्पज़ेस नहीं किया जाता लेकिन इस तरह की एग्ज़ेम्पल्स सामने आई हैं जिनके कारण रूल्स बनाने पड़े, कुछ आदमियों के पास ज्यादा ज़मीन होते हुए भी वहां पर काश्त करते हैं और ज़िनके पास जमीन नहीं है, वे काश्त करना चाहते हैं तो उनको ज़मीन मिलती नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर तो जिनके पास मात्रा से अधिक ज़मीन है उनको नोटिस दें। और जिन के पास मात्रा से कम ज़मीन है उनको रेगुलराइज़ करदें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां तक परमिशन लेने की बात है, यह नहीं है कि उनको परमिशन नहीं दी जाती। हर साल परमिशन लेकर कन्टीन्यू करें तो किसी प्रकार की कॉम्प्लीकेशन नहीं हो।

श्री हरिराम चौहान : इजेक्टमेन्ट के नोटिस क्यों दिये हैं?

श्री अध्यक्ष : नोटिस इसलिये जारी किये होंगे कि रिवर बेड्स में स्थाई खातेदारी नहीं हो सकती, किस तरह एलॉटमेन्ट होगा र इसके नियम बने हुए हैं। लेकिन सरकार ऐसे लोगों की ज्यादा तादाद देखते हुए रूल्स के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा इजाजत दे सकती है। यह एक तरह की टेक्निकल चीज़ हो गई है। नियम से ईयर टू ईयर परमिशन लेकर काश्त करनी होती है। मौके पर जाकर तहसीलदार विशेष ध्यान दे सकते हैं कि जो साल व साल काश्त करते आयें हैं वे नियम के अन्तर्गत आते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है या नहीं, इस पर वे ध्यान दे सकते हैं।

श्री हरिराम चौहान : पेनल्टी इम्पोज करने का हक सरकार को नहीं है, ५००) रु. पेनल्टी का वे कैसे दे सकते हैं। चार चार सौ आदमी अदालतों में रोज आते हैं, सरकार को कोई दिलचस्पी उन लोगों को जमीन देने में नहीं है, एक एक आदमी से पेनल्टी लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि नियम से ज्यादा से ज्यादा क्या सहायता हो सकती है। पेनल्टी का प्रश्न नहीं उठता। मैं समझता हूं सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह के जो मामले हैं उनको स्पेशल ऑफिसर भेज कर निपटाया जा सकता है बजाय इसके कि एक-एक तहसील में तय हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो गैर-खातेदार हैं उनके लिये टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान दिया है। उसके अनुसार नोटिस नहीं दिये गये। नोटिस ९१ के दिये हैं, ट्रेसपासर की तरह दिये गये हैं, they are not tes passers Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह कि बीस साल से कल्टीवेटर्स हैं। कन्टीन्युअसली गिरदावरी में दर्ज हैं, एक-दो साल नहीं हैं तो इस टक्निकल ग्राउंड पर बेदखली नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : टैक्निकल ग्राउंड का प्रश्न नहीं है। कानून में प्रावधान नहीं है कि बेड ऑफ दी रिवर में खातेदार बना दिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसका असर नहीं पड़ता है। टीनेन्सी एक्ट में कहां मना किया गया है ? कहा है कि बीस साल से, पचास साल से जो काश्त करते हैं उनको भी इजाजत लेनी चाहिए ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गैर खातेदार हैं उनको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के लैंड सम्बन्धी एक्ट के तहत अगर किसी का कानूनी कब्जा था तो क्या अन-ऑथोराइज्ड था ?

श्री अध्यक्ष : यह कानून का प्रश्न है। पहले कानून के अन्तर्गत अधिकार मिला। उसकी क्या स्थिति है नये कानून के अन्तर्गत, इस सब पर विचार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार एक एक आफिसर को भेज कर इस प्रकार के मामलों का निपटारा करा दे बजाय इसके कि ४२० के केसेज बनें। एक ऑफिसर भेज कर व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था हो सकती है।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चोरी के मामले

२६३. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया**, (चौमू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चौमू विधान सभाई क्षेत्र में मार्च, १९६२ से अगस्त, १९६३ तक किस–किस प्रकार के मामले थानों में आये और उनमें से कितने मामले अदालतों में पेश किये गये ?

(२) इन मामलों में से चोरी के मामले कितने हैं और चोरी के इन मामलों में से

Page No. 29

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

कितनी चोरियां पकड़ी गई और उनमें कितनी कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

उत्तर

(१) हत्या, लूट, चोरी, गृह भेदन, धोखा, खयानत, नुकसान, रसानी, बलवा, मारपीट, स्त्रियों को भगा ले जाने, सरकारी कर्मचारियों पर हमले, असावधानी से चोटे पहुंचाना, शांति भंग होने की संभावना, संदिग्ध चाल-चलन तथा एक्साईज एक्ट, कानून हथियार, मोटर एक्ट, छुआछूत एक्ट और दीगर लोकल एक्ट एवं स्पेशल एक्ट की खिलाफवर्जी के कुल मिला कर ३२१ मामले दर्ज हुए जिनमें से २०८ का चालान अदालत में किया गया ।

(२) इनमें से चोरी के कुल ६० मामले थे जिनमें से ३ अदम बकुआ साबित हुए व ६ हस्व धारा १५७ बी जा. फौ. के अन्तर्गत अदम तफतीस रखे गये । बाकी में से २८ अदमपता रहे व ४ अदम सबूत रहे । शेष १६ का चालान किया गया । इन ६० चोरी के मामलों में कुल रु० १३,७४६) की धन-राशि की संपत्ति अन्तर्ग्रस्त थी । जिसमें से रु० ७,०१३) की धन-राशि की संपत्ति बरामद हुई जो १६ चोरियों के मामलों से संबंधित थी ।

भूमि पर नाजायज कब्जा

६४. **श्री बिजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६३ में नाथद्वारा, गिरवा तथा मावली तहसीलों में कितने व्यक्तियों को उस भूमि से हटाया गया जिन पर उनका नाजायज कब्जा था तथा कितने का कब्जा बहाल रखा गया ?

(२) नाथद्वारा तहसील में सन् ६३ में कितने व्यक्तियों पर कितना-कितना रुपया नाजायज कब्जा करने के लिये जुर्माना हुआ ? सूची दीजिये । तथा उनका कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा था ?

उत्तर

(१) सन् १९६३ में:—

(१) तहसील नाथद्वारा में ५८६ व्यक्तियों को बेदखल किया गया । १४८ व्यक्तियों का कब्जा बहाल रखा गया ।

(२) तहसील गिरवा में २९६ व्यक्तियों को बेदखल किया गया एवं ६७ व्यक्तियों का कब्जा बहाल रखा गया ।

(३) तहसील मावली में इस संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ ।

(२) नाथद्वारा तहसील में सन् १९६३ में ७८७ व्यक्तियों पर ७,७९४) रु० जुर्माना हुआ । २३४३।। बीघा भूमि पर उनका कब्जा था । सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खातेदारी अधिकार

२६५. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने काश्तकारों को टीनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा १५

(श्री शंकरलाल)

व १६ के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये हैं और कितनों को दिया जाना शेष है ?

(२) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी तहसील, पटवार हल्का बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत ब्राह्मणिया नामी माल में जो काश्तकार सदियों से जिस आराजी पर काश्त कर रहे हैं उनको अभी तक उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त माल में जो काश्तकार काश्त कर रहे हैं उनको जिन्स गिरदावरी स्लिपें (पच) भी नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इसके प्रबंध के विषय में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जिला चित्तौड़गढ़ में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ व १६ के तहत १०,३६६ काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दर्ज कर दिये गये हैं एवं १,८२५ काश्तकारों के अधिकार दर्ज होना शेष हैं ।

(२) तहसील बड़ी सादड़ी में ब्राह्मणिया नामी माल है जो काश्तकारान काश्त कर रहे हैं को टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ व १६ के तहत खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी हैं उनके ५५ नामान्तरकरण खुले जिसमें ४४ खातेदारान को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं, ११ के नामान्तरकरण तस्दीक होना शेष है ।

(३) काश्तकारों को गिरदावरी स्लिपें दी जाती थी लेकिन इस वर्ष नम्बरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक १०-११-६३ के तहत गिरदावरी स्लिप इस वर्ष नहीं जारी हुई ।

ट्रक्स तथा वेगन्स की सप्लाई

२६६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पी० एच० क्यू० के सेण्ट्रल स्टोर्स से जनवरी सन् १९६२ से लेकर अब तक किस किस जिले को कितने डॉज ट्रक्स तथा डॉज पॉवर वेगन कब कब दिये गये ?

(ख) यह ट्रक्स तथा वेगन्स किस किस कीमत में कब किस कम्पनी से खरीदे गये थे और अब तक इनका क्या उपयोग रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि जिलों को यह ट्रक्स दिये जाने से पूर्व प्रेमनाथ मोटर्स को रिपेयर्स के लिये दिये गये थे ? यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे ट्रक्स तथा वेगन्स पर रिपेयर्स के तथा नये पार्ट्स का कुल कितना कितना खर्चा आया है ? कृपया इन नये पार्ट्स की उक्त सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(क) १७ डॉज ट्रक्स व १७ डॉज पॉवर वेगन राजस्थान के विभिन्न जिलों व यूनिट्स को पी. एच. क्यू. सेण्ट्रल स्टोर से जनवरी सन् ६२ से अब तक इस प्रकार अलॉट किये गये हैं:—

Page No. 31

(श्री गृहमंत्री)

नाम जिल व यूनिट्स १		तादाद डॉज पॉवर वेगन २	तादाद डॉज ट्रक ३
१.	जयपुर ..	२	—
२.	सवाई माधोपुर	१	—
३.	सीकर ..	१	१
४.	अजमेर ..	१	—
५.	झुंझुनू ..	—	१
६.	टोंक ..	—	१
७.	भरतपुर ..	—	१
८.	जोधपुर ..	१	१
९.	जैसलमेर ..	—	१
१०.	सिरोही ..	—	१
११	जालौर ..	—	१
१२.	पाली ..	—	१
१३.	नागौर ..	१	१
१४.	उदयपुर ..	१	१
१५.	भीलवाड़ा ..	१	—
१६.	चित्तौड़ ..	१	—
१७.	कोटा ..	१	—
१८.	बूंदी ..	—	१
१९.	झालावाड़ ..	—	१
२०.	बांसवाड़ा ..	१	—
२१.	बीकानेर ..	२	१
२२.	एम. बी. सी. खेड़वाड़ा ..	१	—
२३.	चूरू ..	१	१
२४.	गंगानगर ..	१	—
२५.	जी. आर. पी.	—	१
२६.	पी. आर. ओ.	—	१
	योग ..	१७	१७

(ख) इन डॉज ट्रक्स व डॉज वेगन्स के चैसिस, मेन्युफेक्चरई फर्म मेसर्स प्रिमियर ऑटोमोबाइल्स लि०, बोम्बे के राजस्थान एजेन्ट्स मेसर्स प्रेमनाथ मोटर्स लि०, जयपुर व मेसर्स नेशनल मोटर्स, जोधपुर के द्वारा मार्च, १९६१ में निम्न कीमतों पर खरीदे गये:—

(१) डॉज पॉवर वेगन २१,६३४) रु० प्रति व्हिकल (अतिरिक्त टैक्सेज एण्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के)।

(२) डॉज ट्रक्स २१,४२०) रु० प्रति ट्रक (अतिरिक्त टैक्सेज एवं ट्रांसपोर्ट्स चार्जेज के)।

इन पर बॉडीज तैयार होने पर फरवरी सन् १९६२ में ये प्रश्न १ के उत्तर में बताये गये जिलों एवं यूनिट्स में भेजे गये जहां तब से कानून एवं व्यवस्था के संबंधित कार्यों में काम आ रहे हैं।

(ग) जी हां। बॉडीज बनाने के संबंध में चेसिस लगभग १२ माह तक पड़ी रही, अतः उनको चालू हालत में करने के लिए उनका सर्विसिंग मेन्युफ़ेक्चरई फर्म के सर्विसिंग रेप्रेजेन्टेटिव ने उनके सब एजेन्ट मेसर्स प्रेमनाथ मोटरर्स, जयपुर द्वारा कराया जिस पर कुल ६१८ रु० ३४ न. पै. का खर्चा हुआ। जो पार्ट्स व खर्चा इन गाड़ियों को चालू कराने में हुआ उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

फर्जी खातेदारी का मामला

२६७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रामकिशन)

(१) क्या आनन्दगढ़, तहसील अनुपगढ़, जिला गंगानगर की साढ़े सात हजार बीघा भूमि को संवत् २०१२ की फर्जी गिरदावरी के आधार पर फर्जी खातेदारी दर्ज करने का कोई मामला चल रहा है ?

(२) अगर हां, तो यह मामला कब से कहां और किस के विरुद्ध चल रहा है ?

(३) क्या उक्त खातेदारी २३२ व्यक्तियों के नाम है ? इनमें से कितने सरकारी कर्मचारी और उनके संबंधी हैं ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखा जाय ।

उत्तर

(१) ग्राम आनन्दगढ़, तहसील अनुपगढ़ की खतोनी में फर्जी इन्द्राजात का मामला जेर जांच है ।

(२) यह जांच श्री मुरलीधर नायब तहसीलदार श्री भीमराज व श्री जगन्नाथ कानूनगो एवं श्री लालचन्द, कनिष्ठ लिपिक निस्बत दिनांक १८-१०-६० से की जा रही है ।

(३) जांच के परिणाम के पहिले इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में बांध

२६८. **श्री ललित मोहन** (गोगुन्दा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में सन् १९५० से १९६३ तक कितने बांध बांधे गये जिनकी लागत २५,०००) से २,००,०००) रु० तक की हैं ?

(२) २,००,०००) रु० के ऊपर की लागत के सन् ५० से ६३ तक कितने मौकों की सर्वे हो चुकी है और कितने पर काम चालू है और कितने बांधों पर मरम्मत का काम चालू है ?

उत्तर

(१) सन् ५१ से ६३ तक जिला उदयपुर में १४ व डूंगरपुर में १६ बांध बांधे गये ।

(२) उदयपुर जिले में ३९ कार्यों पर व डूंगरपुर जिले में २१ कार्यों पर सर्वेक्षण किया गया । उदयपुर जिले के २० कार्य व डूंगरपुर जिले के ९ कार्यों पर काम चालू है । मरम्मत का कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न बांधों पर किया जाता है एवं थोड़ा बहुत मरम्मत का कार्य लगभग प्रत्येक बांध पर चलता ही रहता है ।

पुलों व बांधों की योजना

२६९. **श्री जयलाल** (डग) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा व झालावाड़ जिलों में निकट भविष्य में कितने पुल व बांध कहां कहां बनाने की योजना है ?

उत्तर

जिला कोटा में गोपालपुरा बांध योजना गोपालपुरा ग्राम, तहसील किशनगंज व दूसरी खटका योजना, तहसील शाहबाद में बनाने की योजना है । जिला झालावाड़ में मानपुरा योजना ग्राम मानपुरा, तहसील अकलेरा में, दूसरी भीमसागर योजना तहसील असनावर के पास जिसको संकटकालीन स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था, निकट भविष्य में स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वित करने को

(श्री सिंचाई मंत्री)

संभावना है। इनके अलावा १७ योजनाएं कोटा जिले की व १९ योजनाएं झालावाड़ जिले की सर्वेक्षण में हैं जिनकी सूची संलग्न है I। पुल बनाने का कार्य निर्माण विभाग (मकान व सड़क) करता है जिसके द्वारा प्रस्तुत सूची II संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांधों की मरम्मत

२७०. **श्री चौथमल वर्मा** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) अजमेर डिवीजन में कितने बांधे हैं व किन-किन बंधों की मरम्मत कब-कब की गई ?

(२) ऐसे कितने बंधे हैं जिनकी मरम्मत आज तक नहीं हुई है ?

उत्तर

(१) अजमेर डिवीजन में १४१ सरकारी बंधे हैं इन सबकी करीब-करीब हर तीसरे वर्ष मरम्मत की जाती रही है।

(२) प्रायः कोई नहीं।

कर्मचारियों को प्रमोशन

२७१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स बीकानेर में सन् १९६२ में कुछ कर्मचारियों को प्रमोशन देते वक्त कर्मचारियों की सीनियोरिटी व योग्यता का कतई ध्यान नहीं रखा गया ?

(२) क्या विभाग में प्रमोशन के कोई नियम नहीं बने हुए हैं ? अगर हां, तो नियम क्यों नहीं बनाये गये ?

(३) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स बीकानेर में उन प्रमोशन के विरुद्ध कुछ सीनियर व पुराने तथा योग्य कर्मचारियों ने अपीलें कर रखी हैं ? अगर हां, तो कुल कितनी अपीलें हैं और वे कब से विचाराधीन पड़ी हैं ?

(४) उन अपीलों पर अब तक निर्णय क्यों नहीं दिया गया ? क्या सरकार उन पर निर्णय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां, कुछ कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया परन्तु प्रमोशन देते वक्त कर्मचारियों की सीनियोरिटी व योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया।

(२) साधारणतया सीनियोरिटी एवं योग्यता के आधार पर प्रमोशन देने का नियम है।

(३) गत वर्ष के प्रमोशन के विरुद्ध ३४ अपीलें आई थीं व उन पर विचार करके निर्णय करने के लिये सरकार ने एक कमेटी उप-सचिव, स्वास्थ्य, चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स व अकाउण्ट्स ऑफिसर वाटर वर्क्स की बनाई है।

(४) उपरोक्त कमेटी इन अपीलों के मामले में शीघ्र निर्णय लेगी।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत दो नियमावलियां

(सदन की मेज पर रखना)

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ (२) के अन्तर्गत (१) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (ग्रांट ऑफ कॉपीज ऑफ रेकार्ड्स नियम, १९६३ तथा राजस्थान पंचायत समिति (यूज ऑफ व्हीकल्स) नियम, १९६३ सदन की मेज पर रखता हूं।

गैर सरकारी संकल्पों को सदन में वाद-विवाद हेतु लेने विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को विदित है, आज गैर-सरकारी संकल्पों पर विचार किया जायगा। सदन के समक्ष तीन संकल्प हैं, जिनकी व्यवस्था, अगर माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं तो यह हो कि डेढ़ घंटा तो पहले संकल्प पर, एक घंटा दूसरे संकल्प पर और जो समय बचे वह तीसरे संकल्प पर दिया जा सकता है। जो समय निर्धारित हो, डेढ़ घंटा, एक घंटा और जो बाकी समय बचे ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : दोनों संकल्प साथ साथ ले लिये जायं। मैंने दोनों संकल्पों के प्रस्तुतकर्त्ताओं से बात-चीत करली है और वे दोनों सहमत हैं कि इनको एक साथ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तैयार हों तो यह हो सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष : दोनों संकल्पों पर विचार किया जायगा। सरकारी पक्ष के उत्तर देने के लिये आधे घंटे का समय निर्धारित है।

श्री भीखाभाई : कितना समय ?

श्री अध्यक्ष : आधा घन्टा।

श्री भीखाभाई : दोनों के लिए ?

श्री अध्यक्ष : देख लीजिये। दस-पांच मिनट ज्यादा लें तो ले सकते हैं। उस समय तक सीमित रहें तो उचित होगा क्योंकि फिर तीसरे संकल्प और सरकारी पक्ष के उत्तर के लिए थोड़ा समय रह जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा विषयक सदन की सम्मति जानने सम्बन्धी

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधान सभा को यू. पी. असेम्बली के सम्बन्ध में अपने पक्ष की राय देने के लिये तलब किया है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : तलब किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : तलब किया है इस पर जानकारी ...

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल :

मजदूरों एवं कर्मचारी वर्ग का मंहगाई सूचक अंक बढ़ने के साथ, मंहगाई भत्ता बढ़ाने एवं कर्मचारियों को निश्चित राशि तक मंहगाई भत्ता देने विषयक दो गैर सरकारी संकल्प

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आज इस सदन के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए खड़ा हुआ हूं :

"इस सदन की राय में इस बढ़ती हुई मंहगाई में मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिये प्रत्येक मजदूर एवं कर्मचारी को चाहे वह किसी क्षेत्र में कार्य करता हो और चाहे राजकीय क्षेत्र में, वर्तमान वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता आवश्यकीय रूप से मिलना चाहिये जो कि वेतन के उस अनुपात में हो जो कि १९५५-५६ के मंहगाई सूचक अंक और वर्तमान मंहगाई सूचक अंक में अनुपात है तथा भविष्य में जितना यह मंहगाई सूचक अंक बढ़े उसी अनुपात में मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जावे।"

अध्यक्ष महोदय, आज जब कि हम अपने देश में एक नई समाज व्यवस्था बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और अपने देश का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि आज हमारे देश में प्रत्येक वर्ग इन बातों पर विचार करे और इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारे देश में विकास हो रहा है, जो हमारे देश में राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी या हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी होती है, उसका वाजिब हिस्सा हर एक वर्ग को मिले और विशेष तौर पर मजदूर वर्ग, महनतकश वर्ग के कर्मचारी लोगों को जिनका इस देश की आय बढ़ाने में एक प्रमुख हिस्सा है; उनकी ओर इस बात का ध्यान रखें कि इस आय का वाजिब हिस्सा उनको मिले-यह एक बहुत ही वाजिब दृष्टिकोण होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा कॉन्स्टीट्यूशन है, जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, उनमें भी इस बात का स्पष्ट निर्देश है कि हमारी सरकार इस प्रकार के कदम उठायेगी जिनसे हमारे देश के विभिन्न वर्गों में जो डिस्पेरिटी ऑफ इन्कम है, आमदनी के अन्दर जो फर्क है, वह आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाय। इन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अनुसार जो पंचवर्षीय योजनायें हमारे देश में बनाई गई हैं उनके अन्दर भी इस बात को बराबर दोहराया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि हमारे देश में दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी और तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू है। इनमें जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी हुई है या प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी हुई है उसका वितरण डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में जिस तरह का निर्देश है और हमारे विधान में जिस तरीके का निर्देश है या पंचवर्षीय योजनाओं में जिस बात को बार बार दोहराया गया था, उसके अनुसार विभिन्न वर्गों के अन्दर नहीं होता है और इस बात से केवल मजदूर वर्ग ही चिंतित है न केवल वे लोग ह चिन्तित हैं जो मजदूर वर्ग के संगठनों में काम करते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है।

जब पंचवर्षीय योजना पर हमारी लोक सभा में बहस हो रही थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तौर पर कहा कि आज जब हम दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर चुके हैं, हमें इस बात को देखना है कि न केवल हमारे देश की आय में बढौतरी हो बल्कि यह भी देखना है कि उस आय का वितरण किस रूप में होता है। अगर हमारे देश की आय की बढौतरी का केवल देश के पांच प्रतिशत ऊपर के लोगों को लाभ मिले या दस प्रतिशत लोगों को फ़ायदा मिले और ६० प्रतिशत लोग उससे वंचित रह जांय तो इस प्रकार की तरक्की कोई तरक्की नहीं कही जा सकती। इसलिये हमारे देश में इस आय का वितरण देखने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की, जिसका प्रोफ़ेसर महलवीस की अध्यक्षता में निर्माण किया गया है वह अब भी अपने कार्य को जारी रख रही है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों में जो पंचवर्षीय योजनाओं के नतीजे निकले हैं, जो आय में बढौतरी हुई है उस आय के वितरण में मजदूर को, वेतन भोगी लोगों को क्या मिला, जो बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स क्लास है उनको इस दौरान में क्या मिला यह देखें तो बहुत ही आश्चर्यजनक हमारे सामने आंकड़े उपलब्ध होते हैं। अध्यक्ष महोदय, १९५१ से १९६१ तक पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी राष्ट्रीय इन्कम में ४१.५ पर्सेंट की वृद्धि हुई और पर-कैपिटा इन्कम में १६.७ सेंट की वृद्धि हुई है। लेकिन इस वृद्धि का मुख्तलिफ़ वर्गों में किस तरह से वितरण हुआ है इस बात को अगर हम देखें तो जहां तक फैक्ट्री वर्कर्स का ताल्लुक है, जहां तक इन्डस्ट्रियल वर्कर्स का ताल्लुक है उनकी स्थिति का अगर हम अवलोकन करें, अध्यक्ष महोदय, तो हमारे सामने यह भयंकर स्थिति आती है कि इन वर्कर्स को अगर हम १९३९ यानी दूसरी महायुद्ध से पहले के आंकड़ों को इसका बेस मान कर तुलना करें तो यह सामने आता है कि १९३९ में अगर उनकी वास्तविक आमदनी १००) रु० थी तो सन् १९५५ में वह ११३.६ रुपये हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके बाद लेते हैं अगर उसी को बेसिस मान कर तो उनकी रीयल आय दूसरी योजना के बावजूद बढ़ने के घटती गई है। १९५५ में फैक्ट्री वर्कर की रीयल अर्निंग ११३.६ थी वहां १९५६ में १०५.४ हो गई, १९५७ में १०४.१ पर आ गई और १९५८ में १०३.९ पर आ गई और १९५९ में १०२. ८ पर आ गये। इसका मतलब यह कि जो प्री-वार और इस समय उस वर्कर के वेजेज को देखें तो आजादी के बाद सन् १९५५ के बाद हमारे वर्कर की रीयल आमदनी बढ़ने के बजाय लगातार घटती ही जा रही है। अगर आजादी पाने के बाद के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि वह भी दिनों दिन कम ही हुई है। यदि १९४७ को बेस ईयर मान कर चलते हैं तो १९५५ में रीयल अर्निंग १४४.१ थी लेकिन इसके बाद लगातार घटती गई। १९५६ में १३४.६, १९५७ में १३३.१, १९५८ में १२५.९, १९५९ में १२३.९; लगातार यह गिरती ही चली जा रही है। इसका कारण भावों का बढ़ना और मंहगाई का बढ़ना और लिविंग इन्डेक्स के बढ़ने की वजह से नौमेंल वेजेज तो बढ़ गई लेकिन रीयल वेजेज में लगातार बढ़ौतरी की जगह घटौतरी होती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े मैंने पेश किये हैं, न कोई प्राइवेट कम्पनी के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स लेबर ब्यूरो,

Page No. 37

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़े हैं जो मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इन १० वर्षों की इकोनोमिक प्लान के जरिये हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो वर्किंग क्लास है उसकी रीयल वेजेज में कमी होती जा रही है ईयर बाई ईयर। उधर ईयर बाई ईयर अगर हम इन्डस्ट्रियल और बड़े बड़े कैपिटलिस्टों को देखें तो हम देखेंगे कि कुल हमारे देश में ७ ऐसी फ़ैमिलीज़ हैं जिनके पास कन्सेन्ट्रेशन ऑफ़ वेल्थ इस दौरान में बहुत ज्यादा होता चला गया है। इन ७ फ़ैमिलीज में :—

टाटा के पास टोटल ऐसेट्स २६० करोड़

बिड़ला के पास टोटल ऐसेट्स २६१ करोड़

मुफतलाल के पास टोटल ऐसेट्स २३ करोड़

बालचन्द के पास टोटल एसेट्स २० करोड़

महिन्द्रा के पास टोटल ऐसेट्स १४ करोड़

डालमिया जैन टोटल ऐसेट्स ५० करोड़

मार्टिन बर्न टोटल ऐसेट्स ८८ करोड़

इस तरह से इन सात के पास ७७६ करोड़ के ऐसेट्स ऐक्युमुलेट हो गये हैं। अगर इसी तरह सभी बड़ी बड़ी कम्पनीज के ऐसेट्स को इकट्ठा करें तो हमारे यहां कुल मिला कर २८ हजार कम्पनीज हैं उनका टोटल एमाउन्ट २८०० करोड़ होता है और इन ७ फ़ैमिलीज के पास तमाम देश का बहुत बड़ा पैसा ३५ पर्सेन्ट एसेट्स इकट्ठे हो गये हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हम यह देख रहे हैं कि जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स हैं, जो उद्देश्य दिये गये हैं और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य सामने रखे गये उसके विपरीत हमारे देश में एक तरह कॉन्सेन्ट्रेशन ऑफ़ वेल्थ मोनोपोली क्रीयेट होती जा रही है और दूसरी तरफ़ लेबर वर्किंग क्लास की रीयल वेजेज में बढ़ोतरी के बजाय कमी होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये फ़ैक्ट्रीज हैं जिनमें मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों, वर्किंग क्लास को इस बात को सोचने का मौका मिला है कि वह इन्टीग्रल पार्ट हैं अपने राष्ट्र के इसलिये राष्ट्र की उन्नति में पूरा योगदान देना चाहिये और वे राष्ट्र के प्लानिंग में पूरी तरह से योग दे रहे हैं। इसलिये यह उनकी बहुत ही वाजिब मांग हो सकती है राष्ट्रीय नेताओं के सामने कि अपनी सरकार चलाने का अधिकार संविधान के अनुकूल हो। आपके जो पंचवर्षीय प्लान में ऑब्जैक्टिव रखे हैं उनका अमल हो, उनके होते हुए और डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स के होते हुए जो एक्चुअल प्लान इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है, उसका जो परिणाम हो रहा है वह यदि इस रूप में सामने पेश होता है कि एक तबके में कन्सेन्ट्रेशन ऑफ़ वेल्थ हो रहा है और रीजनेबिल आमदनी आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर जारही है तो लाज़िमी तौर से यह गम्भीर प्रश्न है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया और पिछले १० वर्षों में १६७ परसेन्ट की वृद्धि हुई है कोन्स्टेन्ट प्राइसेज पर; तो सामान्य मजदूर का यह क्लेम है कि हमारी इन्डिविजुअल पर-कैपिटा इन्कम अगर इससे ज्यादा नहीं तो उस अनुपात से बढ़ाई जाए, अगर आप इसमें एक्चुअली इनइक्विटेबली इन ब्रिज करना चाहें तो जो दूसरे तबके के मुकाबले में वर्किंग क्लास की,

[श्री रामानन्द अग्रवाल]

कैपिटलिस्ट क्लास की पर-कैपिटा इन्कम में १६७ परसेन्ट से ज्यादा वृद्धि हुई है, उसके अनुपात से ही पर-कैपिटा इन्कम में वृद्धि होनी चाहिये, थोड़ी कम मात्रा में होनी चाहिये लेकिन वह नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो एवरेज पर-कैपिटा इन्कम १६७ परसेन्ट सारे देश के कैपिटलिस्ट की आती है तो मजदूरों को उनका हिस्सा देना तो दूर रहा जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, हम अपने प्लान के जरिये इसमें कम कर रहे हैं और जो दूसरा तबका है उसकी इन्कम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिये यह एक गम्भीर स्थिति है जो सोचने लायक है।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस बात की दलील कई बार दी जाती है कि इन्डस्ट्रियलिस्ट की तरफ़ से इस प्रकार के एकाउन्ट्स पेश कर दिये जाते हैं कि जो मंहगाई भत्ता है जो भी वेजेज हैं, वे प्रोफ़िट के आधार पर ही फ़िक्स हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ इन्डस्ट्रीज को इस दौरान में मुनाफ़ा हुआ है उसको अगर हम देखें तो एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति हमारे सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों का सन् १९५८ से लेकर १९६१ तक का मैंने कुछ कम्पनियों का डिविडेन्ड जो उन्होंने डिस्ट्रिब्यूट किया है, का परसेन्टेज तैयार किया है। जितना रुपया धन्धे में लगाया गया उसके मुकाबले में चार वर्षों में जो मुनाफ़ा डिविडेन्ड के रूप में लौटा दिया उसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं :—

टैलीको	४५ परसेन्ट
बरतानिया बिस्कुटस	८१ परसेन्ट
टाटा आोइल	६६ परसेंट
बंगाल पेपर	६८॥ परसेन्ट
इन्डियन कौपर	६० परसेन्ट
बर्न एन्ड को०	१०५॥ परसेन्ट

जो कैपिटल थी वह भी दे दी और ५॥ परसेन्ट और ज्यादा दिया।

कोनकोर्ड ऑफ़

इण्डिया इन्श्योरेन्स	८० परसेन्ट
बर्मा शैल	६८ परसेन्ट
माथुर मिल्स	१५५ परसेन्ट
न्यू इण्डिया एश्योरेन्स	१६७ परसेन्ट
मैंडम बॉक्स	८५ परसेन्ट
अनिल स्टैंच	६८ परसेन्ट
आम्बिका मिल्स	१५० परसेन्ट

इस तरह देखें, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : ये नैट प्रोफ़िट हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिविडेन्ड जो इन्होंने डिक्लेअर किया है इक्विटी शेयर्स पर तो ये नेचुरली नैट प्रोफ़िट्स ही होने चाहिये। इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने इस दौरान में जब कि वर्किंग क्लास के रीयल वेजेज में गिरावट हुई है। इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने इतना मुनाफ़ा कमाया है कि इन्होंने जितना इन्वेस्टमैंट किया सारी असली रक़म वापिस कर दी है और आधा और मुनाफ़ा इन इन्डस्ट्रीज ने कम कर इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दिया है।

अध्यक्ष महोदय, डिटेल्स में जाय तो यह स्थिति सामने आती है कि जो ग्रौस प्रोफ़िटस हैं, उनका इन्डैक्स नम्बर ४८ में १६८.७ था ५० के आधार को मानते हुए और जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सिक्योरिटीज शेयर्स हैं उनकी कीमतें इस दौरान में उनमें ८० प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले में लेबर के वेजेज हैं, इनके अन्दर रीयल कमी हुई है, उसके आंकड़े मैंने पहले दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लिये लाजमी तौर से यह प्रश्न उठता है और मजदूर वर्ग इस बात से बहुत चिन्तित है, कि जिस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, अगर प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण, किसी आकस्मिक बात के कारण ऐसा होता तो मजदूर वर्ग सीधे तौर पर इतना ज्यादा चिन्तित नहीं होता पर वास्तविकता यह है कि लिविंग इन्डैक्स नम्बर में बढ़ोतरी हो रही है। जो सरकार की प्लानिंग पॉलिसीज हैं, इकौनोमिक पॉलिसीज हैं प्लानिंग की, उसका यह नतीजा है। हम नये नये डैफ़िसिट फ़ाइनेन्सेज कर रहे हैं, हम इतना रुपया इन प्लान्स पर खर्च कर रहे हैं, बाहर के कन्ट्रीज़ से लोन ले रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मनी क्रियेट कर रहे हैं जिस के इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड्स लाजमी नहीं हो रहे हैं, इस वास्ते सरकार उतने एसेन्शियल कोमोडिटीज कन्ज्यूमर्स गुड्स तैयार नहीं कर सकती। हमारे जैसा देश जो बैकवर्ड है जिसको बेसिक इन्डस्ट्री में खर्च करना पड़े, वहां यह स्वाभाविक है कि कन्ज्यूमर्स गुड्स इतनी मात्रा में पैदा न हो सकें जितना कि कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट करें। प्लानिंग का नतीजा इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड्स में निकलेगा भाव बढ़ाने में निकलेगा। इसलिये सरकार को फ़र्म पॉलिसी अमल में लाकर प्राइसेज को स्टेबिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिये और साथ ही जो इम्पोर्टेन्ट तबका है, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला, उस वर्किंग क्लास को उसका इक्विटेबल शेयर मिल जाय, उसका हिस्सा मिल जाय, यह देखना सरकार की पायस रेस्पोन्सिबिलिटी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं हमें पिछले १२ वर्षों का तजुर्बा है, पिछले एक दो वर्षों में कीमतों में मंहगाई इस हद तक बढ़ गई है कि इस प्रश्न को सारे राष्ट्र के सामने बहुत नेशनल इम्पोर्टेन्स के क्वेश्चन के रूप में हमें रखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार के सामने इस क्वेश्चन को पेश करना चाहता हूं क्या आप संविधान के डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल्स के अनुसार, डिक्लेयर्ड घोषणाओं के अनुसार अपनी पार्टी की घोषित नीतियों के अनुसार डैमोक्रेटिक सोशियलिज्म इस देश में बनाना चाहते हैं? क्या आप डिस्पेरिटीज को कम करना चाहते हैं? क्या आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकार इन्कम का वितरण करना चाहते हैं कि जिससे जो अनुपात बढ़ गया है, उसमें कमी आ जाय? यदि हां, तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपके आंकड़े दूसरी तस्वीर रख रहे हैं। तमाम नतीजे दूसरी तस्वीर रख रहे हैं। आज हिन्दुस्तान का, राजस्थान का मजदूर वर्ग इस बात को महसूस कर रहा है कि उसके हितों की सही तरीके से रक्षा नहीं हो रही है इसलिये वह आर्गेनाइज्ड तरीके से मांग करें और अपनी संगठित शक्ति से सरकार को इस बात को कहना चाहिये कि अपनी वाजिब मांगें जिसके लिये सरकार भी वचनबद्ध है, उसे पूरा करना चाहिये। राष्ट्र की इन्कम बढ़ती है तो उसमें उनके रीयल वेजेज में कमी का तो सवाल पैदा नहीं होना चाहिये, जितनी पर-कैपिटा, इन्कम बढ़ती है उसकी डिस्पै-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिटी को कम करने का हैन्डिकैप उनको जो मिलना चाहिये वह मिले।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखें तो, यह स्थिति है कि मजदूर वर्ग इस प्रस्ताव के ज़रिये जो मैंने इस सदन में रखा है, वह सिर्फ़ यह है कि ५५-५६ की क़ीमतों के आधार पर चाहे सरकारी कर्मचारी हों, सरकारी क्षेत्र के मजदूर हों, चाहे निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, या मजदूर हों, उनको ५५-५६ के आधार पर जो तनख़्वाह मिलती थी, उनकी तनख़्वाह में अब किसी क़िस्म की कमी नहीं होनी चाहिये। मैंने अपने इस प्रस्ताव में और बात तो जोड़ी भी नहीं है जिसका कि हर मजदूर और कर्मचारी वर्ग को जायज अधिकार है मांगने का। न सिर्फ़ क़ीमतों की दरों पर उनकी तनख़्वाह में कमी नहीं होनी चाहिये बल्कि उनको एडीशनल वेजेज़ रीयल इन्कम के रूप में, जो पर-कैपिटा आय में बढ़ौत्तरी हुई है, उसका हिस्सा भी उसको मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव सीधे तौर से यह बात कहता है कि ५५-५६ की कीमतों के आधार पर जो इन लोगों की तनख़्वाहें हैं, वे तो मिलें ही इसके अलावा जो मंहगाई भत्ता है उसमें प्रिंसिपली, उसूलन, सिद्धान्ततः इस बात को मान लिया जाय कि ५५-५६ से अब तक मंहगाई सूचक अंकों में वढौत्तरी हुई है, उस अनुपात से मंहगाई भत्ते में ब तेरी कर दी जाय। दूसरी यह बात है कि उसूलन इस बात को माना जाय कि चाहे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला है या निजी क्षेत्र में काम करने वाला है उसको वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता अवश्य मिलेगा। ये दो प्रिंसिपिल्स, प्रोपोज़ीशन्स हैं जिनको मैंने रखा है जिनको मैंने एनविसेट किया है। यह मोडरेट तरीका है जिसके ज़रिये जो रीयल वेजेज़ उसको पहले मिलती आई हैं उनको सुरक्षित करना चाहते हैं? आज मजदूर इस बात की मांग करता है कि उसमें बढोतरी हुई है और सरकार भी इस बात को मानती है तो आज इन दोनों प्रिन्सिपिल्स को मानने में सरकार को इन्कार नहीं होना चाहिये।

आज राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान में ५६ के बाद जो मंहगाई में बढोतरी हुई है उसमें अगर वर्किंग क्लास कन्ज्यूमर गुड्स का प्राइस इन्डैक्स देखें, जयपुर का कन्ज्यूमर गुड्स का प्राइस इन्डैक्स देखें तो ५५-५६ में अगर १०० था तो दिसम्बर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार १४५ हो गए हैं यानी जिस सरकारी कर्मचारी को ५५-५६ में १०० रुपये मिलते थे, जितनी चीज वह उससे ५५-५६ में ख़रीद करता था अब दिसम्बर, १९६३ में वह १४५ रुपये से खरीद कर सकेगा। इससे मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि सन् १९५५-५६ में १००) रु० पाने वाले सरकारी कर्मचारी को वास्तविक तनख्वाह दिसम्बर, १९६३ में १००) रु० के बजाय ६९)रु०हो गई। ३१)रु० उसके तनख़्वाह के कम हो गये। यदि इस प्रकार से यह स्थिति है तो एक बहुत गम्भीरता से सरकार के सोचने की बात है। इस स्थिति में ३१ पोइन्ट मजदूर वर्ग की तनख़्वाहें हैं, कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हो जायें तो उसमें इस प्लानिंग के जमाने में, उनकी रीयल वेजेज कम नहीं होनी चाहिये। इस दौरान में जहां उनकी रीयल वेजेज ३१ [illegible] कम हुए हैं वहां, हमारी स्टेट [illegible] में व तैत्तरी हुई है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह स्टेट इन्कम में बढौत्तरी हम १९५४-५५ के प्राइसेज़ अगर दूसरी पंच वर्षीय योजना के बाद के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें जो स्टेट इन्कम की परसेन्टेज इन्क्रीज़ है, वह २३ परसेन्ट है और पर-कैपिटा इन्कम इन पिछले ६ वर्षों में १९५५-५६ से लेकर १९६१-६२ तक कुल मिलाकर ७ परसेन्ट की पर-कैपिटा इन्कम के अन्दर बढ़ौत्तरी हुई है। इसलिये जो १९५५-५६ में एक गरीब को १००) रुपये मिलते थे तो अगर इस स्टेट इन्कम की पर-कैपिटा बढ़ौतरी का हम एवरेज हिस्सा भी देना चाहें तो उनकी रीअल वेजेज १०० के बजाय १९६१-६२ में १०७ होने चाहिये और अगर डिस्पैरिटी को दूर करने की बात करें तो १०७ के बजाय वह कहीं ११५ और १२० होना चाहिये लेकिन इसके बजाय ११५ और १२० तो कहां १०७ भी नहीं, वह रीअल वेज उल्टे ६६ पर आकर टिक गई है। इसलिये आज राजस्थान का कर्मचारी, राजस्थान का मज़दूर जो इस बात पर चिंतित है इस पर आन्दोलित है इस बात के लिए बराबर सरकार से मांग करना चाहता है, उनकी रीअल वेजेज के अन्दर कमी न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो ये आंकड़े सरकार के सामने स्पष्ट उनकी नीतियों के मुकाबले में कुछ तथ्य रख रहे हैं जिनको खुद सरकार इन्कार नहीं कर सकती, जो भी आज स्थिति है हमारे राजस्थान में उस स्थिति के अनुसार यह सही है कि सरकार कुछ मंहगाई भत्ता देती है, सरकारी कर्मचारियों को भी देती है और मज़दूरों को भी देती है जो फ़ैक्टरीज़ एक्ट के तहत आते हैं और ऐसे उद्योग धंधे हैं जैसे टैक्सटाइल वगैरह जिनमें मंहगाई भत्ता मिलता है लेकिन आज राजस्थान की स्थिति यह है कि राजस्थान में किसी भी उद्योग ने, खुद, सरकार ने भी इस प्रिन्सिपल को आज तक स्वीकार नहीं किया है कि उनका मंहगाई भत्ता, जितना मंहगाई सूचक अंक बढ़ेगा उसके अनुपात से बढ़ेगा राजस्थान सरकार ने इस ४५ पोइन्ट बढ़ने के बावजूद केवल पांच परसेन्ट, ५ रुपया मंहगाई भत्ता बढ़ाया है उसका क्या बेसिस है, राशनल बेस क्या है उसको सरकार एक्सप्लेन नहीं कर सकी, उसके लिए आर्थिक संकट का सवाल सामने रखा है और मज़दूर वर्ग को आज सरकार मजबूर कर रही है, कर्मचारियों को मजबूर कर रही है कि जहां देश के इन बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट के मुनाफ़े ३७१ परसेन्ट तक बढ़े हैं, वहां पर हम कर्मचारियों और मज़दूरों से यह उम्मीद करें कि वे अपनी रीअल वेजेज़ को आर्थिक संकट की वजह से वेज कट को मन्ज़ूर कर लें, कम तनख़्वाहों पर काम करना स्वीकार करें, यह कहां तक उचित होगा, कहां तक संविधान की धाराओं के अनुकूल होगा, कहां डैमोक्रेटिक सोशलिज्म से काम करने की नकल होगी यह खुद सरकार के सोचने की बात है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यह तो बात रही मंहगाई भत्ते की इस इन्डैक्स नम्बर से लिंक न होने की लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि अभी भी बहुत से उद्योग-धंधों में बहुत से कर्मचारियों को सिवाय तनख़्वाह के कोई मंहगाई भत्ता मिलता ही नहीं है। आज ट्रान्सपोर्ट है, आज जो शोप असिस्टेन्ट हैं, इस तरीके से कितनी ही धंधों के अन्दर किसी तरीक़े का कोई भी मंहगाई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भत्ता मिलने का कोई भी प्रिन्सिपल नहीं है। यह सरकार अगर चाहे तो इस प्रिन्सिपल को स्वीकार कराने के लिए क़ानून बना सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क़ानून के अनुसार डीअरनैस अलाउन्स देना अनिवार्य बना सकती है। पिछली फ़र्स्ट ग्रेट वार के बाद यह प्रश्न सबसे पहले इंग्लैन्ड के अन्दर खड़ा हुआ, अमरीका के अन्दर खड़ा हुआ, बड़ा इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट खड़ा हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट को अपनी ताक़त के बल पर यह उसूल सरकार से मन्ज़ूर करवाना पड़ा। हमारे हिन्दुस्तान में में भी बम्बई के बहादुर वर्किंग क्लास ने अपने इन अधिकारों के लिये अपनी आहूति दी और फिर डीअरनैस अलाउन्स को स्वीकार कराया है। हमारे राजस्थान में जो पिछड़ा हुआ है, जहां वर्किंग क्लास कमज़ोर है, इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मज़दूर वर्ग की तादाद बिखरी हुई है, बहुत तादाद में हैं, वहां मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका संविधान यह बात कहता है, आप का प्लान इस बात को कहता है, जब आपकी पार्टी की डिक्लेयर्ड नीति यह बात कहती है और फिर आपके प्लानिंग के नतीजे यह देते हैं कि उनके रीअल वेजेज़ में कमी हुई है तो आप किस बिना पर उनको इन्कार कर सकते हैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए कि उनको मंहगाई भत्ता या एक एडजोस्टिंग लेबर हो जो उनके रीअल वेजेज़ को कम न करने दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हम एक एमर्जेन्सी के दौर से, सरकार कहती है कि गुज़र रहे हैं। हम रक्षा करना चाहते हैं····

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) May I raise a point of clarification, I wanted to know as to how he says that the real wages have been affected ? Now taking the year 1939 as base year, what was the index number and then he should prove how many times the wages have been increased and how many times the D. A. has been increased.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर मन्त्री महोदय उन आंकड़ों को चेलेन्ज करना चाहते हैं तो वह अपनी स्पीच में चेलेन्ज कर सकते हैं। जो भी आंकड़े मैंने दिए हैं। वे मेरे अपने नहीं हैं, मैंने ओथोरिटीज़ से इन आंकड़ों को लिया है और आप डिस्प्यूट करना चाहते हैं, आप अगर दूसरे फ़िगर्स दें इसके मुक़ाबले में कन्टैस्ट करेंगे कि कैसे रीअल वेजेज़ घटे हैं तो मैं उत्तर दे सकूंगा, मुझे भी रिप्लाई का मौका मिलेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस दौरान में जब अपने देश का प्लान्ड डेवलपमेन्ट कर रहे हैं, हमारे देश के सामने सुरक्षा का सवाल है, तो यह ज़रूरी है कि अपने प्रान्तके अन्दर कोई इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट न हो, सरकारी कर्मचारियों में कोई असंतोष न हो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को या लेबर को कोई असंतोष न हो या सरकार उस असंतोष को कम करने के लिए यह रास्ता अपनाना चाहती है कि मज़दूर और कर्मचारी से कहे कि तुम वेज कट को स्वीकार करलो, उन पूंजीपतियों के

Page No. 43

(श्री रामानन्द अग्रवाल) :

प्रोफ़िट्स को जाने दो उनको कमाने दो, तुम देशभक्ति के नाम से वेज कट स्वीकार करलो या यह सरकार और नीति अपनाना चाहती है तो घोषणा करे कि हम किसी तरीक़े से वेज कट न होने देंगे और जैसे मंहगाई बढ़ेगी वैसे मंहगाई भत्ता भी बढ़ेगा और इस वर्किंग क्लास को गारन्टी दे, तो इन्डस्ट्रियल पीस क़ायम रह सकती है, प्रोडक्शन आगे बढ़ सकता है हमारे देश की सुरक्षा आगे बढ़ सकती है और रीअली हम मज़दूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग को अपने साथ में लेकर देश के निर्माण की तरफ़ आगे बढ़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (वनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने अपना एक प्रस्ताव पेश कर रहा हूं और वह प्रस्ताव इस रूप में है :

"राज्य सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस सदन की यह मान्यता है कि जिन कर्मचारियों को २५०) रु० तक प्रति माह वेतन मिलता है उनके वेतन में १ अप्रेल, १९६४ से १०) रुपये प्रति माह की बढ़ौतरी की जावे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को यहां पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिये हुई है कि····

श्री बाल कृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): मैम्बर ऑफ़ असेम्बली भी इसमें हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: वह भी आपके सामने ला रहा हूं। आप बहुत ध्यान से सुनना फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब।

दो-चार साल से जो हालत हमारे देश और राज्य की है, जिस प्रकार से हमारे खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ इन्डस्ट्रीज़ से जो प्रोडक्शन होता है, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं उन सब बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की पे स्केल्स निश्चित कर रखी हैं उनके आधार पर जिन लोगों को ४५) से लेकर २५०)रु० तक तनख्वाह मिलती है उन लोगों की आज क्या हालत है, उन लोगों की जो हालत है उस हालत को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनकी तनख़्वाहों में बढ़ौतरी की जाय।

इसके पहले कि मैं और कुछ बात कहूं मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय ने इसी सदन के अन्दर कुछ दिन पहले अपनी जो पे स्केल्स रिवाइज की गई थी उसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले की पे स्केल्स में और आज की जो पे स्केल्स हैं उनके परसेन्टेज में बड़ी भारी कमी की है। मुझे बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय आंकड़ों का जाल बताने में बहुत माहिर हैं और इस मामले में वे एक आंकड़ा तो पेश करते हैं जिसको कम से कम तनख़्वाह मिलती है, उसको उस ग्रेड का हाइयेस्ट पे का और ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को जो तनख़्वाह मिलती है उनकी पे की जो लोएस्ट रक़म है उसको लेते हैं और उन्होंने बताया कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हायर और लोएस्ट के पे स्केल्स के बीच में २१ परसेन्ट का डिफ़रेन्स है। मैं आपके सामने सारे फ़िगर्स पेश करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में हाइयेस्ट पे जो कि एक सिविल सर्वेन्ट को मिलती है वह है २,७००) रु० महावार। २,७००) रु० हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: एक हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: सब बता दूंगा।

एक तरफ़ एक आदमी है जिसको २,७००) रु० तनख़्वाह मिलती है और दूसरी तरफ़ ४५) रु० तनख़्वाह पाता है आपका एक कर्मचारी उसकी ग्रेड का वह ४५) मिनिमम है और उधर उनकी ग्रेड का २७००) मिनिमम है। दोनों सज्जन की ग्रेड की लोएस्ट रक़म है। हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि २१ परसेन्ट का फर्क है जब कि ७० परसेन्ट का फर्क है।

दूसरा फाइनैन्स मिनिस्टर महोदय फरमाते हैं यह तो एक आदमी है जिनको २७००) रु० तनख्वाह मिलती है। पर मैं उनकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि राजस्थान के अन्दर एक हजार से दो हजार तक तनख़्वाह पाने वाले सज्जनों की संख्या २६० है। २ हजार से ज्यादा तनख़्वाह पाने वालों की संख्या २६ है और सौ रुपये से १ हजार रुपये तक तनख्वाह पाने वालों की संख्या क़रीब १,८१ हज़ार है। तो मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ग्द् जो आप कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ़ एक है जिसको २७००)रु०तनख़्वाह मिलती है, मैं उनकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि जो आपने अपने विभागों के अन्दर पे स्केल्स रखी हैं उनके आधार पर एक-दो विभाग का नक्शा आपके सामने रखना चाहूंगा। पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग के आई. जी. पी. साहब हैं उनको २२५०) रु. तनख़्वाह मिलती है। जब कि उनके उसी डिपार्टमेन्ट के अन्दर डी. आई. जी. पी साहब हैं उनको १६५०) प्लस ७५) रु. पर मन्थ ८००-१००-२००० की ग्रेड है। ये आपके पे स्केल्स हैं जब कि इसी के मुक़ाबिले में इसी डिपार्टमेन्ट में काम करने वाले चपरासी की तनख्वाह है वह ४५) रु है, और कॉन्स्टेबिल की तनख्वाह है वह ५०) रु. है। अगर उन लोगों की पे स्केल्स और हमारी आई. जी. पी. साहब हैं उनकी पे स्केल्स का परसेन्टेज लगायें तो मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि चपरासी की तनख़्वाह से आई. जी. पी. साहब की तनख़्वाह ५० गुनी ज्यादा है और कॉन्स्टेबल की तनख़्वाह से ४५ गुना ज्यादा है, आई. जी. पी. साहब की तनख़्वाह। कौनसा है आपका फ़र्क। आप कहते हैं कि हमने तो २१ परसेन्ट का डिफ़रेन्स रखा है।

श्री अध्यक्ष: २१ टाइम्स।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: २१ टाइम्स।

तो मैं जो आंकड़े बता रहा हूं वे आकड़े सही हैं या वे आंकड़े सही हैं जो २१ टाइम्स की बात करते हैं? आपके बजट में आवश्यक अनुमान दिये गये हैं और छाप कर रखे हैं उन्हीं के आधार पर यह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

साथ ही मैं एक बहुत बड़ी बात अर्ज़ करना चाहता हूं। इतना ही फ़र्क़ हो तो हम मानलें कि यह सही है लेकिन इसके साथ साथ पच्चीस-तीस साल सर्विस करनी पड़ती है एक ग्रादमी को ग्रौर सर्विस करने के बाद सारी सर्विस के पीरियड में जो सारे ग्रचीवमेन्ट्स हैं पे-स्केल्स के ग्राखिर में कितना समय लगेगा इस ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। मैं ग्रर्ज़ करना चाहूंगा कि जिनको ४५) मिनिमम पे देते हैं, ग्राप ग्रन्दाजा लगाइये ग्रापने यहां पर यह लिखा है कि जो मंहगाई भत्ता दिया जाता है वह १५०) रु. तक तनख्वाह पाने वालों को १०) रु. माहवार दिया जाता है ग्रौर १५०) से ३००) रु० तक तनख्वाह पाने वालों को २०) रु. प्रति माह दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह कोई समाजवाद के ग्रार्थिक ढांचे को मानने वाला कोई भी ग्रादमी इसको पसन्द नहीं करेगा कि ज्यादा तनख्वाह मिलने वालों को ग्रधिक मंहगाई भत्ता दिया जाय ग्रौर कम तनख़्वाह पाने वालो को मंहगाई भत्ता कम दिया जाय। मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पैटर्न ग्रॉफ़ सोसाइटी मानने वाली स्टेट कम से कम इस बात को पसन्द नहीं करेगी। इसलिये ग्राप यह कहना छोड़ दीजिये कि हम देश में ग्रौर राज्य में समाजवाद लाना चाहते हैं। ग्राप तो उसका उल्टा चाहते हैं। होना तो यह चाहिये था कि जिनको कम तनख़्वाह मिलती है उनको ग्रधिक मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये ग्रौर जिनको ग्रधिक तनख्वाह मिलती है उनको कम। जिनको ४५) रु. तनख्वाह मिलती है उनके ग्रेड की ग्राख़िरी स्टेज है ७०)। उस ग्रादमी को ७०) रु. ३५ वर्ष बराबर काम करने के बाद मिलेगा। दूसरी पे स्केल है ग्रापकी ७५-४-९५-५-१६०। इसके ग्रन्दर ग्रन्दाज लगाइये ८५) रु. का डिफरेन्स है ग्रौर उसको ग्रचीव करने के लिये १८ साल उस ग्रादमी को लगते हैं जब कि ग्रापने जो पे स्केल्स बड़े ग्रादमियों के रखे हैं ६५०-५०-१२५०। एक ग्रादमी ६५०) रु. से सर्विस स्टार्ट करेगा ग्रौर ग्रपनी पे स्केल्स का ग्राखिर १२५०) रु० खत्म करेगा। १२ साल में १२ साल का फर्क रखा है।

(१०.०० म. पू.)

तो मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि जिसको ग्राप ४५-१-७० ग्रेड देते हो उसको ७०) रु. तक पहुंचने के लिये ३५ वर्ष लगेंगे दूसरी तरफ़ एक व्यक्ति ६५०) रु. मासिक से सर्विस शुरू करता है जिसकी ग्राखिरी पे १२५०) रुपया होगी वह १२ साल में ही इतना ग्रचीवमेन्ट कर लेगा ग्रौर उसके बाद हाई ग्रेड में चला जायगा। ग्राखिर कौन सा सोशियलिस्टिक पेटर्न ग्राप कायम करना चाहते हैं? ग्राप सारे के सारे पे-स्केल्स को देख लीजिये जिसके बारे में ग्राप बड़ी शान ग्रौर शौकत के साथ कहते हैं कि हमने जो नये ग्रेड्स बनाये हैं वह हमारा क़दम सोशियलिस्ट पैटर्न ग्रॉफ सोसाइटी की तरफ़ है। इन सब ग्राधारों पर ग्रापने जो ग्रांकड़े दिये हैं वह मैं ग्रापके समक्ष रखना चाहूंगा। ग्राप देखेंगे राजस्थान के जितने ज़िले हैं, उनमें किस प्रकार से ग्रनाज के भाव बढ़े हैं। यह मैं ग्रापही के ग्रांकड़ों के ग्राधार पर बताना चाहता हूं। ग्रापने बताया है कि ग्रजमेर में व्हीट का भाव १९६३ के ग्रन्दर ग्रख़बारों में ४१ रुपया क्विन्टल था ग्रौर वह १९६४ में ४७ रुपया क्विन्टल होगया। मेरे ख़्याल से यह बिल्कुल ग़लत है। वह ग़लत इसलिये है कि हम बाज़ार से ग्रपने हाथ से ख़रीदकर लाते हैं हमारे ट्रेजरी बैन्चेज़

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पर बैठने वाले हाथ से ख़रीदते नहीं। सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले अधिकारी अपने हाथ से ख़रीदते नहीं, तो उनको भावों का पता नहीं रहता। उस समय व्हीट का भाव ५७ रुपये क्विन्टल था, जो १९६४ में ७४ रुपये क्विन्टल होगया। आपके द्वारा जो आंकड़े विधान सभा में दिये गये हैं वे तथ्य से परे हैं। इन आंकड़ों में आपने जैसलमेर के लिये बताया है वहां ६३ में ५५ रुपये क्विन्टल का भाव था वह बढ़कर ७५ रुपया होगया है। जब कि गंगानगर के अख़बारों के भावों को देखिये। सूरतगढ़ फ़ार्म से मैं खुद ख़रीदकर लाया हूं, आज से क़रीब साल भर पहले की बात है वहां जिस भाव से मैंने ख़रीदा उसका भाव था ५४ रुपया क्विन्टल।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल): आप ५४) रुपया क्विन्टल लाये हैं और हम १८) रुपया मन लाये हैं, आप से अच्छा बीज था। आप जो लाये उसमें आपने अपना ख़र्चा भी जोड़ लिया होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: आप जो कहते हैं मैं उसको ग़लत नहीं मानता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको इतना जोश क्यों आता है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप यदि चार-पांच आदमी जायेंगे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा ही।

एक माननीय सदस्य: आपको तो मुफ्त में भी मिल सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैं इस बात को कह रहा हूं कि सूरतगढ़ फ़ार्म के लिए जो सरकार ने एप्रूव्डरेट बना रखी थी वह ५४ रुपया क्विन्टल थी, न उसमें हमारा खर्च मिला है, आप इस तरह बोलने की कोशिश न करें। गवर्नमेन्ट ने जो भाव निर्धारित करवा रखा था, वहां पर गंगानगर में जो फूड ग्रेन का इन्चार्ज है, उन्होंने उस गेहूं का भाव ५४ रुपया क्विन्टल तय किया था, उसी भाव से मैं खरीद कर लाया हूं। उसमें हमने अपने जाने का पैसा नहीं जोड़ा है। आप इस तरह से क्यों मन्त्री महोदय की चापलूसी करते हैं? आपको मिनिस्ट्री मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कभी आप इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। इससे आपको मिनिस्ट्री मिलने वाली नहीं है?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह भी ठीक है और इधर से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह भी ठीक है। फर्क इतना ही है कि माननीय सदस्य व्यापारी हैं और इधर बैठने वाले व्यापारी नहीं हैं लेकिन आंकड़े दोनों के ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष: और आपके आंकड़े?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपके आंकड़े तो त्रिपोलिया गज़ट से आते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: यह जो फर्क इतना है उसको देखते हुए जहां आपने मंहगाई भत्ते में पांच रुपया वृद्धि की है, यह वृद्धि बहुत कम है इससे ज्यादा भत्ता बढ़ना चाहिये। लेकिन केवल बढ़ोतरी का कहने से बढ़ोतरी नहीं हो जाती, उसके लिये मन्त्री महोदय मुझे पूछना चाहते हैं कि इससे जो बजट में घाटा होगा वह किस प्रकार पूरा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किया जायगा। जो बजट हमारे सामने आया है, उसको देखते हुए जिस प्रकार की राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसका भी हमें खयाल रखना है। अगर आप पांच की जगह दस रुपया बढ़ाते हैं, तो राज्य सरकार के कोष पर अतिरिक्त दो करोड़ रुपये का खर्च होगा। जो राजस्थान में कर्मचारी हैं जो ढाई सौ रुपया या इससे कम वेतन पाते हैं उनकी संख्या २ लाख के क़रीब है। इनका दस रुपया बढ़ा दिया जायगा तो आपके बजट पर दो करोड रुपया अतिरिक्त ख़र्चा आयगा। इसका भी मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में एक बात तो आपसे अर्ज करूंगा वह यह कि स्पेशल पे जो आप अधिकारियों को देते हैं, उसको मैंने देखा है। पहला तो इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये आपके पास कोई नियम नहीं है एक आदमी जो ६५० रुपया मासिक वेतन पाता है आई. पी. एस. है या आई. ए. एस. है उनमें भी आपने फर्क कर रखा है। एक आदमी को आप पचास रुपया स्पेशल पे देते हैं दूसरे को ७५ और तीसरे को १५० देते हैं और इससे भी ज्यादा महरबानी जिस पर हुई उसको २५० रुपया स्पेशल पे दे देते हैं। यह सारा फर्क स्पेशल पे देने का हैं। इसके लिये कैटेगरी होनी चाहिये। नियम होने चाहियें। सिद्धान्त होने चाहिये। किस तरह के अधिकारियों को किस कारणवश इतना रुपया मिलता है? इस बारे में मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूं एडीशनल सैटिलमैंन्ट कमिश्नर हैं जिसको तनख़्वाह देते हैं, जिसका पे स्केल है ५५० से ६५० तक। उसको आप स्पेशल पे देते हैं १५० रुपया प्रति माह। मुझे समझ में नहीं आता जिसको ५०५ रुपया पे और १५० रुपया स्पेशल पे इस तरह से ७०० रुपया देते हैं और जिसका मैक्ज़ीमम वेतन है ६५० रुपया, दूसरे इससे कम पे वाले हैं उनको ७५ रुपया देते हैं और २५० रुपया भी देते हैं वे मिनिस्टरों के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं....

श्री अध्यक्ष : ये बातें आप छोड़ दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दो करोड़ रुपया जो ज्यादा ख़र्च होगा दस रुपया करने से, तो उसके लिये स्पेशल पे बन्द कर देने से २४ लाख रुपया आपको मिल जायगा।

(१०.८ म. पू.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

अगर आप स्पेशल पे बन्द कर देते हैं तो २४ लाख रुपया आपका बच सकता है जो इन लो-इनकम वालों को आप दे सकते हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं आपके पास तीन बोगस डिपार्टमेन्ट्स हैं इनको एक सेकिन्ड में खत्म कर देना चाहिये। इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर १.२६ लाख रुपया ख़र्च करते हैं। ये तीन डिपार्टमेन्ट्स हैं—एक तो को-ऑपरेटिव, सोशल-वैलफ़ेयर, सोशल एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट..

श्री बालकृष्ण कौल : लैजिस्लेचर नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: तो फिर आप कहां रहेंगे?

एक माननीय सदस्य : यह आपके हाथ में नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन तीनों विभागों को मैं बन्द करने के लिये इसलिये कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग जो है, उसका निजी खुद का कुछ काम नहीं वह केवल पंचायतों को और पंचायत समितियों को और कुछ संस्थाओं को समाज कल्याण के लिये पैसा देता है। इसको आप शिक्षा विभाग में मिला सकते हैं। इससे इसमें खर्च होने वाले पैसे की बचत हो सकती है। कुछ हिस्सा इसका विकास विभाग में मिलाया जा सकता है।

दूसरा विभाग भीखा भाई का है उसके लिये चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों उन सबकी इस विभाग के बारे में यह राय है कि इसका पैसा है, वह सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं होता है। इसके अन्तर्गत छात्रावास चलाते हैं....

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : यह विभाग मेरे पास नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बदल गया होगा। मुझे पता नहीं था माफ़ करिये यह विभाग शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये काम करता है। जहां तक इनके द्वारा छात्रावास के चलाने का सवाल है यह भी शिक्षा विभाग के सुपुर्द किया जा सकता है। यह भी पैसा बांटता है। पंचायतों और पंचायत समितियों में यह भी विकास विभाग को दिया जा सकता है।

रहा को-ऑपरेटिव। हम तो इसे बढ़ाना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन की भी रिपोर्ट है और स्टडी टीमों की भी यही सिफारिश है कि इसका सम्बन्ध कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट से होना चाहिये। इससे ज्यादा अच्छा काम होगा। तो इन विभागों के एकीकरण से काफी बचत आपको होगी प्रशासनिक व्यय से लगभग एक करोड़ रुपया आपका बच जावेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने तो एक करने को कहा है, बचेगा कैसे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप अपने अमले को घटावेंगे भी तो सही ही नहीं आपके सैक्रेटेरियट में एक-एक विभाग में ऐसे-ऐसे अफसर हैं, जिनकी तनख्वाह २२०० से २५०० तक हैं और बहुत सी व्यर्थ की पोस्टें आपने बना रखी हैं। जैसे एग्रीकल्चर विभाग है। इसमें डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके अलावा सैक्रेटरी है, डिप्टी सैक्रेटरी है, असिस्टेन्ट सैक्रेटरी है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि इतनी लम्बी-चौड़ी फौज की आवश्यकता क्या है? इनकी टेबल पर कागज नहीं मिलते, बैठे रहते हैं। इसलिये आपको चाहिये कि आवश्यक स्टाफ ही रखें। एक सैक्रेटरी और असिस्टेन्ट सैक्रेटरी, एक डाइरेक्टर और एक असिस्टेन्ट डाइरेक्टर रखें बाकी को आप एबोलिश करदें। आप बिचौलियों को व्यापार में और दूसरी जगह समाप्त करने की बात तो दूसरों के लिये बहुत करते हैं। अपने इन विभागों के लिये करिये न। इससे आपकी एफीशियेन्सी ही बढ़गी। असिस्टेन्ट से कागज तुरन्त सैक्रेटरी के पास पहुंच जावेगा, इन्चार्ज के पास चला जावेगा और निर्णय जल्दी हो जावेगा। तो इससे आप को एक करोड़ की बचत हो सकती है।

(श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया)

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं· · ·

श्री सभापति: Briefly please !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपके इन चार विभागों को पुनर्गठित करिये। वे चार कौनसे ? सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, पशु पालन और राजस्व विभाग है। इनका आपस में एक दूसरे का बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसमें वन विभाग भी मिला लीजिये। ये पांच विभाग हो गये।

अब इनके रिआर्गनाइजेशन की जरुरत क्यों पड़ी ? इसलिये कि इन सबके ऐसे काम हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, संयोजक हैं, इनका अगर संयोजना आपस में ठीक नहीं हुआ तो झगड़े होते हैं। इरिगेशन विभाग है, उसने एक आर्डर कर दिया कह दिया हम तो वसूली करेंगे। अब रेवेन्यू विभाग वाले कहते हैं, नहीं करनी है वसूली। इसमें हिसाब में फर्क है। आपको एक महीने का नोटिस दिया जाता है। आपकी अगर कोई गलती हो गई हो तो इसकी हमारे पास शिकायत कर सकते हैं और जब तक शिकायत करें अपिसे रेवेन्यू विभाग वसूली करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इन पांचों का रिआर्गनाइजेशन करके जितने इनके काम हैं वे योग्य आदमियों के हाथ में दे सकें, ऐसा करिये। और ज्यादा लोगों की छटनी करके लाखों रुपया आप एडमिनिस्ट्रेशन में बचा सकेंगे और आज जो यह कलंक राजस्थान सरकार पर है कि ५४ प्रतिशत बजट का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जावेगा। इनसे आप गरीब लोगों का लाभ कर सकते है जो रुपया इधर से बचे वह उनके फायदे के कामों में खर्च कर सकते हैं और नये नये टैक्सों का भार उन पर आप डालते हैं वह भी डालने की नोबत नहीं आवेगी।

उम्र का एक ५५-५८ का झगड़ा आपने बना रखा है। राजस्थान के अनएम्प्लोयमेन्ट को देखते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है कि आप ५५ के बाद किसी को भी एक्सटेंन्शन दें। हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे वे एफीशियन्ट लोग होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एफीशियेन्ट समझे जाते हैं और ५५ के बाद भी अच्छी तरह से काम करने की हालत में रहते, तो पहले आप क्यों यह बात सर्विस रूल्स में रखते कि नहीं इनको ५५ साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाय। पर जैसा कहा जाता है "साठी बुद्धि नाठी", तो मैं कहना चाहता हू कि आप इनको तरजीह देते हैं, वह सही नहीं है। आप इस पर भी बैठकर विचार करिये।

सरकार एम्पलोईज को फैसिलिटी देती है; पर किनको ? किसको आप पैसा उधार देते हैं ? किनको मकान का लोन देते हैं। जिनकी एक हजार से ज्यादा तनख्वाह होती है उनको। कार खरीदने का लोन भी उनको हो दिया जाता है। १५-२० हजार मकान बनाने के लिये उनको देते हैं, हैसियत के हिसाब से आप देते हैं। मैं पूछता हूं जिसको ४५) मिलता है, ५०) ६०) अथवा १००) मासिक मिलता है उनके लिये आपने मकान की क्या फैसीलिटी दी ? जो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ज्यादा तनख्वाह पाता है वह इन्श्योरेन्स भी ज्यादा का कर सकता है। किसी का पांच है तो किसी का बीस और पच्चीस भी है। इससे ज्यादा लोन का भी फायदा मिलता है। पर गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। आप गरीबों को फैसीलिटी प्रोवाइड करिये।

आप उनसे दस पर्सेन्ट किराया काटते हैं, और उनको अच्छे अच्छे भवन और बंगले देते हैं आप, पर आपने कभी पूछा सौ, दौसौ, सत्तर, पचास पाने वालों को कि तुम कौन से झोंपड़े में क्या किराया देकर जयपुर में रह रहे हो? यह आपको मालूम नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि परसैन्टेज देकर ही हाउस प्रोवाइड करना है तो आप गरीबों को करिये। उनको दीजिये आप रहने लायक मकान, उनके वेतन के परसेन्टेज पर।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप बड़े अफ़सरों से छः घंटे की ड्यूटी लेना चाहते हैं, और चपरासियों से और लाखों छोटे लोगों से आप बारह बारह घंटे नहीं, बल्कि चौबीसों घंटे काम लेना चाहते हैं।

अगर एक चपरासी साहब के घर पर जाकर काम नहीं करेगा तो वह नौकरी में नहीं रह सकेगा। कितने ही लोग उनके घरों पर काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो कि आजादी के पहले भी खराब समझा जाता था और आजादी के बाद भी खराब समझा जाना चाहिये और समझा जाता है—उससे पानी मंगवाते हैं, रोटी बनवाते हैं, घर की सागसब्जी मंगवाते हैं और जो दूसरे घर के काम होते हैं वह चपरासियों को बड़े बड़े अफ़सरों के घरों पर करने पड़ते हैं। आज भी वे बेगार से नहीं छूटे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप आई. ए. एस. और आई. पी. एस. और आर. ए. एस. के सर्विस रूल्स में यह लिखना पसन्द करेंगे कि जो भी अपने सबोर्डिनेट से घर पर काम करवायेगा उसको डिस्मिस कर दिया जायेगा। मेरे ख्याल से आप उनके सर्विस रूल्स में यह नहीं लिखेंगे और वह इसलिये कि सर्विस क्लास आपसे नाराज हो जायेगी तो आपकी कुर्सियां हिल जायेंगी। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आपको इनके सर्विस रूल्स में इस तरह की तरमीम करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

५ मिनट में ही समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : जल्दी ही करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बिल्कुल।

तो मैं यह बात आपसे अर्ज कर रहा था। मैं आपसे एक बात और कहूं कि इस राज्य में जो आपकी फिजूलखर्ची है उसको आप बन्द कीजिए। मैं फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आपके प्रिंटिंग प्रेस में जो यहां जयपुर में है उसके अन्दर २,८०० से ऊपर ऐसे टाइपराइटर्स हैं जो कि १९५९ के साल से लेकर आज दिन तक वहां पर रिपेयर्स करने की हालत में न होने से; उनको वहां पर रख छोड़ा है और वहां पर लोग जैसे रोडवेज की वसेज में से पार्ट्स लेकर दूसरे लोगों को दे दिये, आपकी टाइपराइटस की मशीनों के पार्ट्स निकाल कर लोग लेजाकर बेच रहे हैं……

श्री बालकृष्ण कौल : कहां से ?

श्री उमरावसिंह डावरिया : आपके मुद्रणालय से, आपके गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में से। वहां २,८०० से ज्यादा मशीनें पड़ी हैं। इसके संबंध में मैंने एक कॉल अटेंन्शन नोटिस भी दे रखा है। उन मशीनों को अगर आप डिसपोज़ औफ करें, तो आपको पचास हजार रुपये उन मशीनों से मिल सकते हैं। लेकिन यह आमदनी आप करने के लिये तैयार नहीं हैं। आपके यहां पर जो कागज निकलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में से, कितनी ही रद्दी निकलती है। आज रद्दी का क्या भाव है ? जो रद्दी दफ्तरों में होती है सबको कलैक्ट करके अगर उसका सही उपयोग किया जाये तो लाखों रुपया उसका आ सकता है। आपको मालूम है कि प्रिंटिंग प्रेस की रद्दी सिर्फ ४ आना मन में बेची जाती है। जहां रद्दी का भाव ३० से ३६ रुपये मन तक का भाव है।

तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह फिजूलखर्च को आप बचावें। यह आज राष्ट्र का वेस्टेज है, आप उसको बचा कर रखें और गरीब लोगों को बांट दो। आपके फाइनैंन्सेज़ के ऊपर इसका कोई असर आने वाला नहीं है। आपकी जेब कटेगी नहीं। आपकी जेब में ज्यादा पैसा आयेगा, आपके कार्य में ज्यादा एफीशियेन्सी आयेगी। आपसे लोग ज्यादा संतुष्ट होंगे तो आपके यहां ज्यादा फुर्ती से काम कर सकेंगे। अगर आप यही चाहते हैं कि गरीब गरीबी की ही हालत में रहें, झोंपड़ी में ही रहे और फटे और मैले कपड़े पहनें, उनके लड़कों को एजुकेशन नहीं मिल सके, उनकी औरतें बार बार मारी मारी फिरें इस काम के लिये कि उनको मजदूरी करनी पड़े तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह न तो सोशलिज्म हो सकता है, और यह न डैमोक्रैटिक सोशलिज्म और यह भुवनेश्वर का जो समाजवाद है उसकी कोशिश की उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं इन सबका एक कारण समझता हूं और वह यह है कि आपके यहां बैठने वाले लोग चाहे सेक्रेटेरियेट में बैठते हों, वह एक तबके के आदमी हैं जो कि राजा महाराजाओं के समय के चले आ रहे हैं। आप जो यहां बैठे हैं उसमें मैजोरिटी में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आजादी के समय में को काम नहीं किया और अ क्योंकि हिन्दुस्तान आजाद हो गया और मिनिस्ट्री मिलने लग गई तो आप यहां आ कर बैठ गये। यह फर्क मैंने बताया औफिशियल्स के लिये। मैं नोन-ऑफिशियल्स की भी बात करना चाहता हूं। जिस लैजिस्लेशन की बात आपने कही, आप नॉन-ऑफिशिल्स में भी फर्क रखते हैं। पंचायतों का प्रधान होगा उसको १५०) रु० अलाउन्स देना चाहते हैं और राजस्थान को। जो चीफ मिनिस्टर है, उसको आप १५०० रुपये तनख्वाह देना चाहते हैं। यह आपने कौनसा समाजवाद सीखा ? एक मैम्बर तो २५०) रु० ले और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स को ५-५ हजार रुपये तक खर्च करने की फैसिलिटी हो। आपने सर्विस क्लास में ऐसा किया। नौन-ऑफिशियल्स में आप ऐसा करोगे तो यह कौनसा समाजवाद है ? आप भी नीचे आइये और नीचे वालों को ऊपर ले जाइये। इस बात की कोशिश करते हैं कि एक आदमी सोशल वर्क करते हुए भी दूसरा काम करे—उसको मत करने दीजिये। वह जनता की ज्यादा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

में ज्यादा ईमानदारी के साथ रह कर काम कर सके और अपने काम को सही अन्जाम दे सके इस तरह की एफीशियेन्सी नौन-औफिशल्स में लाइये ताकि यह जो रोज प्रमुख, पंच-सरपंच, के घोटाले होते हैं वे न हों।

सिर्फ एक बात और मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने टूरिस्ट्स विभाग को क्या यह फेसेलिटी दे रखी है कि राजस्थान में कहीं रैस्टोरेन्ट खुले तो उसको रुपया उधार दिया जाये ? आपने कभी नहीं सुना होगा होटल्स को उधार देने की बात। आप कहते हैं कि हमारे यहां फौरिन टूरिस्ट्स आते हैं, इसलिये उनके लिए सुन्दर और शानदार होटल होने चाहियें। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि चेटक सर्किल उदयपुर के अन्दर क्वालिटी रैस्टोरेंट होटल जो बनाया गया है उसको ४०-४५ हजार रुपया किस फण्ड से उधार दिया ? रैस्टोरेंट्स को उधार देने की बात आपके बजट में कहां लिखी है ? और यह भी बताने की कोशिश करें कि इस क्वालिटी होटल का मालिक कौन है ? वह सपूत श्री माणिक्यलाल जी वर्मा के जंवाई हैं और जो क्वालिटी होटल दिल्ली के भी मालिक हैं। इसलिये आपने उनको ४०-४५ हजार रुपये उधार दिये क्वालिटी रैस्टोरेंट को चलाने के लिये। मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह की जो पक्षपात-पूर्ण बात करके हमारा इतनी बड़ी तादाद में रुपया फालतू खर्च करते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं जो डिजर्व नहीं करते—क्या वित्त मंत्री महोदय ऐसे फण्ड्स को चायेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय चेयरमैन महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार २५०) रु० से नीचे तनख्वाह पाने वाले य वहां तक पाने वाले लोगों के साथ अन्याय न करे। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि जो मैंने तरमीम पेश की उन पर अमल करके रुपया बचाया जाये और इन लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाय ताकि वे लोग ठीक से रह सकें और आपके सैक्रेटेरियेट में जो इनएफीशियेन्सी आपकी सर्विसेज में हैं वह भी इतनी बड़ी खाई होने की वजह से है.....

श्री सभापति : That will do

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह उनके आपसी घोटाले की वजह से होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सर्विसेज में असंतोष व्याप्त है और यह तभी दूर हो सकता है जब कि असमानता की जो खाई डाल रखी है, उसको आप कम करें और ऊंची तनख्वाहों को आप निर्धारित करें और नीचे की तनख्वाह १०० से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिये माननीय चेयरमैन महोदय, मैं हाउस से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे इस रिजो-ल्यूशन में बहुत तथ्य है, और इसलिए इसको मन्जूर करने की कृपा की जाये।

श्री सभापति : देखिये, अब बोलने वाले ६-७ सदस्य होंगे और समय एक घंटा ही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक घंटा ही क्यों ? दो घंटे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : दो रिज़ोल्यूशन साथ साथ ले लिये हैं ।

श्री सभापति : फिर भी डेढ़ घंटा ही है । एक एक सदस्य १५–१५ मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे ।

[दोनों संकल्पों पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:--

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : संकल्प के अन्तिम वाक्य के बाद ये शब्द और जोड़ दिये जायें:--

"जब तक के लिये इण्टेरिम रिलीफ के नाम से जिन कर्मचारियों व मजदूरों को २५०) रु० तक प्रतिमाह वेतन मिलता है उनके वेतन में १ मार्च, १९६४ से १०) रु० प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाये ।"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : संकल्प के अन्त में निम्न जोडा जाये:--

"मंहगाई सूचक अंकों को वैज्ञानिक तरीके से ठीक कराया जाकर मंहगाई भत्ता उनके आधार पर लिंक किया जाये ?"

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : "अंक व शब्द '२५०) रु० तक, के स्थान में अंक व शब्द '५००) रु० से कम' जोड़ दिये जायें। तथा अन्त में यह जोड़ा जाय-'और बढ़े हुए अंक को तब तक कम नहीं किया जाय जब तक समस्त कर्मचारियों का वेतन अनुपात १:१० न हो जाय ।']"

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी, आपकी इजाजत से कई बार इस विषय पर बोलने का मौका मिला कि हमारी स्टेट में और हिन्दुस्तान में कीमत बढ़ीं और उस बढ़ने का असर किस पर पड़ा ? किन लोगों ने मुनाफा कमाया और किनको नुकसान हुआ ? सरकार ने इन बातों को महसूस किया और महसूस करके कुछ कदम उठाये हैं और कुछ कदम उठाने जा रही है । एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण हुआ । उसके टर्म्स आॅफ रैफरैन्स तय किये हैं, और यह कहा गया कि तीन महीने के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे ।

इसके पहले कि मैं इस मजमून पर अपनी बात कहूं मैं सोचता हूं कि यह इण्डैक्स का सवाल, कीमतों की बढ़ोतरी का सवाल है इसको किस बेसिस पर बिठाया जाय मंहगाई भत्ता; जैसे कीमतें बढ़ें उसके मुताबिक बढता जाय, यह एक टैक्निकल विषय है । आज चाहे हम कन्जूमर्स प्राइस इण्डैक्स को लें, चाहे होलसेल प्राइस-इण्डैक्स को लें, चाहे कोई Basic year मानें, सन् १९४९ को मानें या सन् ५२ को मानें या ५५-५६ को मानें, मैं सोचता हूं कि इण्डैक्स के फ्रॉड की कहानी क्या है ? इण्डैक्स कैसे यह बना ? इसका बेसिस जो यह हमारे सामने आया है कैसे यह बेसिस हुआ ? कैसे नजर में आया ? यह बताता हूं। सबसे पहले ६ अगस्त, ६२ को दिल्ली में एक कान्फ्रेंस हुई । इंडियन लेबर कान्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी । हमारे माननीय नन्दाजी उसको प्रिसाइड कर रहे थे तो मजदूरों के नुमायन्दों ने कहा कि हमारे इण्डैक्स में फ्रॉड है । कीमतों की बढ़ोतरी को इण्डैक्स रिफ्लैक्ट नहीं करता

(श्री केदारनाथ)

है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं यह इण्डेक्स उसको रिफ्लक्ट नहीं करता है। इसलिए यह इण्डैक्स सही नहीं है। यह बात सबसे पहले ६ अगस्त, सन् ६२ को दिल्ली में उठाई गई। उसके बाद सरकार ने इस बात को नहीं माना और नहीं मानने के कारण मजदूर इकट्ठे हुए और सबसे पहले बम्बई के मजदूरों ने सारे हिन्दुस्तान के मजदूरों को रोशनी दिखाई और २० अगस्त को बम्बई बन्द के नाम से हड़ताल की गई। तबसे हमको और दूसरे लोगों को मालूम पड़ा कि इण्डैक्स का फ्रॉड क्या है। इसलिए मैं आपकी इजाजत से यह बात कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़े कन्जर्वेटिव पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन हैं, उन लोगों ने अगस्त में यह कहा और अपना सर्वे किया। जो कन्जर्वेटिव हैं, उन्होंने यह इत्तिला दी कि हमारे यहां कीमतों में १५ से लेकर ४० प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसके बाद में हमारी सरकार ने ऑल इंडिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डैक्स के बारे में रिपोर्ट शाया की तो सेप्टेम्बर ६२ में १३४ पॉइन्ट और सैप्टेम्बर सन् ६३ में १३७ पॉइण्ट था। सिर्फ तीन पॉइण्ट की बढ़ोत्तरी हुई। इसके बाद में इसी पर लन्दन इकोनौमिस्ट में १२ अक्टूबर, १९६३ को कमैण्ट किया गया:—

"How could the cost of living ndex fall while everyone knew that the prices were rising, while even the official All-India index of wholesale food prices were rising. The answer was partly that the Bombay index was 30 years old which meant that some of the weightings were inaccurate. But more significantly, the prices used for the index were those at which the food and textiles, for instance, should have been available but in fact were not. The housewife was quite correct when she knew more about cost of living than the economist did."

इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से इण्डक्स कलेक्ट किये जाते हैं, कम्प्यूट किये जाते हैं, किस तरीके से प्राइसेज का डेटा इकट्ठा किया जाता है और हमारे लेबर डिपार्टमेंट के मार्फत वह गलत तरीके से होता है। इसलिये यदि यह टैक्निकल एरर होती, इण्डैक्स के फ्रॉड की बात महज कोई मामूली गलती हुई टैक्निकली, तो बरदाश्त कर लेते। माननीय सभापतिजी, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। लेबर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ बड़े बड़े एम्प्लौयर्स दोनों ने इकट्ठे होकर ऐसे आंकड़े हमको दिये, ऐसे इण्डैक्स हमारे सामने पेश किये और इस तरह से गलत तरीके से कलेक्शन ऑफ डैटाज एण्ड फिगर्स हुए ताकि मजदूरों को रीयल वेजेज नहीं मिलें। एक तरफ मुनाफा बढ़ गया और दूसरी तरफ रीयल वेजेज कम होती गईं। इससे मजदूरों में असंतोष आया, उन्होंने प्रदर्शन किये। यह दोनों की साजिश थी कि रीयल वेजेज में बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं सोचता हूं कि बम्बई के मजदूरों ने रोशनी दिखाई। इसलिए इसमें क्या कमी थी; एक सीमित समय है और यह एक टैक्निकल विषय है। मैं आपकी इजाजत से दो-तीन बातें बताना चाहता हूं।

अब सरकार इस बात को मानती है कि कीमतें बढ़ी हैं। सरकार इस बात को

(श्री केदारनाथ)

मानती है कि इण्डैक्स में रिएडजेस्टमैंट होना चाहिए । अगर आज हम इण्डैक्स के बेस ईयर को सन् ५२ मानें तो हमारे यहां जयपुर में, भीलवाड़े में, ब्यावर में बेस ईयर अलग अलग हैं । मगर मुद्दे की बात यह है कि जब तक हम पुराने इण्डैक्स को कुछ करैक्ट नहीं करते, पुराने इण्डैक्स के आधार को ठीक नहीं करते, तब तक इतनी सारी की सारी एन्क्वायरी, सारे का सारा रिएडजस्टमैंट कोई कीमत नहीं रखेगा और कोई बेसिक फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मंहगाई भत्ते में और हमारी कीमतों के इण्डैक्स में । इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें फ्रॉड क्या है, वह कमी क्या है ? कमी यह है कि जब भी कमेटी बैठती है तो पुराने इण्डैक्स के आधार को मान कर कुछ गलतियां करती है । वह क्या हैं ? हम सोचते हैं कि हमारे मजदूरों की फेमिली के बजट का सर्व करेंगे तो कौन सा हमारे सामने पैटर्न हो । बारह साल के बाद में मजदूरों का टैस्ट बदला, उनकी फेमिली की गिनती बदली, और जो चीजें वे पहले खाते थे, कन्ज्यूम करते थे उनका पैटर्न भी बदला । अगर ये सही चीजें मानें तो हमको मालूम पड़ेगा कि फेमिली बजट का सर्वे क्या है ? कैसे रियल वेजेज में कमी हुई, कैसे कीमतों की बढ़ोतरी ने फेमिली की इनकम पर असर डाला; तो सही नक्शा सामने आ जायेगा । वे क्या करते हैं लेबर डिपार्टमेंट वाले कि जब इसका सर्वे करते हैं तो सन् १९५२ के आधार पर जो क्लोदिंग में बढ़ोतरी हुई उसको नहीं मानते हैं; शर्ट्स, धोती, साड़ी में जो बढ़ोतरी हुई है कीमतों में उसको वैसे का वैसा रखते हैं । सबसे बड़ा फ्रॉड तो यह है कि उसको नहीं गिनना है । फेमिली बजट के सर्वे में क्लोदिंग की जो प्राइस बढ़ी है उनको नहीं मानते हैं ।

दूसरी बात वह कहते हैं क्योंकि व्हीट बाहर से आता है और मजदूर वर्ग जो यह हमारा असली व्हीट है, जो इण्डीजिनस व्हीट है, जो हमारे यहां पैदा होता है उसको कन्जूम नहीं करता है । यह गलत चीज है इसलिए बाहर के व्हीट की कीमतों को लगा कर वे यह सोचते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ी हैं । मैं आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि कितने मजदूर ऐसे हैं कि जो बाहर का व्हीट खाते हैं ? इसलिए जरूरत है कि व्हीट जो हमारे यहां का है उसकी कीमतों को लगाया जाय जब कि फेमिली बजट का सर्वे करेंगे तो ।

तीसरी बात घी के बारे में यह कहते हैं कि उसका सब्स्टीट्यूट पैदा हो गया है । कोई मजदूर असली घी नहीं खाता है । यह कहना गलत है । यह मैं मानता हूं कि सब नहीं खाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है कि असली घी खाते ही नहीं हैं । आप मजदूरों की झोंपड़ियों में जायेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अब भी ३५ पर्सेन्ट मजदूर वर्ग असली घी खाता है । इसलिए जब घी की कीमत को जोड़ते हैं तो डाल्डा की कीमत को जोड़ देते हैं ।

चौथी बात भी यही है कि हाउस रेंट में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कलैक्ट नहीं करते हैं, उसको इन्क्लूड नहीं करते । क्या कारण है ? मैं अब भी अर्ज करना चाहता हूं कि ६ से १८ पसन्ट की बढ़ोतरी हुई है । इसलिए जब इण्डैक्स का रिएडजस्टमेंट

Page No. 56

(श्री केदरनाथ)

करें तो इसमें हाउस रेंट की जो बढ़ोत्तरी होती जा रही है इसको भी ध्यान में रखें। इसमें मैडिसिन व सफर खर्च भी बढ़ा है, include किया जावे।

और आखिरी बात यह है कि जिस प्रकार से फेमिली बजट का सर्वे करते हैं, इण्डैक्स फ्रेम करते हैं तो जो बुनियादी उसूल हैं, साइन्टिफिक उसूल हैं उसकी लाजिमी अवहेलना होती है, क्योंकि ऑफिशियल्स के हाथ में यह चीज है। उसमें मैं सोचता हूं कि एक एडवाइजरी कमेटी हो जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के नुमायन्दे हों, लेबरर्स के नुमायन्दे हों, एक्सपर्ट इकोनौमिस्ट हों। वे सारे इकट्ठे होकर उसको करें। उनके हाथ में छोड़ दिया जायगा तो कुछ न कुछ सही प्राइसेज हमारे सामने आयेंगी, सही नक्शा हमारे सामने आयेगा और सही इण्डैक्स का निर्माण होगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बात को मानते हुए कि प्राइसेज बढ़ी हैं, अपने कुछ फंडामैण्टल्स के अनुसार, मंहगाई भत्ते में ५) रु० की राहत लोगों को राहत के नाम से दी है। मैं सोचता हूं कि यह इनए-डिक्वेट है। लेकिन अब तक राजस्थान में जो प्राइवेट इण्डस्ट्रीज के ऐम्प्लौयर्स हैं, उन्होंने इस बात को नहीं माना है। सरकार की इस पॉलिसी को उन्होंने नहीं माना। जो स्टार्डिग स्केल्स आज p.ivate employees मानने को तैयार हुए हैं वह बम्बई में सैकण्ड वर्ल्ड वार के समय लागू हो गई थी। मसला यह है कि जितनी कीमतें बढ़े, उस हिसाब से मंहगाई भत्ते का प्रौपरली न्यूट्रलाइजेशन हो। हमारे सामने प्रश्न यह है कि टैक्निकली कीमतों के बढ़ने के साथ ही साथ मंहगाई भत्ता बढ़ाता जाय और रीयल वेजेज में कमी न हो। यही बात लाजमी तौर से सरकार को और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को माननी चाहिये। जो सरकार विश्वास रखती है समाजवाद में, इसको चलाने में आस्था रखती है और अपने सारे के सारे प्लान को इस तरह से चलाना चाहती है, तो सरकार को एश्यौरेंस देना चाहिये और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमने जो फंडामेण्टल्स तय किये हैं, उनके अनुसार चलना है। मजदूरों का सैक्शन है, उनमें जितनी पोपुलेशन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो प्राइवेट इण्डस्ट्रीज में काम करता है, उन पर इसका असर नहीं है। बार बार आप ऐम्प्लोयर्स की मीटिंग्ज बुलाते हैं, ५) रु० मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करने के लिये। लेकिन एम्प्लौयर्स आप की बात को नहीं मानते। वे इस तरह से कहने से बात नहीं मानते। जैसे पंडित नेहरू ने राजा-महाराजाओं से कहा था कि वे स्वतः प्रीवीपर्स छोड़ दें और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजा-महाराजाओं से कहा था कि उनको जो सहूलियत बिजली और पानी में मिलती है उस रियायत को वे अपने आप छोड़ दें। लेकिन वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह से आपने प्राइवेट इण्डस्ट्रीज के ऐम्प्लौयर्स को भी छूट दे रखी है। इस तरह छूट देने से वे मंहगाई भत्ता बढ़ाने वाले नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार सख्त हो, वरना सभापति महोदय आपकी इजाजत से यह हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि मजदूरों की यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है। हो सकता है कि इसी महीने के अन्दर अन्दर सारे राजस्थान में हड़ताल हो और प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम करना बन्द करदें। आप स्वयं छूट देते हैं, बिजली के नाम से, पानी के नाम से, लोन के नाम से

(श्री केदार नाथ)

छूट देते हैं, प्राइसेज के नाम से छूट देते हैं, एरियर के नाम से छूट देते हैं और हर तरह से उनको छूट देते ही रहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि आप राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइ-जेशन करना चाहते हैं, हम भी मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये। लेकिन इसके साथ यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिये कि मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी ताकत है, उसको निगलेक्ट किया तो राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिये इस बात को लेकर लाजमी तौर से सरकार को इंडस्ट्रियलिस्टों से कहना चाहिये कि अगर १५ दिन के अन्दर अन्दर मजदूरों के मंहगाई भत्ते में ५) रु० माहवार की बढोत्तरी नहीं की तो सरकार तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। यदि आप यह काम नहीं कर सकते हैं तो आप मजदूरों को छूट दीजिये। वे २४ घंटों में इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को सबक सिखा देंगे लेकिन आपकी पुलिस इंडस्ट्रियलिस्ट्स का साथ देती है। लेबर डिपार्टमेंट उनके साथ है। फिर आपस में कंसीलियेशन होता है, मामला ट्रिब्यूनल को सौंप देते हैं और मामला ३ साल के लिये पीछे पड़ जाता है। आप मजदूरों की ताकत को समाप्त करते हैं, उनकी रिवौल्यूशनरी अरजेज को समाप्त करते हैं। आपका लेबर डिपार्टमेंट उस तरीके से पेश नहीं आता जिस तरीके से उसको पेश आना चाहिये। यह बात आखिर में कह कर, क्योंकि समय नहीं है, कि लाजमी तौर पर सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कंपैल करें कि उनकी मांगों पर ध्यान दें।

साथ ही साथ सरकार ने जो एक्सपर्टस कमेटी बैठाई है उसके जो टर्म्स ऑफ रैफरेन्स हैं, उनसे कदापि सब्सटैन्शियल मुनाफा नहीं होगा। जब तक सरकार प्राइवेट इण्डस्ट्रीज के मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको और खेती बाड़ी में काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनको भी शामिल न कर लें उन सब कपड़ा, सीमेंट व सुगरमिलों के मजदूरों पर यह सेण्ट्रल वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हों। वरना राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे आपके उद्देश्य हैं मजदूरों के द्वारा पैदावार बढ़ाने का, इसमें शक नहीं कि वह फेल होगा। मजदूर लड़ाई लड़ने को आमादा हैं यदि सरकार समय पर नहीं चेतती है।

श्री सभापति : Shri Y. N. Handa. I hope you will finish within 15 minutes. First bell will be rung at 12 minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, आज कुछ मुख्य विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें एक प्रस्ताव डीयरनैस अलाउन्स कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डैक्स के अनुसार बढ़ाने का है। और एक प्रस्ताव २५०) रु० तक के कर्मचारियों की तनख्वाह में १०) रु० तुरन्त बढ़ोतरी करने का है। मैंने एक अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किया है वह अमेण्डमेण्ट कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डैक्स के फ्रॉड की ओर संकेत करता है। जिससे मेरा तात्पर्य यह है कि कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डैक्स ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया गया है। जिस कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डैक्स को हम भारतवर्ष में स्लाइडिंग स्केल में डीयरनेस अलाउन्स देने के सिलसिले में आधार बनाते हैं और जिस प्राइस इण्डैक्स को हम डीयरनैस अलाउन्स को लिन्क अप करने की बात कहते हैं, वह फंडामेण्टली फ्रॉडुलैण्ट है, गलत है, और वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

(श्री योगेन्द्रनाथहांडा)

प्राइस इण्डैक्स को कंपोज करने के ल जन कीमतों को लेना चाहिये वे कीमतें वास्तविकता से मेल नहीं खाती हैं । एक हाउस वाइफ, चाहे वह छोटे कर्मचारी की हो, चाहे मजदूर की हो या मध्यमवर्ग की घरवाली हो, वह जिन कीमतों का सामना बाजार में करती है । और जिनके आधार पर वह अपना फेमिली बजट बनाती है, घर का खर्चा चलाती है उन कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डैक्स में और वास्तविकता में कोई तालमेल नहीं है । वास्तविकता से वह बहुत दूर है ।

सभापति महोदय, नेशनल सैम्पल सर्वे ने, जो देश के आंकड़े इकट्ठे किये हैं, देश के लोगों की कितनी कितनी आमदनी है ? किसकी कितनी इन्कम है ? तो देश में ६० मिलियन पीपल की ५ आना पर डे आमदनी है । इस भारतवर्ष में ४० मिलियन लोग ४ आना प्रति दिन की आमदनी पर जीवित हैं और २० मिलियन लोग केवल २ आना प्रति दिन की आमदनी पर जीवित हैं । ये नेशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़े हैं । सभापति महोदय, देश की यह स्थिति है और इस स्थिति में यदि मैं तीन पांच साला योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करूं तो हमारी मिक्सड इकोनोमी में, जिसमें एक प्राइवेट सैक्टर है और एक पब्लिक सैक्टर है, सरकार की जो मिक्स्ड इकोनोमी है उसके डैफिसिट फाइनेंन्सिग के आंकड़े उपस्थित करूं तो पहली योजना में ५००) तक दूसरी में १०००) से १२००) तक और तीसरी में ये आंकड़े १६००) तक चले जाते हैं । इतने डैफिसिट फाइनेंन्सिग के बाद, यह इकोनोमी का तथ्य है । समाज में इन्फ्लेमेंटरी फोर्सेज आती हैं । जब हमने इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ा दिया तो उसको बीट डाउन करने के लिये कोई चीज थी तो कन्ज्यूमर्स गुड्स का प्रडक्शन ही एक मात्र चीज थी जिससे इंफ्लेमेंटरी फोर्सेज व इंफ्लेमेशन को बीट डाउन कर सकते हैं । समाज की फोर्सेज जो तमाम जिन्दगी भर संकटपूर्ण स्थिति में बिताते हैं, उनके संकट को बीट डाउन करने के लिये कन्ज्यूमर्स गुड्स बढ़ाना जरूरी था । और कन्ज्यूमर्स गुड्स व एग्रीकल्चर गुड्स का विशिष्ट स्थान है । उसके जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत बड़ी घटोतरी हुई है । हमारा प्रोडक्शन ३.३ सन् ६२-६३ में घट गया और ६३-६४ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और भी कम हुआ । सभापति महोदय, इसमें केवल चावल का प्रोडक्शन ८ पर्सेण्ट कम हुआ, शुगर और व्हीट में १.५ पर्सेण्ट की कमी हुई और जो अवेलेबिलिटी सीरियल्स और पल्सेज की पर डे थी वह भी रिड्यूस हो गई । जो सीरियल्स १३.८ आउन्स अवेलेबल थे वे घट कर १३.२ आउन्स अवेलेबल हो गये और जो पल्सेज २.२ आउन्स अवेलेबिल थी वह २ पाईण्ट अवेलेबिल होने लग गई । सभापति महोदय, एक ओर तो २ अक्तूबर, १९६२ के बाद देश के अन्दर कीमतों का एकदम उभार आया, पिछले वर्ष के अन्दर यह कीमतें एकदम ज्यादा बढ़ीं कि स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपरों ने भी इन कीमतों की वढ़ोत्तरी को १५ पर्सेण्ट से लेकर पिछले वर्ष ४० पर्सेण्ट बढ़ोत्तरी माना है और हमारी सरकार के सारे कहने के बावजूद फौरिन पेपर्स की ओपिनियन लें तो लन्दन इकोनोमिस्ट ने भी इसको एबनोर्मल वढ़ोत्तरी माना है । सरकार के सारे प्रयत्नों के बावजूद, प्राइस इण्डैक्स को डिफैण्ड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करने की कोशिश करने के बावजूद यह पेपर्स क्या कहते हैं । ये पेपर्स वे पेपर्स हैं जिनको पूंजीपति पेपर कह सकते हैं, यह असेसमेण्ट है कि १५ से लगा कर ४० पर्सेण्ट तक बढ़ोत्तरी होती है । और लन्दन इकौनोमिस्ट की जो रिपोर्ट है उसका एक स्टेन्जा पढ़ कर सदन में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस इन्फ्लेशन की ओर संकेत करता है :

"How could the cost of living index fall while everyone knew that the prices were rising, while even the official all India index of wholesale food prices were rising. The answer was partly that the Bomday index was 30 years old which meant that some of the weightings were inaccurate But more significantly, the prices used for the index were those at which the food and textiles, for instance should have been available but in fact were not. The housewife was quite correct when she know more about cost of living than the economist did."

यह, सभापति महोदय, लन्दन इकोनोमिस्ट का एक स्टेन्जा है । इसके अलावा मैं संकेत करूं आपको, जो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ मिनरल लेवर इन्क्वायरी कमेटी है उसने अपनी पहली रिपोर्ट के अन्दर खनिज इन्क्वायरी कमेटी ने यह सबमिट कर दिया है, जो चीजें इस प्राइस इण्डैक्स के अन्दर काउण्ट करनी चाहिये और जो चीजें बहुत अहमीयत रखती हैं, वह प्राइस इण्डैक्स के कैलकुलेशन के अन्दर काउण्ट नहीं कीं—जैसे चिलीज, जैसे साल्टस, जैसे क्लाथ्स, रफ क्लाथ्स, मैडीशन्स, ट्रैवलिंग । यह इम्पोर्टेण्ट आइटम्स हैं, जो लाजिमी इसमें काउण्ट करने चाहिये थे, उनको भी काउण्ट नहीं किया और हमने प्राइस इण्डैक्स को फार्म किया । इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय मैं संकेत करूं कि स्टैंडिंग कमेटी आफ दी इंडिया लेबल कान्फ्रेन्स की १५ अगस्त १९६३ को मीटिंग हुई उसमें भारत के सारे मजदूर संगठन थे—चाहे इण्टक, चाहे एच. एम. एस. आये, ए. आई. टी. यू. सी., चाहे यू. आई. टी. यू. सी.—उन सबने निश्चित रूप से एसर्ट किया, इस चीज को कहा कि प्राइस इण्डैक्स नम्बर में फ्रौड चल रहा है, वह गलत प्रोड्यूस किया जा रहा है, वह तथ्यपूर्ण नहीं है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि इण्डैक्स नम्बर तथ्यपूर्ण नहीं है और इनके रिवीजन की बहुत जरूरत है । इसके रिवीजन के लिये एस्योर किया और इसके संबंध में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने की बात मानी । यह बात सारे भारतवर्ष के सारे प्रान्तों के अन्दर सारी विधान सभाओं के सम्मुख, पार्लियामैण्ट के सम्मुख जाहिर की है, राजस्थान विधान सभा में की है, मध्य प्रदेश में की है । सारी विधान सभाओं के सामने, चाहे वह राजस्थान विधान सभा हो, चाहे मध्य प्रदेदेश की हो, चाहे बम्बई प्रैसीडैन्सी की विधान सभा हो, चाहे महाराष्ट्र की विधान सभा चाहे बंगाल की विधान सभा हो—जगह जगह मजदूरों ने विराट प्रदर्शन इस सिलसिले में किये हैं । वे डीअरनैस अलाउन्स को कन्ज्यूमर प्राइस इण्डैक्स से लिंक करवाना चाहते हैं । वे चाहते हैं, प्राइस इण्डैक्स का रिवीजन हो । वे चाहते हैं, कम्प्लीट नेशनेलाइजेशन हो । वे चाहते हैं, जिस आधार पर प्राइस बढ़ती जा रही हैं, जिस आधार पर जीवन संकटपूर्ण

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होता जा रहा है--उस आधार पर डीअरनैस बढ़ता चला जाय। यह दुर्भाग्य है, ग्रेट वार के बाद जिस वक्त देश भर के मजदूर संगठनों न डीअरनैस के बारे में आवाज उठाई थी तो टैक्सटाइल मिल मजदूरों ने, रियायत हासिल की थी, सरकार को झुकना पड़ा था और स्लाइडिंग स्केल आॅफ डीअरनैस अलाउन्स सैटल किया था। लेकिन राजस्थान की स्थिति यह रही कि यहां स्लाइडिंग स्केल ऑफ डीअरनैस अलाउन्स प्राप्त नहीं कर सके।

सभापति महोदय, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह के, मैं आपके सामने तीन जगह के, आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। प्राइस इण्डैक्स जिन शहरों के आधार पर राजस्थान के अन्दर कैलकुलेट किया जाता है और जो फर्स्ट प्लान से लेकर अब तक थर्ड फाइव ईयर प्लान के फोर्थ ईयर तक चल रहा है, उन तीन शहरों में राजस्थान के अजमेर ब्यावर और जयपुर के आंकड़े लिये जाते हैं। १९५५-५६ के अजमेर, ब्यावर और जयपुर के आकड़े मैं लाया हूं। १९५५ के अन्दर अजमेर का आंकड़ा ८३ था, ब्यावर का ७६ था और जयपुर का १०० था। वह आंकड़ा आज बढ़ कर क्या हो गया है, उसकी ओर संकेत करूंगा। मैं दिसम्बर के आंकड़े लाया हूं, दिसम्बर के अन्दर जयपुर के अन्दर १४५ पहुंच चुका है, यह आंकड़ा दिसम्बर के अन्दर ब्यावर और अजमेर में १४० पहुंच चुका है। इस हिसाब से जिस व्यक्ति को फर्स्ट फाइव ईअर प्लान में, सभापति महोदय, अगर १०० प्राप्त होते थे तो आज उसकी आमदनी के अन्दर सीधे सीधे ३१ रुपये की घटोतरी हो गई है। जिसको ६० मिलते थे, जिसकी बेसिक सेलेरी १९५५-५६ के अन्दर ६० थी वह घट कर ४४ हो जाती है। सभापति महोदय, जिस व्यक्ति को ६० मिलते थे किसी क्षेत्र के अन्दर उसको अब ४४ मिलते हैं। इसके साथ ही मैं आपके सामने ए. आई. सी. सी. का इकोनोमिक रिव्यू पेश करूं। आज पूंजीपति की आमदनी इन सब चीजों को देखते हुए केलकुलेट करें तो कितनी बढ गई है। मैं ए. आई. सी. सी की २२-११-६० की रिपोर्ट पेश करता हूं, जिसमें ३ लाख के ऊपर की आमदनी के लोग जो १९५१-५२ के अन्दर थे वह १३२५ थे, वे व्यक्ति सन् १९५८-५९ के अन्दर २६५३ हो गये। यह मैं आपको ए. आई. सी सी. की इकोनोमिक रिव्यू रिपोर्ट दे रहा हूं, जो २२-१-६० के इकौनोमिक रिव्यू के अंक में मौजूद है उससे ये आंकड़े प्राप्त किये हैं, कि ३ लाख रुपये से कम आय वाले लोग १९५१-५२ में जितने थे वह १९५८-५९ और १९५९-६० में दुगने से अधिक हो गये। इसके अलावा मैं इकौनोमिक रिव्यू का आंकड़ा प्रस्तुत करूं कि एग्रीकल्चर इन्कम लेवल जहां १९५०-५१ के अन्दर ४४७ था वह एग्रीकल्चरल इन्कम १९५६ ५७ के अन्दर घट कर ४३७ रह गई। विलेज लेवल के संबंध में के० एन० राज की इकौनोमिक वीकली में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया है कि ३० पर्सेण्ट एडीशनल इन्कम जो कि सारे देश की हैं, उसमें सारे देश के एग्रीकल्चरिस्ट कमाते हैं;

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय!

श्री सभापति : तीन मिनट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जितनी ३० पर्सेण्ट एडीशनल इन्कम एग्रीकल्चरिस्ट करते हैं, वहां ३ पर्सेण्ट जागीरदारों से एप्रोप्रियेट हो जाती है । सभापति महोदय, गवर्नर महोदय ने हमारी राइज ऑफ पॉपूलेशन का आंकड़ा ०.२५ दिया था जब कि हमारे यहां राइज ऑफ पॉपूलेशन १९५१ से १९६१ के आंकड़े हैं वह २.५ का है । अब स्थिति, यह है कि इण्डैक्स नम्बर के अन्दर फ्रॉड है । पर-कैपिटा इन्क्रीज इन्कम बहुत कम है । देश के अन्दर पूंजीपति, मोनोपोलिस्ट की आमदनी बढ़ रही है । आज देश के अन्दर धनाढ्य और धनाढ्य होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है । जो थोड़ी बहुत इन्क्रीज है वह है ०.४२ जो काउण्टर बैलेन्स हो जाती है हमारी पोपूलेशन के इन्क्रीज के साथ । और दूसरी ओर इन्फ्लेमेंटरी फोर्सेज तेजी से बढ़ रही हैं कन्ज्यूमर का पैसा मार्केट में कम हो रहा है, काउण्टर एक्ट नहीं हो रहा है—ऐसी स्थिति में आज जो सौ रुपये कमाने वाला है, उसकी ७९ की आमदनी हो गई है । राजस्थान के अन्दर हमारे मजदूर संगठनों ने इस चीज को सरकार के सामने उपस्थित कर दिया है और इस स्थिति की गंभीरता को सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया है.....

(११.०० म. पू०)

हमारी स्टेन्डिग कमेटी के सामने हमारे राज्य के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया ने १८ तारीख को कमिटमेंट किया है । आपको भली-भांति विदित है कि देश पर संकट-कालीन स्थिति पैदा होने के बाद राजस्थान के मजदूरों ने और दूसरी जगह के मजदूरों ने जो सरकार और देश के व्यापारियों के साथ समझौता किया था उनको उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया लेकिन जो न्याय मजदूरों के साथ इन्डस्ट्रियलिस्ट वगैरह को देना चाहिये था वह उन्होंने नहीं दिया और जो वायदे किये थे उन्होंने उनको जगह जगह तोड़ा है । मजदूरों ने नहीं तोड़ा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रस ने जो रैजोल्यूशन पास किया था उसको किस तरह से निभाया है । जहां पहले एक लाख वैन्डेज वैस्ट होते थे वहां नवम्बर ६२ से जुलाई तक एक सिंगल वेन्डेज वेस्ट नहीं हुआ । लेकिन जब बाजार में चीजों के भाव बढे और हर चीज का इन्डैक्स प्राइस बढ़ा, गेहूं, जौ, बाजरा मक्की की कीमतें बढ़ीं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया की कीमतों के भाव बढ़े गेहूं जो १६) रु० मन बिकता था उसका भाव चढ़ कर २५) रु० मन हो गया । उस समय देश के मजदूरों और राष्ट्र के मजदूरों ने एक बात कही कि चीजों के भाव बढ़ चुके हैं और उनके भावों में १२ पर्सेन्ट की बढ़ोत्तरी हो चुकी है इसलिये आप ८० नये पैसे पर पॉइन्ट या १०) रु० का राइज दें और जब सरकार ने उनको कोई आश्वासन नहीं दिया तो १९६४ में जाकर ७ हजार वैन्डेज वेस्ट हुए और आखिर में मोहनलाल जी सुखाडिया ने मजदूरों को उनके वेतन में वृद्धि के लिये आश्वासन दिया और वह भी केवल ५) का इन्टेरिम रिलीफ का राइज दिया । आज उसको भी पूंजीपति मानने को तैयार नहीं है । कम्पलाई नहीं कर रहे हैं । इसके कारण जगह जगह भूख हडतालें हो रही हैं । अजमेर में, एडवर्ड मिल ने कटौ कर दी है और ट्रस के फैसले को तोड़ा है । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया । हाई कोर्ट में गया मगर आज कैपिटलिस्ट ५) बढाने को मजदूरों यार नहीं हैं । चाहे वे मजदूर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सीमेन्ट की फैक्ट्री में काम करते हों, चाहें वे किसी दूसरी जगह काम करते हों। आज मजदूरों की दुर्लक्ष्य पूर्ण स्थिति है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि या तो उनको ८० नये पैसे पर पौइन्ट पुराना इन्क्रीमेंन्ट के हिसाब से दिया जावे या १०) की बढोतरी की उनकी डिमान्ड है वह दी जावे।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : सभापति महोदय ......

श्री **सभापति** : आप अपना भाषण १५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री **मुरलीधर व्यास** : १२.५ हो गये हैं।

श्री **सभापति** : १२.३ हुए हैं।

श्री **मुरलीधर व्यास** : सभापति महोदय, दो संकल्प हमारे सामने हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य द्वारा रखा गया है और दूसरा समाजवादी समाज के सदस्य द्वारा रखा गया है। मगर दोनों संकल्पों का उद्देश्य एक ही है कि इस बढ़ती हुई मंहगाई के समय में मजदूरों को राहत मिले। पहले संकल्प में रखा है कि मंहगाई भत्ते को इन्डैक्स नम्बर के साथ जोड़ा जावे। दूसरे में यह रखा गया है कि २५०) से कम वेतन पाने वाले लोग हैं उनको कम से कम १०) रुपया मंहगाई और दी जावे। जहां तक पहले संकल्प का प्रश्न है, मैंने संशोधन दिया है कि जो ५००) से कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनको तो मंहगांई भत्ता इन्डैक्स नम्बर के साथ ही जोड़ दिया जावे और इससे ऊपर तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनके लिये एक और १० के अनुपात से और हो। १००) रु० इन्डैक्स नहीं हो, तब तक बढावें उसके बाद नहीं। मैं कम्युनिस्ट सदस्य ने जो सकल्प रखा है और जो पौइन्ट रखे हैं वह सिद्धान्त का प्रश्न है किसी योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने वाली सरकार के लिये। जहां तक समाजवाद के मूलभूत सिद्धान्तों को मानत हैं तो जैसे जैसे इन्डैक्स बढेगी तो सरकार की जिम्मेदारी बढेगी और जिस जिम्मेदारी से काम करना चाहिये करेंगे तभी वह काम बिल्कुल नियमित रूप से चल सकेगा। जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है, ठीक है। लेकिन जहां तक दूसरी बातों का प्रश्न है जो दूसरे संकल्प में उठाई गई हैं कि १०) रु० कम से कम २५०) रु० पाने वालों की तनख्वाह में बढाये जावें इसको तो मैं समझता हूं कि सरकार बहुत आसानी से कर सकती है।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कांग्रेस में व्यवहारिकता का प्रश्न है इनमें थोड़ा थोड़ा सा अन्तर है। फर्क क्या है यह सोचना चाहिये, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के साथ डैमोक्रैटिक, सोशलिज्म जुडा हुआ है। इसलिये सोशलिज्म कांग्रेस की व्यवहारिकता की देन है और वे इस संबंध में कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन कम्युनिस्टों का व्यवहार भिन्न है। इसलिये कम्युनिस्ट दोनों के व्यवहार के परे है। इसलिये कम्युनिस्ट की बा को मैं अलग रखना चाहता हूं।

माननीय ढावरियाजी ने जो संकल्प रखा है उसमें उन्होंने बहुत सी बुनियादी बातें सरकार के सामने रखी हैं। उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी समाज में सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

में एक आदमी को २,७००) रु० माहवार वेतन और दूसरे को ४५) रु० माहवार वेतन मिलना उचित है। २७००) में और ४५) रु० में बहुत बड़ा अन्तर है। यह एक और ७० का अन्तर है। इतना बडा अन्तर नहीं होना चाहिये। क्या सोशलिज्म में वे इस अन्तर को कम कर सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इस अंतर को हम कम नहीं करते आपका सोश्यलिज्म आ नहीं सकता दू। सरी बात उन्होंने रखी वह यह कि एक आदमी को जिसकी तनख्वाह ६००) मासिक है उसको ५०) रुपये सालाना बढोत्तरी देते हैं, और इस तरह से वह १२ साल में १२००) तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी ओर आप एक चपरासी को जिसको ४५) रु० तनख्वाह के मिलते हैं, सालाना इन्क्रीमेन्ट के रूप में एक रुपया या डेढ रुपया देते हैं। फिर आप यह कहते हैं कि यह हमारा योजना-बद्ध प्रोग्राम है सोशलिज्म को लाने का। यह कैसे हो सकता है। आपने खुद ने माना है कि प्राइसेज में राइज हुई है और परकैपिटा एक आदमी के पास कितना पैसा जाता है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल) : सभापति महोदय, कोरम, पूरा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मेरा समय इसमें से नहीं जाना चाहिये।

(गण पूरक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मैं जारी रखूं।

श्री सभापति : एक मिनट ठहर जाइये।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, कांग्रेस के सदस्य कोरम को पूरा बनाये रखने के काम के ही नहीं हैं। वे यह काम भी पूरा नहीं कर सकते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप योजना-बद्ध तरीके से सोशलिज्म लाने की बात करते हैं, जहां तक इस संबंध में आपकी योजना का और उसके साथ साथ इस नीति का प्रश्न है हम यह मानते हैं कि प्रति व्यक्ति आंय वढी है और जब आय बढी है तो वह छोटे से छोटे आदमी के पास जानी चाहिये। एक आदमी जो बहुत काम करता है उसको आप सालाना १।।) रु० तरक्की का देते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि १।। करोड़ बढ़ गई नेशनल आय। आपको प्रति व्यक्ति आय को योजना-बद्ध तरीके से बढानी चाहिये। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो जो लोग आपसे एग्रीव्ड हैं, उनका वेतन बढ़ाइये। छोटे कर्मचारियों का आप एक रुपया और डेढ रुपया सालाना तरक्की के रूप में बढाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है जबकि आप दूसरे लोगों के २५) रुपये सालाना बढाते हैं। जब आप यह कहते हैं कि आय बढी है तो आपको चाहिये कि इन कर्मचारियों को भी सालाना ४) या ५) रु० की इन्क्रीमेंट दें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जितने भी पुराने ग्रेड हैं उनको आप फौरन समाप्त करके छोटे छोटे कर्मचारियों को जो आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं और जिनका मौजूदा अन्तर एक से ७० पर जाता है उस अन्तर को आप फौरन कम करें और जिनको आप एक रुपया या डेढ रुपया सालाना तरक्की देते हैं। उनको उसके स्थान पर ५) रु० या ४) सालाना तरक्की दें। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। इस बात को

(श्री मुरलीधर व्यास)
आपको बुनियादी तौर से स्वीकार कर लेनी चाहिये और जिन लोगों को ज्यादा वेतन मिलता है उसमें कमी की जानी चाहिये। यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते और योजनाबद्ध तरीकों से काम करके डैमोक्रेटिक सोशलिज्म लाने की बात करते हैं, तो उस पर किसी को विश्वास नहीं होता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो पुराने ग्रेड्स को समाप्त कर दें और उनके स्थान पर नये ग्रेड बनाएं और यह उसमें जोड़ देनी चाहिये। तब मैं मानूंगा कि सरकार ने नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी बात यह रखी कि एक आदमी को ६०० रुपया तनख्वाह मिलती है फिर आप उसका हर साल ५०-५० बढ़ाते जाते हैं, इससे आप विषमता बढाते हैं, इसमें भी परिवर्तन करना चाहिये जैसे यह ३५ साल की बात है तो ऊपर के ग्रेड किसी हालत में बढ़ाना नहीं चाहते, यह नीति रखते हैं तो समाजवाद आ नहीं सकता।

तीसरी बात यह रखता हूं कि आप जब यह दोनों बातें स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि पांच की जगह १० रु० करने में सरकार को क्या दिक्कत है? यह इनका प्रस्ताव है कि ५ की जगह १० रुपये कर दिये जायें, ५ की जगह १० अच्छी तरह किये जा सकते हैं। हमारा देश गांधी का देश, विनोबा का देश है, आप इसे पंडित नेहरू का देश भी मान सकते हैं परन्तु पंडित नेहरू हमारे देश की आर्थिक स्थिति को और ढंग से तोलते हैं। मैंने पढ़ा कि भारत सेवक समाज का सम्मेलन हुआ था वहां पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी आये। वे एक कमरे में ठहरे हुए थे, वे जब बाथ रूम में गये तो उन्होंने वहां लक्स सोप रखा देख कर कहा कि यह क्या स्टैन्डर्ड है पीयर्स सोप होना चाहिये। तो नेहरूजी तो हिन्दुस्तान के स्टेन्डर्ड को पीयर्स सोप से तौलते हैं, लक्स से नहीं। तो आप अपना स्टैन्डर्ड तो इस तरह तौल रहे हैं और गरीबों की तरफ देखें ही नहीं, यह उचित नहीं। गांधी के तरीके से आपको देखना चाहिये। इसलिये मैं बुनियादी बात करता हूं कि ५ रुपये बढाए हैं उनकी जगह १० करने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के खर्चे कर रही है, रद्दी का पैसा कहां जाता है? सरकार इसकी जांच करे कि वह पैसा कहां जाता है? यदि सरकार इस प्रकार की सारी बातों की तरफ निगाह रखे तो थोड़ा थोड़ा करके काफी पैसा बचाया जा सकता है। मैं सेक्रेटेरियेट में जाता हूं तो देखता हूं कि मिनिस्टर साहब के कमरे में मिनिस्टर साहब नहीं बैठे हुए हैं तो भी पंखे चल रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं। इस तरह हमारी कितनी बिजली व्यर्थ ही खर्च होती है, इस बात को कोई देखने वाला नहीं है। हम थोडी सी सतर्कता बरतें तो इस तरह के छोटे छोटे खर्चों को कम कर सकते हैं। खस के टाटे सैक्रेटेरियेट में लगाये गये। खस के टाटों का यहां सदन में प्रश्न पूछा कि खस के टाटों पर कितना रुपया खर्च हुआ तो उत्तर दिया गया कि १ लाख रुपया और पूछा कि बेचा कितने में, इनको नीलाम कितने में किया गया? तो उत्तर मिला ४२० रुपये में। तो एक लाख रुपये के खस के टाटे लगाये जायं और ४२० रुपयों में बिकें तो जैसी सरकार है उसी रूप में बिक गये।

श्री बाल कृष्णकौल (वित्त मंत्री): किसी ने ४२० का मजाक कर दिया होगा।

श्री **मुरलीधर व्यास** : मजाक नहीं, ४२० में बिके हैं। तो बारीकी के साथ वित्त मंत्रीजी को देखना चाहिये कि एक चीज को बनाने में कितना पैसा खर्च कर देती है और वापिस उसे बेचा जाता है तो कितनी कीमत आती है। यह कोई छोटी बात नहीं है, एक लाख की चीज और ४२० रुपये में बिके।

मंत्रियों के दौरे होते हैं, उन पर खर्चा होता है उसको कम किया जा सकता है। अकेले मुख्य मंत्री जी के दौरे को ही आप पकड़ लें। जहां जहां दौरे करते हैं उनके साथ में और कौन कौन से खर्च होते हैं? कौन कौन लोग साथ में जाते हैं? उन खर्चों में कितनी कमी हम कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा खर्चे दौरों में होते हैं और जिस गरीब देश में एक मंत्री के दौरों के पीछे १५ हजार रुपया महीने का खर्च होता है........

श्री **भीख भाई** (श्रम मंत्री) : बिल्कुल गलत हैं, सारा मिलाकर एक मंत्री को १०० रुपया मिलता है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : मैं बताता हूं। आप सारे दौरे के ब्यौरे को देखें कितने दौरे किये कौन कौन अफसर कौन कौन दूसरे आदमी साथ में थे, कितनी मोटरें साथ में थीं, तार टेलिफोन पर कितना खर्चा हुआ पब्लिसिटी में कितना खर्चा करना पड़ा। २५ लाख रुपया सिर्फ मिनिस्टरों के फोटो छापने में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खर्च करता है। यह सारा मुख्य मंत्रीजी के पीछे लगता है। तो मेरा कहना है कि ऐसे खर्चों को कम कर सकते हैं, पैट्रोल के खर्चे को कम कर सकते हैं। आपका नियम यह है कि कोई कलेक्टर घर से ऑफिस जाता है तो सरकारी गाड़ी में नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह आपके नियमों में है कि नहीं, आप अपनी छाती पर हाथ रख कर सही कह दीजिये कि ऐसा कौनसा कलेक्टर है जो अपने घर से ऑफिस सरकारी मोटर में बैठ कर नहीं जाता? सब सरकारी मोटरों में बैठ बैठ कर जाते हैं. आप सिनेमाघरों पर देखिये सड़कों पर बाजारों में देखिये, सरकारी मोटरों को, अफसरों के सम्बन्धियों को लिये हुए मिलेंगी. कलेक्टर और दूसरे अफसर अपने घर के काम में सरकारी मोटरों को लेते हैं और इस तरह पैट्रोल का अनाप-शनाप खर्च होता है। अगर आप कहते हैं कि गलत बात है तो इसके प्रमाण आपको एक नहीं अनेक मिल सकते हैं। आपके नियमों में है कि घर से ऑफिस भी सरकारी गाड़ी में नहीं जायें। पर वे सरकारी गाडियों में जाते हैं और पैट्रोल का खर्चा करते हैं। तो आसानी से इन खर्चों को कम कर के आप इन कर्मचारियों के ५ के स्थान पर १० रुपये कर सकते हैं। आज पार्टीज के लिये सरकार का पैसा खर्च होता है। कांग्रेस पार्टी का खर्चा अलग होना चाहिये, पर अभी श्री कामराज हमारे यहां बीकानेर में आये। कांग्रेस का खर्चा होना चाहिये पर एस. पी., डी. एस. पी. दूसरे अफसर उनके साथ थे, पांच पांच जीप उनके साथ में गांव में गई। कामराज जो हमारे देश में से भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली योजना बना रहे हैं, उनके साथ में मुख्य मंत्री जी की गाड़ियां, दूसरी सरकारी गाड़ियां उनमें कांग्रेस पार्टी के लोग जायं, अगर इस प्रकार सरकार का खर्चा पार्टीज पर होता है तो इसका बोझा राजस्थान की जनता पर पड़ता है। पार्टीज के ऊपर जो सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है उसे बन्द करना चाहिये और

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह पैसा गरीब कर्मचारी को देने में खर्च करना चाहिये। गरीब कर्मचारी को ५) रु० देना चाहते हैं तो दवाइयों का खर्चा मदद के रूप में देते हैं उसको आपको देखना होगा। इस तरह दवाइयों का पैसा उठाने में आपको बड़े बड़े अफसर ही मिलेंगे। छोटे कर्मचारी बहुत कम मिलेंगे। तो इन बड़े बड़े लोगों को २५ लाख रुपया देने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं ५) रु० हर कर्मचारी को दे देते? जिस अफसर को दो हजार रुपया मिलता है जिसको १५०० मिलता है इनको आप यह क्यों देते हैं? १५०० से ऊपर तनख्वाह पाने वाले को २५०) रु० १५०) रु० और देते हैं। कुल मिला कर २५ लाख होता है। क्यों नहीं इसको समाप्त करते? ये लोग आखिर रुपया खाते हैं या अनाज खाते हैं? आखिर समाजवाद में इसकी व्याख्या तो होगी। यह सब समाप्त करके आप इनका ५) रु० बढ़ा सकते हैं।

यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह बिलकुल व्यवहार्य है, मैडिकल का जो २५ लाख रुपया खर्च किया जाता है वह बन्द करके इन कर्मचारियों के ५) रुपये कर दें। यह संकल्प एक नीति का संकल्प है समाजवाद का संकल्प है, इसे केवल प्राइवेट मैम्बर्स का संकल्प न समझें इस पर विचार करके ५) के स्थान पर १०) रुपया तो आपको कर ही देना चाहिये। इतना आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मंत्री सोशलिज्म की बात करते हैं, वे थोड़ा इस दिशा में कार्य भी करते हैं। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : आप कम से कम समय के मामले में तो समाजवाद को माना करें।

श्री गोकुल प्रसाद (माण्डल) : जो दो संकल्प हमारे साथियों ने यहां रखे हैं वे अच्छे हैं। जहां तक वेतन बढ़ाने की बात है, दरअसल मंहगाई काफी बढ़ी है और किसी भी देश के उत्थान में श्रम की बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के आगे महर्षियों ने तीन चीजें दी हैं कि इन तीन चीजों के बिना देश आगे नहीं बढ़ता है। बुद्धि, धन और श्रम। हमारे शास्त्रों ने इन तीनों के लिए तीन शक्तियां मानी हैं। जहां तक बुद्धि का सवाल है उसके लिए शारदा शक्ति मानी है, जिस पर वह आरूढ़ हो जाती है वह हंस हो जाता है। दूसरे धन की देवी लक्ष्मी माना है, जिस पर वह आरूढ़ होती है वह उल्लू हो जाता है और श्रम की शक्ति का नाम दुर्गा है, वह जिस पर आरूढ़ हो जाती है वह शेरदिल हो जाता है। आज के श्रमिकों की यही भावना है। तो मैं समझता हूं कि अब देखना है कि जिस पर लक्ष्मी आरूढ़ हो जाती है आप उसका संरक्षण करना चाहते हैं, या जिस पर शारदा आरूढ़ हो जाती है आप उसका संरक्षण करना चाहते हैं। समाज नए बुद्धिमानों का भरोसा करता है। आपने जो स्टेटिस्टिक्स रखे हैं कन्ज्यूमर्स के, वे ऐसे हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी मेरी मान्यता है। यहां ब्यावर के बताए गए कि १९५२ में अगर १०० रु० अंक रखा था तो ६० रु० भाव फूडग्रेन्स का था। ५२ और ५८ में कोई फर्क नहीं है। ब्यावर के ये अंक मैं समझता हूं कि ठीक नहीं हैं गलत हैं। इसी प्रकार अजमेर के अंकों का हाल है, उसी प्रकार जयपुर के बढ़ा दिए गए हैं। आप इनको ठीक कीजिए। इन्हीं अंकों के जरिए

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सरकार पर भरोसा करते हैं । आप कहते हैं कि जिस चीज के भाव १९५२ में १०० थे १९५८ में ९० हो गए। यह आपके अंक कहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है । जैसे मुझे याद आता है गंगानगर से आए हुए माननीय सदस्य ने कहा कि जो संकलन करता है वह विभाग और पूंजीपति जो अंक नहीं बढ़ाना, चाहते हैं, इनमें कोई तालमेल बैठ गया है । उनके कहने से लोगों को आशंका हो जाती है । हो सकता है कि विभाग के अधिकारी जो इसको इकट्ठा करते हैं वे लापरवाह हों या दूसरी बात हो सकती है कि वे उनसे मिल गए हों । इसी तरह से जयपुर में १९५५-५६ में जो अंक १०० था वह नवम्बर, ६३ में १०९ और १९६२ में १४४ बताया गया है । यह भी ठीक नहीं है । आपको तीनों को ठीक करना पड़ेगा । आप कोई इन्तजाम भी नहीं कर पाए ।

जहां तक वेतन बढ़ाने का प्रश्न है, मैं नहीं कहता कि सरकार जागरूक नहीं है । १९४८-४९ में जिन मिल मजदूरों की २४) रु० पे थी आज उनकी ७५) रु० है और जिन मजदूरों की पे २०) और १८) थी उनके बजाए आज ५५-५६) रु० है । जिनको १९४८ में हम देते थे, सरकारी कर्मचारियों को, फोर्थ क्लास को, ४०) रु०, उनकी पे आज ६०) रु० है । तो वेतन बढ़े अवश्य हैं । लेकिन सरकार की यह जागरूकता बहुत धीरे-धीरे चलती है । आप लक्ष्मी जो उल्लू पर आरूढ़ होती है उसका ध्यान मत रखिए । आपने सरकारी कर्मचारियों के पांच-पांच रुपये बढ़ाए हैं लेकिन आप पूंजीपतियों से नहीं बढ़ा सके । आप उनको संरक्षण किस प्रकार देते हैं ? जमीन उनको मुफ्त देंगे. बैल, एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट क्लास जमीन ? यहां बाल-बेयरिंग कम्पनी है । आप उनको कितनी सहायता देते हैं ? आप इनको इम्पोर्ट लाइसेंस देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं । इस तरह का संरक्षण नहीं दिया जाय । कमानी कम्पनी के जो बिजली के मीटर्स हैं आप उनको ४५) रु० में बिकने देते हैं जो बाहर से १५)-१६) रुपए में आ जाय । आज आप हिसाब करें जो भी १००) रु० से कम वाला मजदूर है वह पेट भर नहीं सकता । वह तकलीफ पाएगा, उसके बच्चे बीमार पड़ेंगे और दुखी होंगे और जल्दी मरेंगे , अगर आपने इनका वेतन बढ़ाने की कोशिश नहीं की । मजदूर ज्यादा दिन इन्तजार नहीं करेगा । उनकी चुप्पी से यह न समझा जाय कि वे संतुष्ट हैं । उनमें देश प्रेम है, उन्होंने आप का काम किया है, रात-दिन मेहनत करते हैं । एक तरफ पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी ने अपील की लेकिन राजाओं ने प्रिवी पर्सेज नहीं छोड़े । देश के लीडर की अपील नहीं मानी । पूंजीपतियों से आपने अपील की कि गरीबों के पांच रुपए बढ़ा दीजिए, वह अपील नहीं मानी । लेकिन जब पं०जवाहरलाल नेहरू ने गरीब मजदूरों से यह अपील की उन्होंने मानी । लेकिन पैसे वाले नहीं मानते । तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि देश का वफादार कौन है ? देश का प्रेम किनमें है और किनमें नहीं है ? यह समझकर आपको हिसाब ठीक करना पड़ेगा ।

राजस्थान में मिनिमम वेजेज़ कमेटी बनाई । इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को दो-दो साल हो गए और उन कमेटीज़ में से कुछ की रिपोर्टें भी आ गई हैं, कुछ की नहीं आई हैं । आप उनको तुरन्त लागू कीजिए, मैं इसमें विश्वास करता हूं । दो, पांच या

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा

दस नहीं चलेंगे, जो इंडस्ट्रीज शिडूल में नहीं हैं, जैसे जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, आप सबसे पहले यह काम करिए कि उनको भी शिडूल में जोड़ें। कपास की फैक्ट्रियां सबसे पहले अमेरीका में चली थी। कपास की फैक्ट्रिय जो राजस्थान में हैं, उनमें कोई मिनिमम वेज लागू नहीं है। ८-८ आने में मजदूर काम करते हैं। जब जब हमने लेबर मिनिस्टर या लेबर कमिश्नर या सेक्रेटरी साहब से कहा तो जवाब मिला कि अभी ले रहे हैं। लेकिन आज तक नहीं हुआ। सारे एशिया में हमारे राजस्थान का सोप स्टोन पर हॉल्ड है लेकिन इसमें आपने मिनिमम वेज लागू नहीं किया। आप इन चीजों को अपने शिडूल में नहीं लाये हैं। जल्दी कीजिये। जो कमेटियां आपने बनाई हैं, उनकी रिपोर्टें तुरन्त मंगाइये और मिनिमम वेज कमेटी के द्वारा मिनीमम वेज तुरन्त लागू करें और जहां लागू नहीं हुआ है एक ऑर्डिनेन्स इसलिए निकाला जाय कि इतना पैसा आपको तुरन्त देना पड़ेगा, हर इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग। अगर नहीं निकालते हैं तो वह बात याद आ जाती है कि टैक्स को कम करने के लिए तो ऑर्डिनेन्स निकालते हैं और जहां मिनिमम वेज बढ़ाने की बात है वहां ऑर्डिनेन्स नहीं। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य कहेंगे कि ऑर्डिनेंस के द्वारा यह क्यों कहा गया? कल जैसे मंत्री महोदय ने कहा नगर सुधार के एक बिल पर कि हम इसको प्रवर समिति में देंगे और जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस निकाल देंगे। आप जरूर ऑर्डिनेंस निकालें, लेकिन हमारा ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते हैं कि एक मजदूर का इतना वेतन बढ़ेगा? एक बार हमने कहा कि भीलवाड़ा की टैक्सटाइल मिल सरकार चला रही है और जब सरकार ने सभी जगह पैसा बढाया है तो वहां क्यों नहीं? आपने कहा बढ़ा दिया गया है। मुझे याद है प्रोसीडिंग्स में है। लेबर मिनिस्टर से कहता कि आपने जो कहा उसमें सत्यता नहीं है। वहां नहीं बढ़ाया गया है। या तो जो वहां आपके अधिकारी हैं कलेक्टर साहब जो काम कर रहे हैं उन्होंने नहीं बढ़ाया या आपने नहीं बढ़ाया। आप बुद्धिमान हैं, शारदा आप पर सवार है, एक तरफ लक्ष्मी संतुष्ट है और दूसरी तरफ भगवती संतुष्ट है.......

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

देखिये, १० मिनिट में आप समाप्त करेंगे। फिर ११.४५ बजे गवर्नमेन्ट की ओर से रिप्लाई होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, अलवर और बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके समर्थन में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि न तो सरकारी पक्ष के और न ही विरोधी दल के लोग इस समस्या को समझ पा रहे हैं। इन्डैक्स नम्बर इतने बढ़ गये इसलिये मंहगाई भत्ता में इतनी बढ़ोत्तरी कर दी जाय यह समस्या का कोई हल नहीं है। कभी-कभी मन्त्री महोदय से यहां सदन में यह जवाब आता रहता है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मंहगाई का होना ज़रूरी है। तोता रट जैसी बात है।

Page No. 69

(श्री रामकिशन)

चूंकि दूसरे देशों में ऐसा कहा गया है कि अपने यहां भी यही उचित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दुनियां के किसी भी देश में इस प्रकार से मंहगाई नहीं बढ़ सकती जिस प्रकार से हिन्दुस्तान में जिस तेजी से मंहगाई बढ़ी है और बढ़ रही है। माना कि हमारी विकास शील अर्थ-व्यवस्था है। उद्योगों में पूंजी लग रही है, धन लग रहा है और नये-नये उद्योग देश में खुल रहे हैं, फिर यह मंहगाई कैसे बढ़ जाती है? इसलिये इस विषय में सरकारी पक्ष के लोगों को और विरोधी पक्ष के लोगों को मिल कर कोई राय बनानी चाहिये। मंहगाई भत्ता पांच रुपया, दस रुपया बढ़ा देने से कोई यह समस्या हल नहीं हो जायगी। मैं समझता हूं कि पांच रुपया, दस रुपया बढ़ा देने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अब की बार आपने पांच रुपया बढ़ाया तो अगले साल आपको दस रुपया बढ़ाना पड़ेगा और फिर बीस, तीस। इसका कोई निदान नहीं। यह तो, चक्र चलता रहेगा और मंहगाई बढ़ती जावेगी। असल प्रश्न तो यह है कि क़ीमतों को रोकने के लिये हम कोई तरीक़ा निकालें। दूसरे मुल्क हैं वे कैसे चलते हैं, हमने उनसे कुछ बातें ली हैं, वहां पर क़ीमतों को रोकने के लिये विशेष तौर से उपाय काम में लिये जाते हैं। वहां पर प्रमुख बात क़ीमतों को बढ़ने देने से रोकने की होती है। यह सरकार तो इतना नाकाबिल साबित हुई है कि दुनियां की कोई ऐसी सरकार नहीं। जैसी इस सरकार की हालत है, दुनियां की और किसी सरकार की यह हालत नहीं होगी। कल परसों में यहां नहीं था, दिल्ली में था। लाइसेन्स रख कर व्यापारियों पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया है; इसलिये कि क़ीमतें ऊंची जा रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आज से बीस दिन पहले २८) रु. मन गेहूं मिल रहा था। मैंने अपने घर पर गेहूं मंगाया, नया आ गया है, १७॥) मन में घर पर आ गया है। सरकार बड़ी प्रसन्न हो रही है अनाज की क़ीमतें गिर रही हैं। लेकिन सरकार को खुश नहीं होना चाहिये। उसके लिये तो बड़े भारी अफ़सोस की बात होनी चाहिये। सरकार जब कोई क़ानून बनाती है जब कि मन्डियों में अनाज आने लगता है और उसका असर किसान पर जाकर पड़ता है। चना आ रहा है अभी। गेहूं की जहां इस महीने में १७-१८ की क़ीमत रह गयी है वह बैशाख के अन्दर, फ़सल कमज़ोर होते हुए भी, १४, १५) मन का भाव रह जायगा। जब किसान बेचता है तो क़ीमतें उस समय गिर जावेंगी, और सरकार भी क़ानून उस समय लायेगी। क़ीमतें उस समय चढ़ेंगी जब किसान या तो खरीदेगा या बड़े-बड़े व्यापारी उनका स्टॉक कर लेंगे। एक फ़सल से दूसरी फ़सल के बीच में आवश्यकता होती है तो भाव चढ़ जाते हैं। जब मजदूर और कन्ज्यूमर्स आदि को बड़ी परेशानी होती है और अधिक दाम देने पड़ते हैं। इसलिये यह सोचने का प्रश्न है कि क्या सरकार एक फ़सल से दूसरी फ़सल के बीच में कोई चैक नहीं लगा सकती कि १६, २८, ३०) से अधिक दाम नहीं होंगे। क्या सरकार इस प्रकार के चैक लगा कर कोई रास्ता नहीं निकाल सकती कि इससे अधिक भाव नहीं बढ़ेंगे और नही बढ़ने दिया जावेगा। खाने पीने की चीज़ों के मामले में न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने इस ओर कोई

(श्री राम किशन)

क़दम उठाये हैं। जब बाज़ार में फ़सल आने लगती है तो यह सरकार कानून बनाती है।

इसके साथ साथ केवल खान-पीने की चीजों की मंहगाई का ही प्रश्न नहीं है। कारखानों की चीजों का भी हमारे सामने प्रश्न आता है इसलिये सरकार को इस ओर एक बात तय कर लेनी चाहिये कि नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे कितने दाम हो सकते हैं। इससे न तो किसान को नुकसान होगा, न मज़दूरों को नुकसान होगा और न ही उन लोगों को होगा जो कि हरदम बाज़ार से चीज़ें लेकर काम चलाते हैं। सरकारी कर्मचारी ही केवल उपभोक्ता नहीं हैं। राजस्थान के २ करोड़, २१ लाख आदमी भी उपभोक्ता हैं। उनको कोई सरकार की ओर से संरक्षण नहीं दिया जाता। वे कीमतों के भार से हमेशा पिटते रहते हैं। मैंने सुना है, सरकार ने लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यापारी के लिये यह नियम रखा है कि वह २ परसेन्ट मुनाफा ले सकता है। सरकार को यह सिद्धान्त बनाना चाहिये कि एक फ़सल से दूसरी फ़सल के बीच किसी भी खाने-पीने की चीज़ का एक आना सेर भाव ऊपर नहीं जाने दिया जायगा। मान लीजिये कि आपने सरकारी कर्मचारियों का पांच रुपया बढ़ा दिया। उद्योगों में काम करने वाले मज़दूर हैं ५० हज़ार। उनका क्या होगा? इसी प्रकार ४ लाख जो खेत मजदूर हैं। उनका क्या होगा? दो, ढाई लाख नाई-धोबी आदि हैं, १६ लाख ऐसे लोग हैं जो ख़रीदते हैं उनका क्या होगा? इसलिये मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बजाय क़ीमतों को रोकने की ओर क़दम उठाना चाहिये। इस प्रकार का चैक होना चाहिये जिससे क़ीमतें न बढ़ सकें। इसलिये इसको एक सिद्धान्त का प्रश्न बना कर हल करना चाहिये।

दूसरी बात राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचानी चाहिये कि केवल अनाज की क़ीमतों के नियन्त्रण से ही काम नहीं चलेगा। उद्योग-धन्धों से जो चीजें निकलती हैं उन चीज़ों की क़ीमतें भी लगातार बढ़ी हैं। मूंगफली है, सरसों है, अनाज है, इनकी क़ीमतें तो बराबर गिरती रहती हैं और चढ़ती रहती हैं। लेकिन लोहा है, मिट्टी का तेल है इनकी क़ीमतें लगातार बारह साल में बढ़ती चली जा रही हैं, घटने का काम ही नहीं है। इससे व्यापारी वर्ग ने काफ़ी लाभ उठाया है और जो उपभोक्ता हैं वे बराबर लोस उठाते जा रहे हैं। यूरोप में इस प्रकार का सिद्धान्त है कि क़ीमतें डेढ़ी से अधिक नहीं बढ़ने दी जानी चाहिये। सरकारी टैक्स और व्यापारी का मुनाफ़ा दोनों मिला कर बारह आना सेर से ऊंची नहीं जावेगी और ऊंची जावेगी क़ीमतें तो सरकार कम्पेन्सेट करेगी। यहां भी अगर ये दो बातें तय करदी जाती हैं तो विवाद उठेगा नहीं। नहीं तो आप एक करोड़ का प्रोविज़न करलें, दूसरे साल दो करोड़ का करिये, तीसरे साल तीन करोड़ का करिये। इससे समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। समस्या का कोई यह निदान नहीं है। इससे तो और भी एक साल में एक समस्या खड़ी होगी, दूसरे साल दूसरी समस्या खड़ी हो जायगी। वास्तविक समस्या का हल ढूंढना चाहिये और जैसा मैंने बताया इससे और कोई नहीं हो सकता कि आप भावों पर नियन्त्रण करें।

(श्री रामकिशन)

सरकार ने फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर, १९६४ निकाला। अजीब ढंग से निकाला। उससे मालूम पड़ता है कि सरकार ने किसानों को तबाह करने का फ़ैसला कर लिया है। क़ीमतें सस्ती हों तो किसान तो तबाह न हों। आपने नियम बनाया है कि एक लाइसेन्सदार दूसरे लाइसेन्सदार से खरीदेगा नहीं। मान लीजिये मन्डी में सौ गाड़ियां आ गई। उपभोक्ता इतना खरीद नहीं सकेगा व्यौपारी खरीदेगा नहीं और सरकार खरीदने जावेगी नहीं। सरकार कहती है कि १३) मन से नीचे भाव चला जावेगा तो हम उनकी मदद पर चले जावेंगे। कारखानों की क़ीमतें गिरती नहीं हैं। उनको गिराने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि १ करोड़, ३५ लाख लोगों के खिलाफ़ सरकार ने उनको बर्बाद करने के लिए क़दम उठा लिया है। सरकार ने उनको बर्बादी की नीति अपनाली है। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : आप थोड़े दिनों पहले तो दूसरी बात बोलते थे।

श्री रामकिशन : हम बात जो बोलते हैं वही बोलते हैं। मेरा खयाल है कि मन्त्री महोदय सुनने में ही जागरूक नहीं हैं तो अमल तो करने से रहे।

सभापति जी, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है यह कि सरकार क़ीमतें निश्चित करने की चेष्टा करे। दूसरी तरफ़ रिलीफ़ वर्क चल रहे हैं, मजदूरी देने का सवाल आता है, हमारे इलाक़े में काम शुरू हैं तो वहां पर आदमी और औरत को वेजेज देने में फ़र्क़ किया जाता है। आदमी को १।। रुपया और औरत को १) दिया जाता है, जबकि औरत को अधिक चाहिये, खाने के लिये, पहिनने के लिए, और बच्चों के पालने के लिये। सरकार इस प्रकार के क़ानून बनाती है और जो उनका अमल होता है बड़ अजीब ढंग से होता है। इसलिये मंहगाई भत्ता ५), १०) बढ़ा देने से क़ीमतें रुकने वाली नहीं हैं। किन्तु इसका तो प्रौपर चैक करना होगा। यदि केन्द्रीय सरकार इस मामले में दखल नहीं देगी तो राज्य सरकार के लिये मुश्किल हो जायगी कि वह इस पर नियन्त्रण कर पाये। कारखानों की बात आती हैं, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को इस ओर पूरी तरह से विचार करना चाहिये। आज उद्योगपतियों की खुली लूट चल रही है। आंकड़े जरूर दे दिये जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। कहां उनको कलैक्ट करने में ग़लती है? स्टैटिस्टिक्स कलैक्ट किये जाते हैं १९४७ से। १९४७ को हमने आधार मान रखा है। वह साल राजनैतिक घटना से सम्बन्धित था। उसका आर्थिक घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। यूरोप में आर्थिक परिवर्तन का जो वर्ष माना गया है वह ३९ व ४२ है। यहां सन् ४७, ५२ और ५६ का माना है। यह जो हमारे यहां इन सालों का आधार माना है वह ग़लत माना गया है। १९४७ का वर्ष केवल राजनैतिक आज़ादी का वर्ष था उसका सम्बन्ध इससे कतई नहीं था। वह मैं सरकार द्वारा दिये हुए आंकड़ों से ही बताना चाहूंगा। १९५८ में ११३.२ था १९६३ में १२८.९ था यह खाने-पीने की चीजों के भाव के इन्डैक्स हैं। इसके अलावा कारखानों में

(श्री रामकिशन)

जो पैदा होने वाली चीजें हैं उनका इंडैक्स १९५८ में ११५.४, १९६३ में १५१.२ था। इससे साफ हो जाता है कि जिस रफ्तार से कारखानों में बनने वाली चीजों के भाव बढे हैं, उस प्रकार के भावों में वृद्धि खाने पीने की चीजों में नहीं हुई है। यह सरकारी आंकड़ों से साफ हो जाता है, जो अविश्वसनीय एवं गलत है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इन दो माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अमल करें या न करें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी जो योजना का आयोजन है वह गलत है....

श्री **भीखाभाई** : हमारे यहां तो सब आनन्द है।

श्री **रामकिशन** : आपके यहां आनन्द हो सकता है और आप उसके लिये सब कुछ कर रहे हैं। आप तो यही समझ रहे हैं कि दुनियां में दो ही राजा हुए थे जिसमें आनन्द ही आनन्द था, एक तो राजा रामचन्द्र और दूसरे भीखाभाई। लेकिन यह बात आप भी मान लें कि रामचन्द्रजी के राज में भील भील ही रहे हैं और सुखाडियाजी के राज में भी भील भील ही रहेंगे। इन पांच हजार सालों में गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है, आप गरीब लोगों के प्रतिनिधि होकर बैठे हैं और आप यह कहते हैं कि सब आनन्द है। आप जाइये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वहां क्या आनन्द है? आपको वहां कोसते हैं आप ही की जाति के लोग। आप यहां पर बैठे आनन्द मना रहे है ठीक है, आपको मन्त्री बना दिया और बैठने के लिय कार दे दी, इससे ही आप आनन्द मान लेते हैं। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा श्रम मन्त्रीजी के भी फ़ोटो छपते हैं। मैं समझता हूं, यह सही नहीं है फ़ोटो तो सुखाड़िया और माथुर के छपते हैं, दूसरे १४ मन्त्रियों की तो बारी भी नहीं आती। हां, कभी कभी नन्दवाना जी के तो आते रहते हैं। कभी आप में से कोई ऐतराज़ करता है, तो माथुर साहब आपके भीखाभाई के भी फ़ोटो छपवा देते हैं। आपकी जो पब्लिसिटी और प्रोपेगेन्डा है वह बिल्कुल गलत है, इस पर जो खर्चा कर रहे हैं वह व्यर्थ कर रहे हैं। यह ठीक हैं हमारे भीखाभाईजी को मोटर देदी लेकिन गरीब तबके से आते हुए भी वे गरीब लोगों की ओर ध्यान नहीं देते। आप यह मानते हैं कि विरोधी दल तो केवल नाम मात्र का है, यह तो केवल आलोचना ही करता है, लेकिन आप अपना भी कल्याण चाहते हैं तो गरीब लोगों की ओर ध्यान दीजिये, नहीं तो हमारा तो कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं आप ही साल, दो साल बाद यहां नजर नहीं आयेंगे, इसलिये आप तैयारी कर लीजिये। हमारा यही कहना है कि केवल पांच या दस रुपये बढ़ाने से कुछ समस्या का हल नहीं होगा क़ीमतों पर नियन्त्रण कीजिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): सभापति महोदय ....

श्री **सभापति** : सरकारी पक्ष से जवाब होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरकारी पक्ष द्वारा तो १२ बजे भाषण होगा, यह कहा गया था।

श्री **सभापति** : १२ बजे तो दूसरा प्रस्ताव लिया जायगा।

Page No. 73

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसमें दो मुद्दे उठाये गये हैं उसमें एक मुद्दा तो यह उठाया गया है कि जिसकी आजकल बहुत चर्चा है जिसको लेकर माननीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य जगह जगह प्रदशन करवाते हैं। जल्से निकलवाते हैं।

दूसरा जो प्रश्न है मंहगाई को मूल्य सूचक अंक से मिला दिया जाय।

सभापति महोदय, यह तो माननीय सदस्यों को विदित होगा कि राजस्थान सरकार ने इस मंहगाई को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं। माननीय प्रस्तावक को भी उस सब की जानकारी है, फिर भी इस प्रकार का संकल्प लाते ह। वह अपने आप में इस बात को प्रगट करता है कि वे किस प्रकार से पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि किस प्रकार से बर्निंग इश्यूज़ को लेकर किस प्रकार माननीय सदस्य पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बराबर जागरूक है और सरकार ने क़दम उठा लिया है। मैं यह प्रमाणित करने जा रहा हूं जो मैं अपने भाषण में तथ्यों के साथ उन सब चीज़ों को रखूंगा, आंकड़ों सहित रखूंगा उससे यह साबित होगा कि सरकार की नीति सही दिशा में चल रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उनका इस सम्बन्ध में जो भाषण था वह दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में वह अधिकांश भाषण जिसमें उनके द्वारा यह बताने की चेष्टा की गई है कि किस प्रकार आयोजनों द्वारा सरकार डिसपेरिटी पैदा कर रही है। उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि धान की व्यवस्था ठीक नहीं है, वह भी कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीभूत कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा से ज्यादा समय लेकर अपनी बात को प्रमाणित करने की चेष्टा की है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां तक योजना का सवाल है जो ख़र्चा होता है, वह इस सदन के माननीय सदस्यों को सब को मालूम है, इस बात पर हर साल मिडटर्म अप्रेजल प्रस्तुत होता है और उस पर चर्चा होती।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो प्लान्स के ज़रिये सैक्टर पर ख़र्चा होता है वह सब को विदित है। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट में कोऑपरेटिव के ज़रिये से एक्सटेन्शन प्रोग्राम के ज़रिये और अन्य अन्य ज़रिये से ६० प्रतिशत के ऊपर प्लान एक्सपेन्डीचर रूरल एरियाज़ में होता है। इस तरह से अर्बन एरिया पर ४० प्रतिशत खर्चा आता है। जहां रूरल एरियाज़ में हम प्लान के अन्दर कॉलेजेज़ खोलते हैं और दूसरी-दूसरी एक्टीविटीज़ करते हैं उसका असर ग्रामीण लोगों पर होता है। इस प्रकार से जो ख़र्चा योजना के ज़रिये से करते हैं वह उनको बेनीफ़िट पहुंचाने के लिये दीगर सेक्शन्स को बैनीफ़िट पहुंचाने की ग़रज़ से किया जाता है, दीगर सेक्शन्स में मज़दूर भी शामिल हैं, किसान, आदिवासी हरिजन आदि सभी शामिल हैं उनको रिलीफ़ पहुंचाते हैं।

(श्री भीखाभाई)
(११.४६ म. पू.)
(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारा जो प्लान्स में उनका एक खास ध्येय है वह डिसपेरिटी को रिमूव करने का है। माननीय सदस्य ने भी अपने भाषण में यह माना है कि हमारी नेशनल इन्कम बढ़ी है। आप भी यह मानते हैं कि नेशनल इन्कम ४१ पोइन्ट कुछ बढ़ी है और परकेपिटा इन्कम १६ पोइन्ट कुछबतायी है । इससे यह साफ़ है कि आम जनता का जीवनस्तर ऊपर उठा है। इसमें वे लोग भी आते हैं जिनको नीचे का तबके का समझा जाता है उसमें मजदूर भी आते हैं। इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना कि १६.७ की इस प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, यह कहना उचित नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो एवरेज वृद्धि है १६.७। आप यह साबित करिये कि छोटे तबक़े का क्या बढ़ा है? तोता रटन्त है आपका तो।

श्री भीखाबाई : दूसरी बात कही कि यह प्लान बन रहे हैं इनमें कन्सेन्ट्रेटेड पूंजी की बात कही। यह बात किसी क़दर हद तक सत्य हो सकती है। पर राजस्थान के विकास को हम अगर देखें तो इससे पूर्व में जहां इन्डस्ट्रियलिस्ट यहां आते थे तो उनको आय कर की छूट दी जाती थी, बिजली-पानी की सुविधाएं दी जाती थीं, पर आज उन पर भी कई प्रकार के नये टैक्स लग गये हैं, जो पहले नहीं थे। यहां सदन में टाटा, बिड़ला आदि के २५ नाम गिनाये थे उनमें ७ परिवारों के पास में देश के ७७४ करोड़ के असेट्स हैं और बाक़ी के पास में २८०० करोड़ रुपया है। मैं इन आंकड़ों में तो नहीं जा सकता। पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार की क्या रीति-नीति है, वह मैं बताना चाहता हूं। देश में जो एक प्रकार का टैक्स स्ट्रेक्चर खड़ा किया है, उससे आज बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। माननीय सदस्य भी उसका लाभ ले रहे हैं। आज इन्कम टैक्स का सवाल हम लोगों के सामने आया तो मालूम हुआ कि पिंच किस प्रकार से होता है। इसके बाद में स्टेट ड्यूटी है ऐक्सपैन्डीचर टैक्स है, वैल्थ टैक्स है। ये सब इस प्रकार के टैक्स हैं जिनसे कैपिटल एकूमुलेशन को रोका जा रहा है। यह ठीक है आज भी इवेजन हो रहा है पर इसके लिये नये प्रकार की मशीनरी सरकार ने स्थापित की है। इसलिये मानता हूं मैं कि समय धीरे-धीरे कैपिटल को रेगुलेट कर देगा। जो धनवान हैं आज वे धीरे-धीरे ग़रीबों की श्रेणी में आ जावेंगे। तो समय आने वाला है जब समाजवाद सही रूप में आ सकेगा। आगे की नहीं कह सकता आज मैं। आज जो पूंजीपति कहलाने वाले हैं, राजा-महाराजा हैं, एक समय आवेगा जब सरकार की रीति-नीति से ठीक रास्ते पर आयेंगे। इसमें कितना समय लगेगा, यह अलग बात है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार मंहगाई को रोकने का विचार तो कर रही है पर किस प्रकार रोकेगी इसे? मैं समझता हूं सरकार यह सोच रही है। नया आर्डर उसने जारी किया है एक। इसमें हो सकता है कुछ मुद्दे विवादास्पद हों, पर सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है इसे रोकने की।

(श्री भीखाभाई)

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में बताया कि मंहगाई बढ़ रही है। हम यह भी मानते हैं कि प्राइवेट इन्डिविजुअल और दूसरे प्राइवेट सैक्टर वालों के कारखानों में मज़दूरों का भी हिस्सा हो। एक तरफ़ मज़दूरों को खाना पूरा नहीं मिले, वे स्टार्व करें और दूसरी ओर पैसे वालों का पेट ऊपर बढ़ता जावे और अपने डिविडैन्ड्स बढ़ाते जावें इसके लिये मैं बाद में निवेदन करूंगा कि किस प्रकार की व्यवस्था से इसमें सुधार हो सकता है।

राजस्थान सरकार ने अपनी नीति के अनुसार बजट के अवसर पर पब्लिक सैक्टर की इन्डस्ट्रीज़ में पांच रुपया अन्तरिम मंहगाई वृद्धि का देने की सोची। इसी तरह हमने प्राइवेट इन्डिविजअल इन्डस्ट्रियलिस्टों को भी बुलाया और उनसे भी इसी तरह की राहत मज़दूरों को देने के लिये कहा। तीन-चार बार हमने कोशिश की उनको बुला बुला कर। मुख्य मन्त्रीजी ने भी प्रयत्न किया, सभी सदस्यों ने भी कोशिश की।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (रायसिहनगर) : यह आपने उस वक्त किया मजबूर होकर जब २६ हज़ार मज़दूरों ने प्रदर्शन किया वर्ना तो सारे प्रान्तों में क़रीब-क़रीब एक्सपर्ट कमेटियां क़ायम हो चुकी हैं, जो डी. एफ. एओ. को प्राइस इन्डैक्स से लिंक करने के बारे अपना निर्णय देंगी। आप तो सबसे पीछे रहे हैं।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : जिस प्रकार की हमारी नीति रही, बढ़ती मंहगाई को देख कर राज सरकार ने जो कदम उठाये वे आपके सामने हैं। हमने निजी उद्योगपतियों की तीन-तीन बार मीटिंगें बुलाई और कहा कि पांच रुपया अन्तरिम रिलीफ़ के रूप में भी दे दें। मैं समझता हूं कि २० ने हमारी बात मानी और इसकी घोषणा भी की।

साथ-साथ यह निवेदन करूं कि ऐसी टैक्सटाइल मिलें थीं जिन्होंने इस मंहगाई का लिंकिग प्राइस इन्डैक्स से माना नहीं। पर बाद में लिंकिग के इस फ़ॉर्मूला को मान लिया। यह राजस्थान के लिये बड़ी बात होगी। इस लिंकिग के सम्बन्ध में रायसिह-नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह सब जगह हो गया है, सारे प्रान्तों में होगया है; मैं कहना चाहता हूं कि उन की सूचना ग़लत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : मैंने यह नहीं कहा कि हो गया है। उन्होंने इस पर एक्सपर्ट कमेटियां मुक़र्रर की हैं, यह कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री भीखाभाई के बोलते रहने पर) आप तो बोलते जाइये नहीं तो तोते रटन्त भूल जावेंगे।

श्री भीखाभाई : अगर तोते अलवर में ज्यादा होते हों तो तोते की बोली उनको आ सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : आप भी हनुमान भक्त और हम भी लाल लंगोट बांधे हैं।

श्री भीखाभाई : तो जो भावना व्यक्त की गई, राजस्थान सरकार उसका पहले से ही अनुसरण कर रही है। जब सरकार ५) अन्तरिम रूप से मंहगाई दिलाना चाहती

(श्री भीखाभाई)

थी तो क्या उनको संकल्प लाने की आवश्यकता थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा: हमने दस मांगे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रिन्सिपल को सरकार स्वीकार करती है कि बेसिक वेज के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता भी अवश्य मिलना चाहिये निजी क्षेत्र में भी ? बहुत से क्षेत्रों का संकेत किया उनमें नहीं मिलता है यह। तो आप ऐसे लेजिस्लेचर के पॉवर लें कि उनको भी मिलें, वे भी देने को बाध्य हों जो नहीं दे रहे हैं । What the Government has to say about this question ?

श्री भीखाभाई : यह बड़ा विवादास्पद सवाल है। अब इस बारे में इन्डस्ट्रियलिस्ट की तरफ़ से क्या उत्तर हो सकता है मालूम नहीं। पर यह कह सकता हूं कि मंहगाई भत्ता मिलता है या नहीं मिलता, यह राजस्थान सरकार फ़ैसला करने वाली नहीं है। आज इन्डस्ट्रीज़ को ज़िन्दा रखना है तो देखना पड़ेगा वह प्रोफ़िट में जा रही है या लोस में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मजदूर को जीवित नहीं रखना पड़ेगा, इन्डस्ट्रीज़ को ही रखना पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : जिस बात को कहना चाहता था उसमें एक बात और कहना चाहूंगा। आज हिन्दुस्तान में मज़दूरों की स्थिति क्या है, इसके बारे में पहले के मजदूरों के आंकड़े इन्होंने क्वोट किये और यहां बताया। मैंने देखा, पर वे आंकड़े मुझे किसी किताब में नहीं मिले। आप बता दीजिये। बड़े अच्छे हैं आप। मित्र हैं। आपको काफ़ी जानकारी है। आपसे हम बुरी बात तो लेते नहीं, अच्छी बात की सलाह ज़रूर ले लेते हैं,

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : बहुत अच्छी संगत है हमारी। हमारी संगति में रहा करो।

श्री भीखाभाई : मैंने सोचा वे आंकड़े मिल जायेंगे तो मुझे कम तकलीफ़ होगी उत्तर देने में, पर मिले नहीं। पर दूसरे प्रकार के आंकड़े मुझे प्राप्त हुए। उनके अनुसार मैं निवेदन करता हूं कि पहले का इन्डैक्स क्या था और आज उसके मुक़ाबले में मज़दूर को क्या मिल रहा है। १९५३ में आल इन्डिया इन्डैक्स १०६ था, जब कि ६३ में वह १४० हो गया। ३५ परसेन्ट के अनुपात से वृद्धि हुई, जब कि मज़दूरों के वेजेज़ में वृद्धि इस अनुपात से कहीं अधिक हुई। कपड़ा उद्योग में सन् ५२-५३ में मज़दूर को जहां ५२, मिलता था आज ६३ में ७५) मिल रहा है। इसका मत यह हुआ कि ५० प्रतिशत वृद्धि इसमें हुई।

मैं डूंगरपुर–बांसवाड़ा की जानकारी रखता हूं। ५२-५३ में एक मजदूर को चार आना मजदूरी मिलती थी, बाद में वह दस आना हुई और जब राजस्थान बना तब १) होगई और आज १।।) करदी गई है।

सीमेन्ट उद्योग में पहले ५२-५३ में ६० रु० मिलता था जहां आज ११०) रु. मिलता है। तो इस तरह से ८० प्रतिशत वृद्धि इसमें हुई है।

(१२.०० मध्याह्न)

तो इससे साबित होता है जिस प्रकार

(श्री भीखाभाई)

कि राज्य सरकार और भारत सरकार जिस प्रकार से मिनिमम वेजेज़ कमेटी और वेज बोर्ड स्थापित करके समय समय पर इस बात का ध्यान रखती है कि इस मंहगीवाड़ी का क्या असर है और उसका किस प्रकार से रियल वेज में बनीफ़िट हो, उसकी तरफ़ राज्य सरकार सचेत रहती है। उनका इसलिये यह कहना कि १६.७ जो वृद्धि पर-केपिटा इन्कम में हुई है वह ग़लत होता है और ग़लत इसलिये होता है कि क्योंकि हमारी वृद्धि ही ५० प्रतिशत हो जाती है तो निश्चित बात है कि १६.७ कहां तक वाजिब है। म निवेदन करूं कि नेशनल इन्कम और उसके साथ में पर-केपिटा इन्कम में जो आंकड़े बताये और जो उन्होंने उसके लिये कहा मैं मानता हूं कि वह थोड़े सही हों लेकिन मेरी जानकारी इस प्रकार से है कि जैसा उन्होंने कहा कि पैसे वाले लोग ज्यादा रिफ्लैक्ट हो गये हैं और मजदूर लोग कम रिफ्लैक्ट हुए हैं, तो मैं इस बारे में आपको कहना चाहता हूं कि आज मेजर पोर्शन हम मज़दूर हैं, देहाती हैं और किसान और मज़दूर हैं तो जो आमदनी इन्क्रीज़ होती है वह मेजर पोर्शन की रिफ्लैक्ट होगी, ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एग्रीकल्चर लेबर के आंकड़े भी आपके पास हैं क्या?

श्री भीखाभाई : उनके इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि यह जो उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। मैं एक बात लिंकिंग के बारे में कहना चाहता हूं। इसके लिए यहां ज़ोरदार प्रश्न उठाया गया। जो माननीय सदस्य बीकानेर से आये हैं या जितने भी माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में बोले हैं, उन्होंने बहुत जोरों से इसको उठाया कि लिंकिंग हो गया, लिंकिंग हो गया। मैंने जैसा दावा किया कि राजस्थान की सरकार ऐसी सरकार है कि एक अनूठे ढंग से इसके हल का प्रयास कर रही है। टर्म्स एण्ड रैफ़रेन्स इसकी बहुत वाइड हैं और जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में कमेटी है, वह केवल इन्डैक्स के नम्बर को करेक्शन के लिये बनाई थी न कि लिंकिंग के लिये बनाई गई थी। जब राज्य सरकार ने इस प्रकार की श्रमिकों की नीति रखी और श्रमिकों की भलाई करने वाले लोग उसको एप्रिशियेट न करें तो यह उनके लिए शर्म की बात है। तो लिंकिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं कि हिन्दुस्तान में ४०.६ लिंक हुआ है। तमाम इन्डस्ट्रीज़ में १ से लगा कर लगभग ३० तक यह आंकड़े मौजूद हैं। लिंकिंग के बारे में मुझे स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि जो सर्वे की गयी है, उसके मुताबिक़ कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इन्डैक्स नम्बर जूट में ४.५ रहा, मैटल का ३६.५, कागज़ में ७ और प्रिन्टिंग प्रेस में ८ लिंकिंग मिलता है। अतः राजस्थान में सभी उपयोगों में सभी लिंक के लिए लागू किया जाना उचित नहीं मालूम पड़ता है। तो यह आंकड़े भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं, ४० परसेन्ट मज़दूरों का लिंकिंग हुआ है। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि यह सेन्ट-परसैन्ट यूटीलाइज़ेशन हो जाय और सब के साथ में लिंक कर दिया जाये, यह कहां तक वाजिब हो सकता है? यह मैं पूछना चाहता था जब वह रिप्लाई देंगे तो अपने उत्तर में इसको प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से लिंकिंग हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात, जो मैं कहना भूल गया कि जिस प्रकार से तनख़्वाहें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसी

(श्री भीखा भाई)

फ़ैक्टरीज़ हैं जहां इन्सेन्टिव मिलते हैं, बोनस मिलता है, वैसे उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारा का सारा एक भाषण लिखा हुआ लाया था। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे इस भाषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भाषण को पढ़ने से तो बहुत समय लग जायेगा। इसलिये उसकी आवश्यकता भी नहीं है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें पढ़ कर सुनाने की इजाजत दे दी जाये।

श्री भीखाभाई : वह आपके हाथ में दे दूंगा। यह जो लिखा हुआ भाषण है वह मैं आपको बता दूंगा। इसलिये अन्त में मैं अपने सारे भाषण को सम-अप करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द निकाल दिये जायें क्योंकि ये अनपार्लियामेन्टरी हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) कौन से हाथ में दे देंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे संकल्प के बारे में कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir, सवाल यह है कि यह जवाब थोड़े ही दे रहे हैं। जवाब तो वह देंगे जिन्होंने प्रस्ताव दिया है। यह कोई जवाब थोड़े ही दे रहे हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक मुख्य संकल्प का सवाल है, उसमें दोनों बातें लिखी हैं और सरकार जागरूक है। सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि वह अनूठा प्रयास है और रिपोर्ट आने के बाद सेन्ट-परसैन्ट यूटीलाइज़ेशन की बात होती है या कमेटी यह कहती है कि सभी उद्योगों में लिंकिंग किया जाये। मेमोरेण्डम को सुनने के बाद जैसी रिपोर्ट होगी, राज्य सरकार प्रयत्न करेगी कि उसका अनुपालन किया जाये। दूसरी बात यह है कि जो मिनिमम वेजेज कमेटी के बारे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि मंहगीवाडी को ध्यान में रखते हुए जो उनको पैसा मिलता है मिनिमम वेजेज मिलते हैं और जैसा रियल वेज है जिसके अन्दर उनको बढाना चाहिये और जो गैप है रियल वेजेज़ के अन्दर और मिनिमम वेज के अन्दर, उसको कवर-अप करना चाहिए। राज्य सरकार उसके लिए जागरूक है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो अलवर से आने वाले हैं वे अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की सक्रियता को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव नहीं रखें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने एक जानकारी नहीं दी। एग्रीकल्चर लेबर के आंकडे जसे डी. ए. बढ़ कर उसका इन्क्रीज़ है या नहीं ? आपके पास फैक्ट्स हैं क्या ?

श्री भीखाभाई: मेरे पास कम्बाइन्ड हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आंकडे इकट्ठे राज्य सरकार ने किये हैं या नहीं ? अगर नहीं किये हैं तो भविष्य में इकट्ठा कराने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जमा की जायेगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जमा कब की जायेगी। एग्रीकल्चर लेबर के बारे में राज्य सरकार ने आंकडे इकट्ठे किये या नहीं ? अगर नहीं किये हैं तो राज्य सरकार भविष्य में इस बारे में क्या सोच रही है ?

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कौल साहब जवाब देंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका रिप्लाई तो आना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्ड) : कपास की फैक्टरी, सौफ्ट स्टोन की फक्टरी में मिनिमम वेजेज लागू नहीं किये हैं, उसका भी कुछ करेंगे ?

श्री भीखाभाई : सब कर रहे हैं। विचाराधीन है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जानकारी तो मन्त्री महोदय को देनी चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितना सबक पढ़कर आये सुना दिया ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में आंकड़ों के जाल बिछाये और उन्होंने कोशिश की कि जो सिंगल नैट था उसमें डबल नैट कर दिया जाये। जहां तक इन आंकड़ों का ताल्लुक़ है, इन्डैक्स का, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे माफ़ करेंगे कि मैं इसमें ज्यादा न जाऊं। वह दायरा सिर्फ़ इतना रह गया है कि जिसके ऊपर मुझे बोलना है कि सिर्फ़ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और उस वृद्धि को पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेन्डीचर में कमी बाक़ी क़रीब क़रीब श्रम मन्त्री ने अपने भाषण में सारी चीजें पूरी तरह कह दी हैं। जहां तक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का ताल्लुक़ है ख़ास तौर से इस रोशनी में जब कि ख़र्च बढ़ रहा है प्राइस इन्डैक्स बढ़ता जा रहा है और बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, कि हर सरकार को उससे परेशानी होती है और सरकार चाहती है कि किसी तरीक़े से वह बढ़ी हुई जो क़ीमतें हैं, उनको पूरा करने के लिए जहां तक हो सके, वृद्धि की जाय, उनकी तनख़्वाहों में। जो मसला आज प्रस्ताव में पेश हुआ है इस मसले पर काफ़ी बहस पहले हो चुकी है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है। लेकिन जबकि प्रस्ताव आ ही गया आज तो मैं कुछ थोड़ा सा इस पर भी कह दूं तो माननीय सदस्य को तसल्ली हो जायगी, इत्मिनान हो जायगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने आंकड़े दिये इस प्राइस इन्डैक्स को लेकर और यह जाहिर करना चाहा और काफी अपनी तरफ से साबित किया कि जो अब उनकी तनख्वाहें की दर है उसमें कोई निस्बत नहीं है उस तनख़्वाह से जो पहले उनको मिलती थी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ज़रा वे पुराने आंकड़ों को देखें कि जब कर्मचारियों की

(श्री बालकृष्ण कौल)
तनख़्वाह ४० थी उस वक्त में प्राइस इन्डैक्स क़रीब १०४ था······

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्लस २० मंहगाई।

श्री बालकृष्ण कौल : ४० इन्क्लूडिंग (२५ प्लस १५)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से ईयर में?

श्री बालकृष्ण कौल :—१९५०—५१ में और आज उनकी मिनिमम पे है ६०) सब एलाउन्स वगैरह मिला कर वह पडता है और जो प्राइस इन्डैक्स के आंकडे बहुत बढ़े हैं वह १४४ से १४७। अगर इस प्रौपोर्शन को देखा जाय कि ४० से ६० रुपये की जब तरक्की होती है इन्सान की मिनिमम वेज हो जाती है, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, फ़ैक्ट्री के लेबरर की बात नहीं कर रहा हू······

श्री रामानंद अग्रवाल : ५५-५६ में क्या तनख़्वाह थी?

श्री बालकृष्ण कौल : उस वक्त ४०—४५ की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५५-५६ में ५०) रु० थी।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं। तो इसलिये मैं मुक़ाबला करना चाहता हूं कि ५० पर्सेन्ट उनकी तनख्वाहों में वृद्धि हुई है और उस अनुपात से ख़र्चा नहीं बढ़ा है। लेकिन यह नहीं समझें कि मुझे तसल्ली है इस चीज़ से। मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि यह गवर्नमेन्ट अपने आपको ख़ुशक़िस्मत उस वक्त समझेगी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि १००) रु० हो तो जयपुर वाले क़रीब क़रीब पहुंच गये हैं, मैक्ज़िमम पर, मिनिमम नहीं, लेकिन १००) रुपयों से भी ज्यादा बढ़ें, यह हमारी ख़्वाहिश है और वह दिन दूर नहीं जब कि यह अनुपात है, यह जो डिफ़रेन्स है वह दिन व दिन कम होता जायगा।

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य के उन आंकडों को भी दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि जो उन्होंने कुछ गजटेड ऑफिसर हैं और उन ऊंचे तबके के कर्मचारियों का जो मुकाबला किया है, नीचे के कर्मचारियों से। जब मुका-बला वे कर रहे थे तो वे भूल रहे थे कि जो आंकडे वह पेश कर रहे थे उसमें एक तरफ तो उन्होंने सबसे उंची तनख्वाह वाले को ले लिया, हाइएस्ट ग्रेड ले लिया और दूसरी तरफ नीचे की ग्रेड को ले लिया। दोनों तरफ के मेक्जिमम को ले लें तो उनको मालूम हो जाएगा, जैसा कि मैं ने पहले कहा था अपने जवाब में बजट स्पीच में कि फर्क १८ और २० पर्सेन्ट का है और अगर मिनिमम दोनों को ले लें तो शायद ६-७ पर्सेन्ट आयेगा। तो आंकड़े जिस वक्त सामने रखे जाते हैं इस सदन के, मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि आंकड़े भी देना चाहें तो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह को लेते हैं और सब पर फैलाते हैं। आम तौर पर उनको लेना चाहिए सर्विसेज का, आई. पी. एस. का, आई. ए. एस. और आर. एस. का और फिर नीचे के कर्मचारियों का मैक्जिमम और मिनिमम लें तो जो मैंने अनुपात बताया वही पडेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): २२५० तक है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मत भूलिये कि २२५०) रु. की तनख्वाह है, तो पडती क्या

(श्री बालकृष्ण कौल)
है इन्कम टैक्स देकर, क्योंकि छोटा कर्मचारी इन्कम टैक्स नहीं देता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: छोटे कर्मचारी को भी इन्कम टैक्स देना पड़ता है।

श्री बालकृष्ण कौल : २२५० के ऊपर ४५० इन्कम टैक्स होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): स्टेट एक्सचैकर से तो चला गया।

श्री बालकृष्ण कौल : स्टेट एक्सचैकर में दूसरी तरफ से आ गया, इन्कम टैक्स के हिस्से का तो मैं मुकाबला कर रहा था उसके खर्चे का। वह कम पडता है। १८०० रु० पड़ता है जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कितने आदमी हैं? दूसरी तरफ पड़ता है जयपुर में रहने वालों को ६५ रु० और कोई टैक्स नहीं है, इन्कम टैक्स। मैं यह कह रहा था कि अपने आंकड़े ठीक कर लें। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि यह आंकड़ों का जाल है। इस जाल को वही फेंके जो यह जानता हो कि किस तरीके से जाल फेंका जाता है। कहीं ऐसा न हो कि वह खुद ही अपने जाल में फंस जाय। इसलिये, श्रीमान्! मैं यह निवेदन करूंगा कि अच्छी लगती हैं बातें और जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो गैलेरी को अच्छा प्ले कर सकते हैं। काश कि यह भाषण पब्लिक प्लेटफ़ार्म पर हो तो ज्यादा मुनासिब हो, क्योंकि वहां पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। इन प्रोसीडिंग्स को यह तो मैं नहीं जानता हूं और यह मुनासिब भी नहीं है कि हमारी आने वाली औलाद यह देखे कि माननीय सदस्य जो बोलते थे वे ज़मीन और आसमान के क़लावे मिलाया करते थे। यह एक हिस्ट्री है, तवारीख़ है, जो हमारी प्रोजेनी देखेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब आंकड़ रखें तो निश्चित आंकड़े रखें। सर्वे के रखे आंकड़ों में तो उसमें डिफ़रेन्स आॅफ़ ओपीनियन हो सकती है। लेकिन जो फ़ैक्चुअल आंकड़े होते हैं, उनको तो कम से कम जानकारी करके रखना चाहिये, तस्दीक़ करके आंकड़े रखने चाहिए।

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों से एक बात और निवेदन करदूं कि उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर १०) रुपये बढ़ाये जांय हरेक की तनख़्वाह में, तो दो करोड़ का ख़र्चा बढ़ जायगा और जादूगर की तरह से माननीय सदस्य ने उसका एक इलाज भी सामने रख दिया जैसे कि हर इलाज उनकी जेब में है और कह दिया कि यह तीन डिपार्टमैन्ट ख़त्म कर दिये जांय। कह दिया कि ख़त्म कर दिये जांय। उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ एमेलगेमेट कर दिये जांय, उसके साथ मर्ज कर दिये जांय। श्रीमन्, अगर किसी डिपार्टमेन्ट को किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट के साथ मर्ज कर दिया जाय तो कहां से उसके ख़र्चे में कमी आयेगी? हो सकता है कि एक सेक्रेटरी कम हो जाय और फिर २-४-५ क्लर्क कम करें तो सवाल पैदा होता है कि अनएम्प्लोयमेन्ट होता है। कह देने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब डिपार्टमेन्ट ख़त्म हो गये। इसी लिये मैंने प्रश्न किया था कि ख़त्म कैसे होंगे तो वह कहने लगे कि उनके साथ मिला दिये जायं। इतनी स्टेटें जब आपस में इन्टेग्रेट हुई श्रीमन् मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह बतायें कि जब इतनी छोटी छोटी स्टेटें आपस में मिलीं तो कितने कर्मचारियों को निकाला? किसी को नहीं

(श्री बालकृष्ण कौल)

निकाल सकें, क्योंकि उनके सामने अनएम्प्लॉयमेन्ट का सवाल उठता है। इसलिए यह कह देना कि उस डिपार्टमेन्ट को एबोलिश कर देंगे और कर देना चाहिये यह तो वह आता नहीं है।

वे तो यह कहते हैं कि अलग अलग न रखा जाय। कोई एजूकेशन के साथ मिला दिया जाय, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिला दिया जाय और कोई तीसरे के साथ मिला दिया जाय। लेकिन इससे खर्चा कम नहीं होगा। आपने दो करोड़ का नक्शा दिया था लेकिन वह नक्शा नहीं है। वह इन्कन्सिस्टेण्ट है, उस चीज से जो माननीय सदस्य अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं.........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लेने को तैयार हैं लेकिन आप चले जाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : जाना तो मुश्किल है, आना मुश्किल नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप चले जायेंगे तो हम ले लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह नहीं कहता कि कब लेंगे, इस जन्म में लेंगे या अगले जन्म में लेंगे। मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूं। लेकिन दुनिया उम्मेद पर कायम है, उम्मेद से ही जिन्दा है। माननीय सदस्य उम्मीद कायम रखें, कभी न कभी कुछ न कुछ फल मिल ही जायगा। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प पर जो बहस हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : As brief as possible, so that we can take up the third resolution.

श्री रामानन्द अग्रवाल : How many minutes you want to give me ?

श्री उपाध्यक्ष: Well, 10 minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे संकल्प पर जो बहस हुई है मुझे यह खुशी है कि जो माननीय सदस्य इस पर बोले हैं, उनमें से सरकारी पक्ष से श्रम मन्त्रीजी के अलावा सभी ने इन सिद्धान्तों को, जो दो सिद्धान्त मैंने इसमें रखे हैं, उनको स्वीकार किया है और उनका समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मन्त्रीजी ने जो अपना भाषण दिया और जिस तरीक़े से इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि मंहगाई बढ़ी है, इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि वर्किंग क्लास को उसका हिस्सा मिलना चाहिये फिर भी एक इस तरह की दलील दी है, जो वास्तव में एक श्रमिक वर्गों की हिमायत करने वाला श्रम मंत्री नहीं हो सकता; बल्कि जैसा मैंने एक बार पहले निवेदन किया था कि एक पूंजीपतियों के एक कारख़ाने में एक वैलफ़ेयर ऑफ़िसर रखा जाता है अपने मालिक की हां में हां मिलाने के लिये, उसी तरीक़े का जवाब श्रम मन्त्रीजी ने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न रखा था, गवर्नमेंट के सामने कि इस पीरियड में बावजूद नेशनल इन्कम बढ़ने के, कैपिटल इन्कम बढ़ने के, मजदूरों की रीयल वेजेज कम हुई हैं और उनके आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये थे। माननीय मंत्री महोदय उनको कंटैस्ट नहीं कर सके। किताब उन्होंने ढूंढी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर उनको मिली नहीं, यह उनका और हमारा भी दुर्भाग्य है । लेकिन फिर मैं रिपीट करके कहना चाहता हूं कि वे आंकड़े जो मैंने प्रस्तुत किये थे, वे किसी नॉन ऑफिशियल एजेन्सी के नहीं हैं, सरकारी एजेन्सी के हैं । वे इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स, १६६१, लेबर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, जिसमें इस बात को साफ तौर से स्वीकार किया गया है कि १६५५ के बाद लगातार रीयल वेजेज के अन्दर बढ़ोत्तरी होने के बजाय गिरावट होती चली आ रही है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय या तो शायद इकॉनोमिक्स के विद्यार्थी नहीं रहे, इसलिये सिम्पल रूल को नहीं समझ सके, इसलिये वे कहने लगे कि यदि एवरेज पर-कैपिटा इन्कम इन्क्रीज हो गई, तो वर्किंग क्लास की भी पर-कैपिटा इन्कम इन्क्रीज हो गई । यह सिम्पल फार्मूला निकाल लिया । उनकी बात सुन कर मुझे वह किस्सा याद आ गया कि बनारस से ५ ग्रेज्युएट्स कहीं जाने के लिये निकले, तो बीच में एक नाला पड़ गया । उसको देख कर एक ने कहा यह ४ फुट गहरा है, दूसरे ने कहा ५ फुट है, तीसरे ने कहा ६ फुट है । तो पांच और चार नौ, नौ और छः पन्द्रह फुट टोटल हुआ, इसलिये एवरेज आया ५ फुट इसलिये इसमें से निकल जायेंगे । मंत्री महोदय के कद वाले ने कहा कि ५ फुट गहरा ही है तो इसमें से निकल जायेंगे, डूबेंगे नहीं । इसलिये उसमें घुस गये और मंत्री महोदय के कद वाले थे इसलिये सब उसमें डूब गये । आप भी इसी औसत पर चलेंगे तो पर-कैपिटा १६.६० पर्सेन्ट इन्क्रीज हुई हैं इसलिये वर्किंग क्लास की भी ऑटोमैटिकली पर-कैपिटा इन्कम इन्क्रीज हुई होगी, लेकिन यह गलत है । दरअसल में ये फैक्ट्स आपके सामने हैं ।

मैंने आंकड़े दिये कि रीयल वेजेज में गिरावट हुई है वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ें हैं । दूसरे आंकड़े आपके ए. आई.-सी. सी. के रिव्यू के हैं । ३ लाख से ज्यादा जिनकी आमदनी है उन ऐजेंसीज की तादाद ५१-५२ में १३२५ थी और ५८-५६ में उनकी तादाद २६६३ हो गई । दुगुने ये लोग हो गये । यह ए. आई. सी. सी. से जो इकोनोमिक रिव्यू निकलता है, उसके आंकड़े हैं सैवेन्थ जून, १६६१ के । तो इस तरीके से इस दौरान में किसी तबके की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी है उसको मिला कर १६.६० बढ़ी है और कुछ की बढ़ी नहीं है, घटी है और इन सब का एवरेज निकल कर आया है उससे मंत्रीजी यह नतीजा निकालें कि वर्किंग क्लास की आमदनी बढ़ गई है तो यह गलत नतीजा होगा । इस कन्सेप्शन पर चल रहे हैं तो वे अपने आपको दुरुस्त करलें । यदि इसी तरह चलेंगे तो वर्किंग क्लास का रिप्रेजेन्टेशन वे नहीं कर सकेंगे ।

किसानों के बारे में कहा । मैं निवेदन करना चाहता हूं सेकिण्ड लेबर इन्क्वायरी कमिटी की रिपोर्ट हमारे सामने है । उसमें इस बात को कहा गया कि एग्रीकल्चरल लेबर की जो आमदनी ५०-५१ में पर फेमिली ४४७) रु० थी वह ५६-५७ में जाकर ४३७) रु० रह गई, १०) रु० की इसमें गिरावट हुई है । माननीय सदस्य जो जालौर से आने वाले हैं, उन्होंने आंकड़े पूछे थे । मैं आंकड़े दे रहा हूं सरकार के सामने और इसके बाद सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फर्दर डेवलपमेंट हुआ है उसकी स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर, डॉक्टर···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Clarification, अगला जो प्रस्ताव आने वाला है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिये टाइम फिक्स हो गया था । उपाध्यक्ष महोदय, टाइम आगे बढ़ायेंगे या जल्दी खत्म होगा; आपकी व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : टाइम आगे नहीं बढ़ायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कह रहा था, डॉक्टर राज के. निगम हैं उन्होंने अपनी किताब लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सैक्टर में इस पीरियड में करीब १७०० करोड़ रुपयों की आमदनी इन्क्रीज हुई है । इन १७०० करोड़ का ३० परसेन्ट कुल ३ परसेण्ट लोग जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है यानि १७०० करोड़ की ३० परसेण्ट आमदनी केवल ३ परसेण्ट लोगों की बढ़ी है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं समझता हूं सरकार के बड़े से बड़े लीडर भी इन्कार नहीं कर सकते कि बहुत बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है । महलनवीस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इस तरह के तथ्य दिये हैं । गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि इस बात से इन्कार करें ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मंहगाई बढ़ी है और यदि आप रीयल वेजेज को नहीं गिराना चाहते हैं, तो डीयरनैस अलाउन्स आवश्यक रूप से मिले, इसको स्टेचुटरी तौर से मंजूर करें । आज कुछ इंडस्ट्रीज में डीयरनेस अलाउन्स मिलता है, लेकिन वह लिंक-अप नहीं है, उसके लिये आपने कमेटी बैठाई है, यह अच्छा है । अब इसको बैठाने के लिये गवर्नमेंट पर वर्किंग क्लास का प्रैशर मानें या कुछ भी मानें, लेकिन कमेटी बैठाना अच्छा है ।

उसमें भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तैयार हैं, इस सरकार को और उसका रिज़ल्ट जल्दी निकालेंगे और वास्तव में डीयरनैस को, फुल यूटीलाइजेशन के बेसिस पर डीयरनैस लिंक कर देंगे तो इस गवर्नमेंट को और भी मुबारकबाद देने को तैयार होंगे । लेकिन प्रश्न यह है, जिनमें डीयरनैस मिलता ही नहीं है या जिन इंडस्ट्री में डीयरनैस नहीं है, उनको बाध्य करें कि वे डीयरनैस दें ताकि रीयल वेजेज़ में गारंटी रहे । इस बात को यह कह कर टाल दिया कि यह केन्द्रीय सरकार का मामला है । अभी ६८ परसेण्ट मजदूरों को मिलता है तो यह मामला केन्द्रीय सरकार का हो या यहां पर हो, उनको विचार करना चाहिये । हमें यह कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ मर जायंगी जो इंडस्ट्री इस स्थिति में नहीं हों कि मजदूरों का पेट भर सके तो उस इंडस्ट्री का मर जाना अच्छा है·····

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इंडस्ट्री मंत्री नहीं, आप श्रम मंत्री हैं, आप मजदूरों के मंत्री हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इंडस्ट्री मंत्री और श्रम मंत्री के होते हुए आपके सामने सुखाड़िया साहब ने डेढ़ लाख की जमीन जयपुर में टाटा, बिड़ला को दे दी, आपने किसी ट्रेड यूनियन को, भले ही इण्टक को जमीन दे दी होती, तो हम कहते कि ट्रेड यूनियन को जमीन दे दी है उनको दफ्तर बनाने के लिए......

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह रास्ता निकाला है। अब दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सभापति महोदय, इस स्थिति के अन्दर में निवेदन करता हूं कि जो तथ्य हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोपोजीशन हैं, उनके अनुसार डीयरनैस मिलना चाहिए इन एडीशन टू बेसिक सैलेरी, और जो लिंक कन्ज्यूमर इन्डैक्स नम्बर से नहीं हैं, वह होना चाहिये। इन बातों को गवर्नमेंट स्वीकार करे तभी इंडस्ट्रियल रैस्ट रह सकेगा और सही तरीके से प्लानिंग हो सकेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री ने जवाब दिया, और आंकड़ों के आधार पर कहा कि मैंने जो आंकड़े पहले रखे थे और जो मैक्जिमम और मिनिमम कह कर बताया था, वह आपने असत्य माना है। मैंने एक एक आदमी की तनख्वाह ग्रेडेशन आदि के आधार पर बताया था और फिर बता देना चाहिये, अगर वे गुना भाग करना जानते हों। मैं नहीं समझता वे जानते हैं क्योंकि व्यापारी नहीं हैं और यह आंकड़ों का प्रश्न है। पंजाब का बताया था, आई.जी. का २२०० फिक्स मिलते हैं। उसमें मैक्जिमम और मिनिमम है नहीं। सैकिंड ग्रेड डी. आई. जी. ११५० से २ हजार तक आती है। मैंने कहा ४५०० रुपये मिलते हैं ३१ को। आप चाहें तो जोड़ कर बता दूं। फिर मालूम हो जायगा कि मेरे आंकड़े गलत हैं या उनके गलत हैं या यह किताब लिखी है वह गलत है।

इसके अलावा कहा कि मैंने राय दी कि इन इन डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दें तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बच जायगा। वह इस बात को मजाक में ले गये। मैं दावे के साथ कहता हूं। मैंने कहा है उसके फिगर बता सकता हूं। एक डिपार्टमेंट के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है, यहां जयपुर का जो उनका संचालक का ऑफिस है, उसके लिए हमारे बजट में कुल मिला कर ३१ लाख एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करते हैं। यदि उनको दूसरे विभाग में मिला दिया जाय, तो मैंने कहा है कि इतने ऑफिसर्स की जरूरत नहीं होगी और एजूकेशन में जायेंगे तो एजूकेशन सेक्रेटरी हैं, वे ही काम करेंगे। इसके डाइरेक्टर हट जायेंगे। आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जायगा। मैं कहूंगा, आप पचपन साल के ऊपर के लोगों को नौकरियों में क्यों रखना चाहते हैं? क्यों रिटायर्ड आदमी को नौकरी देना चाहते हैं? उनको निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी आशंका नहीं रहती कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, क्योंकि बहुत लोग उधर चले जायेंगे।

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

इसके अलावा मैंने दो, चार बातें कहीं, उनका उन्होंने जबाब नहीं दिया। एक यह है कि जो फिजूल खर्चा कर रहे हैं उनको कम क्यों नहीं करते ? आप गरीब लोगों को वह फैसेलिटी क्यों नहीं देते जो दूसरों को देते हैं ? उसके बारे में आप चुप रहे। मैंने दूसरी बात कही, आपने क्वालिटी होटल को ४० हजार का ऋण दिया बिना प्रोविजन के। जो लोग आपको खुश करने के काम करते हैं उन पर लाखों रुपया खर्च करते हैं और जो बचत करने की बात कही, उसका क्या हुआ ? आपके यहां टाइप राइटर मशीनें पड़ी हैं, जिनको कम भाव में बेचते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें खर्च को बचा कर आप पैसे का यूटीलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो २४ लाख का प्रोविजन मैंने बताया, उसको आपने उड़ा दिया। ये जो बातें मैंने बताई इनको आपने उड़ा दिया, इनका जवाब नहीं है और आप ऐसे धन्धे करते रहते हैं जिनमें पैसा बचाया जा सकता है और पैसा बचा कर उसको अच्छे ढ़ंग से यूटीलाइज किया जा सकता है।

आप कर्मचारियों के पांच या दस रुपये मंहगाई भत्ते में बढ़ाते हैं। उसका लम्बे अर्से में एम्प्लॉईज को फायदा नहीं होता है। आज पे में जो रुपया बढ़ाते हैं तो पेन्शन मिलेगी, उसमें फायदा होगा, और दूसरी चीजों में फायदा हो सकता है। इसलिये मेरा जो यह सुझाव है कि उनकी पे में दस रुपये बढा दिये जायं, इसको मंजूर करें और सारी बातें फिर से क्लीयर कर दें। आप आंकड़ों के धन्धे में न फंसें हमसे आप जीत नहीं सकते इस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है, उसमें जो संशोधन श्री केदारनाथ ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उसी प्रस्ताव में जो संशोधन श्री हांडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन उसी प्रकार श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री उमराव-सिंह ढावरिया ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

अस्वीकृत

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव गिर गया।

Shrimati Nagendra Bala

स्वतन्त्रता संग्राम में आहुति देने वाले राजस्थानियों के जीवन गाथाओं का संकलन करने विषयक गैर सरकारी संकल्प

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं:—

"इस सदन की राय है कि स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले राजस्थानी वीर क्रांतिकारियों की जीवन गाथाओं का संकलन कराया जावे और उन्हें प्रकाशित कराया जाकर अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों में रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावक महोदया १५ मिनट लें और समर्थक १० मिनट।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय सैंकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारतवर्ष ने करवट बदली और भारत माता को मुक्त करने वाले लाडले आजादी की शमा पर परवाने के समान न्यौछावर होने लगे। ऐसे अनेक क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के नाम भारतवर्ष के गौरव के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। इतिहास जब जब अपने पृष्ठ खोलेगा तो गौरवान्वित होगा और यह शहीद सदैव अमर रहेंगे। स्वतंत्रता के इस संग्राम में राजस्थान प्रान्त का जो योगदान रहा वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यों तो राजस्थान एक वीर देश कहलाता ही आया है और इसमें सन्देह नहीं है कि त्याग, तपस्या और बलिदान में यह प्रान्त सदैव अग्रणी रहा है। महाराणाप्रताप का बलिदान जब याद आता है पद्मिनी का जौहर जब याद आता है तो आज भी हम अनुभव करते हैं कि रक्त गर्म होकर हमारी धमनियों में बहने लगता है।

स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान प्रान्त के जिन क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियां दी हैं, मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हम भूले नहीं हैं अर्जुन लाल सेठी को जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यह प्रण किया था कि मैं आजीवन आजादी की बलिवेदी पर न्यौछावर होने वाले वीरों का निर्माण करूंगा और विकट परिस्थितियों के बावजूद वे जीवन-पर्यन्त सतत इस प्रयत्न में लगे रहे।

खरवा राव गोपालसिंहजी का नाम हम भुला नहीं सकते जिनके नाम लेने मात्र से हम गौरवान्वित होते हैं। स्व० श्री अर्जुनलाल जी सेठी ने आजन्म आजादी की प्राप्ति के बलिदान की प्रतिज्ञा को निभाया उसको आज भुलाया नहीं जा सकता। उनमें जितना देश प्रेम और तड़फ थी उसको अजमेरवासी अच्छी तरह जानते हैं। ठाकुर केशरीसिंहजी, जोरावरसिंहजी और कुंवर प्रतापसिंहजी को हम भूल नहीं सकते हैं। आज भी जब उन शहीदों की याद आती है तो चिताओं के शोले हमारी आंखों के सामने दहकते हुए दिखलाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेकों महान क्रांतिकारी हमारे राजस्थान में हुए हैं, जिन्होंने इतिहास को पुनः रोशनी दी है। मैं चाहती हूं कि राजस्थान सरकार उनको

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

जीवनियों का संकलन करके और उन्हें प्रकाशित करके उनको अनिवार्य पाठ्य-पुस्तकों के रूप में हमारे यहां रखा जाए। यदि हम सोचें और देखें तो मालूम होता है कि यदि पूर्व के इतिहास की घटनाओं का उल्लेख पाठ्य-पुस्तकों में नहीं किया गया होता तो आज महाराणा प्रताप का नाम राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता। भामाशाह और पन्ना धाय व पद्मनी के नाम केवल चन्द घरों तक ही सीमित रह जाते। इनका त्याग भुलाया नहीं जा सकता। ये गाथायें, त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ानेवाली जीवनियें पुस्तकों में आनी चाहियें, जिससे वे पढ़ेंगे, तो हमारे राष्ट्र के बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा और उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जहां यह गाथायें हमारे राष्ट्र के बच्चों के चरित्र निर्माण करेंगी, वहां शिक्षा में भी एक मोड़ लाएगी। ऐसी गाथाओं और पुस्तकों को पढ़ने से बालकों के दिमाग में सेवा भाव अनुशासन की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है जिसकी आज देश की सुरक्षा के लिये बहुत बड़ी जरूरत है।

श्री दिनकर ने शहीदों की प्रशस्ति में एक शहीद स्तवन नामक पुस्तक लिखी है, उसकी चार पंक्तियां मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, जिसका हैडिंग है :—

"कलम आज उनकी जय बोल।
अंधा चकाचौंध का मारा
क्या जाने इतिहास बिचारा।
साखी है उनकी महिमा के
सूर्य, चन्द्र भूगोल खगोल
कलम आज उनकी जय बोल।:"

हम चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरह की रचनाएं इन शहीदों की याद में की हैं, और जहां पर शहीदों ने अपने जीवन को स्वतन्त्रता संग्राम में बलि दिया है और राजस्थान के गौरव को ऊपर उठाया है, राजस्थान के मस्तिष्क को ऊपर उठाया है उनकी जीवनियों के साथ, उनके पुराने जीवन चरित्र की राजस्थान सरकार, शोध करे और प्रकाशित कराए और उनको अनिवार्य रूप से यहां पाठ्य-पुस्तकों में अपनायें। यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं निश्चित तौर से मानती हूं कि अजमेर ही एक ऐसा स्थान है जहां अभी भी उन शहीदों और क्रांतिकारियों की जन्म तिथियां सोत्साह मनाई जाती हैं। उनकी गाथाओं से साधारण जनता को जानकारी दी जाती है और वहां लोग अपने विचार प्रकट करके उन्हें श्रद्धांजली देते हैं तथा वहां के समाचार-पत्रों में उनके लेख प्रकाशित कराते हैं। उनके पास पूरे साधन नहीं होते हुए भी वे लोग कठिनाइयों को सहन करते हुए भी आज इसमें लगे हुए हैं और काम करते हैं। उनके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारी सरकार उनको सहयोग दे। इतना ही नहीं, राजस्थान के बाहर जाकर भी अजमेर निवासियों ने इस कार्य में योगदान दिया है और कार्य करते रहे हैं, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इसके लिये आवश्यक कदम उठाए। अब मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर यही कहूंगी कि और भी माननीय सदस्य जो इस संबंध में जानते हैं वे इस पर बोलें और प्रकाश डालें। अतः मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है वह बहुत देरी से रखा गया है। जिन देवता स्वरूप लोगों ने आजादी के लिये अपना जीवन बलिदान किया है, उन्हें हमें आज से बहुत समय पहले याद करना चाहिये था। क्योंकि जिन लोगों ने समाज को बदलने के लिये, मुल्क को गुलामी से आजादी में लाने के लिये जो-जो काम किये, उनमें से बहुत सों के नाम राजस्थान की जनता नहीं जानती। यह कोई बहुत अच्छी बात हमारे लिये नहीं कही जा सकती है। जब हमें आजादी प्राप्त हुई थी तो सबसे पहले हमें उनको याद करना चाहिये था। मगर आज यह संकल्प आया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और निवेदन करूंगा कि जिन जिन की कहानियें, गाथाएं पाठ्य-पुस्तकों में देने योग्य हैं उन्हें पाठ्य-पुस्तकों में देनी चाहिये ताकि हमारे बच्चे कम से कम यह तो समझ पायें कि हमारे यहां राजस्थान में कैसे कैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने समाज को बदलने में और आजादी की लड़ाई में भाग लिया। समाज को बदलने में महाराणा प्रताप ने जो काम किया उसके साथ साथ मैं और भी नाम बताऊंगा जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट को धर्म परिवर्तन से बचाया है। आज से तीन सौ या चार सौ वर्ष पूर्व जब शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का जबरन धर्म परिवर्त्तन किया जाने लगा, जो करीब करीब परिवर्त्तन हो सा गया था और वे लोग गाय की जगह सूअर की कसम खाने लग गये थे और आज भी गाय के स्थान पर सूअर की कसम खाते हैं, उस समय कोई न कोई देवतारूप महान् पुरुष क्रांतिकारी के रूप में आगे आए। हमारे यहां रामदेवजी हुए हैं, हमारे यहां गोगाजी हुए हैं, जिन्होंने समाज में क्रांति पैदा की। रामदेवजी और गोगाजी के गीत अभी भी गाये जाते हैं। लेकिन सरकार ने उनको कोई महत्व नहीं दिया। जिन्होंने छोटे लोगों की मदद की और सारे समाज में एक सामाजिक क्रांति पैदा की, जिससे लोगों की हिम्मत बढ़ी उनको आज आप छोटा समझते हैं। गोगाजी, पाबूजी आदि के गीत और गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। उनके बिखरे हुए सैंकड़ों छन्द पड़े हुए हैं। उनको आपको एकत्रित कर लेना चाहिये। इसलिये लोगों को मालूम हो कि जिस समय मुल्क में आजादी की लड़ाई आई और आजादी के लिये लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय राजस्थान किसी भी तरह से पीछे नहीं रहा है। आज अर्जुनलालजी सेठी का नाम लोग नहीं जानते। उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ इस प्रकार से कार्य किया जिस प्रकार सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। आज जयपुर में किसी से कहें कि अर्जुनलालजी सेठी को जानते हैं, तो वे अर्जुनलालजी सेठी का नाम नहीं जानते। आज यह गलती उनकी और हमारी नहीं है, यह राज्य करने वाली पार्टी को चाहिये था कि ऐसे लोगों का इतिहास बनाते।

जिस तरह से अर्जुनलालजी सेठी को लोग नहीं जानते उसी तरह से ठाकुर गोपालसिंहजी खरवा को वहां के आसपास के लोग भी नहीं जानते कि उन्होंने मुल्क की आजादी में क्या योग दिया था। ठाकुर जोरावरसिंहजी सन् १९१४ में जब सबसे पहले लार्ड हार्डिंग्ज पर बम्ब गिरा उसमें राजस्थान का हाथ था। मगर आज राजस्थान के लोग इसको नहीं जानते। जो २६ वर्ष तक फरार रहे और अंग्रेजों के हाथ नहीं आये। वे मालवा में रहे २६ साल तक और देश की सेवा करते

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

रहे, उन ठाकुर जोरावरसिंहजी को लोग नहीं जानते। ऐसे ही ठाकुर या कुंवर प्रताप सिंह जी २१ साल की उम्र में घर से आजादी की लड़ाई में निकल पड़े। जब वे पकड़े जाते हैं तो पुलिस उन्हें तंग करती है और कहती है कि यदि हम तुमको मार देंगे तो तुम्हारी मां को बड़ा दर्द होगा और वह रोएगी। इसलिये अच्छा हो तुम सारा भेद बता दो। उन्होंने कहा कि कल सोच कर जवाब दूंगा। सुबह उठते ही पुलिस कहती है कि क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अगर मैं सारा भेद बता देता हूं तो आज तो मेरी एक माता ही रोएगी, फिर दूसरों की हजारों की माताएं रोयेंगी। उनको हजारी बाग ले जाया गया जहां उनके पिता ठाकुर केसरी सिंहजी बन्द थे। वहां पर केसरीसिंहजी ने उन्हें जो शब्द कहे वे आपको बताना चाहता हूं। केसरीसिंहजी ने कहा, प्रतापसिंह तुम अपने प्राण बचाने के लिये यहां आये हो मैं जानता हूं कि तुम यह कहने को आये हो कि मैं भेद बतादूं। अगर भेद बता दिया तो तुम अंग्रेजों की जेल से बच सकते हो, अपने प्राण इस समय बचा सकते हो, लेकिन जब मैं हजारी बाग की जेल से निकलूंगा उस समय तुम मेरी बन्दूक की गोली से बच नहीं सकोगे। अगर तुम भेद बताते हो तो मेरे लड़के नहीं हो। उनके दिल में यह नहीं आया कि मेरा लड़का मर जाएगा। ये कहानियां नहीं हैं, ये सच्ची बातें हैं। किस प्रकार कुंवर प्रतापसिंहजी को फांसी पर चढ़ाया गया और ठाकुर केसरीसिंहजी ने कोई चिन्ता नहीं की। इसके अलावा उस समय कई राजाओं ने भी मुल्क की आजादी के लिये साथ दिया। महारावल कोटा, महाराजा बीकानेर, विजयसिंह पथिक आदि भी थे, उनके नाम लोग नहीं जानते। उसके बाद जब हिन्दुस्तान सोशियलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी बनी उसमें भी राजस्थान का पूरा हाथ था। उसमें कई लोग मारे गये। मगर आज उसमें काम करने वाले कई लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से हमारे भाई ज्वाला-प्रसादजी यहां मौजूद हैं। उनका इतिहास वे ज्यादा बता सकेंगे जो उनके साथ बैठे थे, जो शहीद हुए। ऐसे लोगों से उनकी बातें पूछिये कि राजस्थान का क्या इतिहास था? मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में मेयो कॉलेज की नींव इसीलिये पड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ षड्यन्त्र रचा जाए। मगर उसकी सूचना उनको हो गई। मगर वास्तव में नींव इसीलिये डाली थी कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रहार किया जावे, लेकिन भेद खुल गया। मगर जब वहां पर लड़ाई हुई तो देवली में तीन अंग्रेज मारे गये। इसके बाद राजाओं से अंग्रेजों ने हाथ मिला लिया और कॉलेज बना दी। यह सब इतिहास हमें हमारे लोगों को बताना पड़ेगा।

अब जो हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनी थी, उसके बारे में माननीय सदस्य को बोलना चाहिये और सदन को बताना चाहिये, यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई दूं बहिन को, जो इस तरह का प्रस्ताव यहां लाई हैं। हमारे देश में आज जिस तरह की इम्तिहान की घड़ी आई है, जिस तरह की परीक्षाएं हमारे सिर पर मंडरा रही हैं उसके लिये आवश्यक है कि हम अपने प्यारे वीरों से स्फूर्तिदायक चीजें लें, प्रेरणाएं लें। आज

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

मेजर शैतानसिंह का नाम लेकर जो स्फूर्ति हमारे नौजवानों में ग्राती है तो उस लाइन को स्वातंत्र्य संग्राम की तरफ पीछे को ले जायं जो राजस्थान की मिट्टी में पले-पोसे, उन्होंने जब अन्याय और दूसरों की गुलामी का मौका आया तो बड़ी से बड़ी शक्ति को टक्कर दी। जो इतिहास वेत्ता हैं वे इस बात के गवाह होंगे कि हिन्दुस्तान में आजादी से पहले जो लड़ाई लड़ी गई उस लड़ाई से लेकर आखिर तक सारी कुर्बानियों को देखा जाय तो राजस्थान की किसी प्रान्त से कम कुर्बानियां नहीं हैं।

नसीराबाद वह अजीब जगह है, जहां १८५७ में सात-आठ जगह यादगारें बनाई गई। नसीराबाद को उस समय हिन्दुस्तान में सबसे उपयुक्त जगह समझ कर चुना गया। जो हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी, जिसको हमारी हार होने की वजह से अंग्रेजों ने गदर नाम दिया, उसमें नसीराबाद के गूजर, जाट अपनी कुर्बानियां ले कर अंग्रेजों से लड़ने के लिये गुड़गांवा तक पहुंचे और वहां उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ीं। १८५७ के बाद गदर पार्टी और दूसरी पार्टियों का इतिहास आता है उसमें १९१४ में जब हार्डिंग्ज पर हमला होता है तो उसमें भी राजस्थान अपनी कुर्बानियों के साथ मौजूद है। इन सब चीजों का पता चलता है तो १८१८ के रेगुलेशन के अन्दर स्टेट प्रिजनर खरवा के ठाकुर गोपालसिंह को बनाया जाता है। दूसरे लोग श्री कृष्ण वर्मा, लाला हरदयालसिंह, जो सभी विदेशी मुल्कों से जर्मनी आदि से नेगोशियेशन्स करके अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकालने के लिये कोशिश करते हैं तो उसमें भी राजस्थान का बड़ा हिस्सा रहा है।

मैं मुगलों के टाइम के पुराने इतिहास की बात यहां नहीं करता, उसके लिये तो राजस्थान ने जो कुछ किया उससे सारा हिन्दुस्तान प्रेरणा लेता रहा है। जब भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बात आती थी तो हर ऐसी लड़ाई में बहादुरों को राजस्थान के इतिहास को याद करना पड़ता था, महाराणा प्रताप और दुर्गादास से स्फूर्ति लेनी पड़ती थी। कोई भी रिवोल्यूशनरी पार्टी बनती थी तो उसमें महाराणा प्रताप के इतिहास को, वीर दुर्गादास के इतिहास को पढ़ा जाता था, इन वीरों से स्फूर्ति और प्रेरणा ली जाती थी। इनकी वीर गाथाओं का नाटक आदि के रूप में बंगाल से हिन्दी में ट्रान्सलेशन होता था और उनसे सारे हिन्दुस्तान के नौजवानों में स्फूर्ति भरी जाती थी। तो यह राजस्थान था, जिसने सारे हिन्दुस्तान को स्फूर्ति दी, प्रेरणा दी, आजादी पर मर मिटने के लिये शक्ति दी। सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रान्ति की बात को लेकर जितनी भी रिवोल्यूशनरी पार्टियां उठती थीं वे महाराणा प्रताप और वीर दुर्गादास से स्फूर्ति लेती थीं। इन वीरों पर बंगाल में नाटक लिखे गये, उनसे नौजवानों के अन्दर सशस्त्र क्रान्ति का प्रचार किया गया, देश के नौजवानों ने इससे स्फूर्ति ली और सशस्त्र क्रान्ति करने के लिये उन्होंने बीड़ा उठाया। हिन्दुस्तान की आजादी के लिये जो लड़ाइयां लडी गईं उनमें स्फूर्ति राजस्थान ने दी थी। लेकिन इसके साथ ही देखते हैं कि एक दौर आया, मैं इसमें पार्टीबाजी को कोई स्थान नहीं देता, कांग्रेस का इतिहास भी गौरवपूर्ण है, बगैर खून बहाये सारे हिन्दुस्तान में एक शान्तिमय

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तरीकों से लड़ाई लड़ी गई, सारे हिन्दुस्तान में बड़े बड़े आन्दोलन राष्ट्रपिता की डिक्टेटरशिप में चलाये गये। उसका इतिहास अलग से छापा जाय तो वह एक गौरवपूर्ण इतिहास है। लेकिन मैं आज यह दिखाना चाहता हूं कि शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चलाया गया, कुर्बानियां की गईं, देश को एकत्रित किया गया और सारे देश ने कुर्बानियां कीं, सभी क्रान्तियों की वजह से, कांग्रेस की वजह से अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ कर जाना पड़ा, कांग्रेस को शासन मिला, पर कांग्रेस के शासन के बाद बराबर कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े लोगों के नाम आये, पर जिन्होंने निश्चित रूप से आजादी की बलिवेदी पर अपने आपको कुर्बान किया उनके नामों को दबाया जाय।

आज की सरकार हिंसा और अहिंसा की बात करती है, नमक सत्याग्रह हुआ तो बहिनें तिलक निकालती थीं, जलूस निकलता, माला पहिना देते, माला पहिन कर नमक बनाने निकल जाते, उसके बाद वे सत्याग्रह में शामिल हो जाते, यह लड़ाई का तरीका था। जेलों में चले जाते, जेलों में बैठ जाते, यह कुर्बानी थी, पर आप जरा अन्दाज करें उस कुर्बानी का जिस दिन होश सम्हाला, सशस्त्र क्रान्ति में कदम रखा उसी दिन कहा, गले में फांसी का फंदा होगा, उसी दिन विचार करना पड़ा कि गुलाम मुल्क में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, पर इसे गुलाम मुल्क को आजाद करने के लिये फांसी के तख्ते पर जाना मेरे हाथ में है। सशस्त्र क्रान्ति करने की प्रतिज्ञा पर साइन करने के माने अपनी मौत के लिये साइन करने थे, पर आज योजनाबद्ध तरीके से उस इतिहास को दबाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चर्खा दिखाने से पाकिस्तान नहीं रुकने वाला है, इन खादी भण्डारों से चीन और पाकिस्तान रुकने वाले नहीं हैं, अहिंसा और सत्य का फोर्स लेकर सर्वोदयी चीन में चले जायेंगे, इससे चीन रुकने वाला नहीं है। आप करोड़ों रुपया लगा कर खादी भण्डार चला रहे हैं, सत्य और अहिंसा के नाम पर टैक्स लगा कर जो रुपया आप वसूल कर रहे हैं वह रुपया आप खादी भण्डारों पर खर्च कर रहे हैं, उनके नाम पर चीन और पाकिस्तान नहीं रुकने वाले हैं। वह रुकेंगे नौजवानों से, जब हम उन्हें स्फूर्ति देंगे, शहीदे आजम भगतसिंह की वीर पूजा होगी, प्रताप जिसने भूख हडताल करके अपनी जान दी, अर्जुनलाल सेठी-सारे देश का एक मात्र नेता था, मैंने बचपन में उसे देखा।

कहा जाता है ऑल इन्डिया लीडर राजस्थान ने नहीं दिया, यह भले ही सब कह सकते हैं पर उस टाइम में अर्जुनलाल सेठी, जो जयपुर के ही थे लेकिन उन्होंने अजमेर को अपनी कार्यभूमि, अपना क्षेत्र बनाया, रिवोल्यूशनरीज को बढावा दिया। वह सेठी महान् पुरुष, इतना बडा विद्वान्, अरेबिक संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी का विद्वान्, राजस्थानी का महान् कवि ऐसे महान् पुरुष की लीडरशिप राजस्थान को मिली, जो लोकमान्य तिलक के सेकिन्ड लेफ्टिनेन्ट रहे। राजस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि श्री अर्जुनलाल सेठी लोकमान्य तिलक के वर्षों तक सेकिन्ड लेफ्टिनेन्ट रहे।

(१.०० म.पू.)

आज के इतिहास के ऊपर उनकी कुर्बानियां, उनके चरणों का १३ साल तक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

····रहा है मैंने आंखमिचौनी अंग्रेजी हुकुमत से खेली। मैंने पिस्तौल की नली नली से मिलाकर सामना किया है। आज उसे जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे राजस्थान का हर बच्चा उस पर गर्व करे और प्रण करे कि यदि पाकिस्तान ने हमारी एक इंच भूमि पर भी निगाह डाली तो पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। जब वे अपने बडों की कुर्बानियों का वर्णन पढेंगे तो उसके बाद यदि पाकिस्तान ने इधर आने की कोशिश की तो उन सब की यहां कब्र कराने के लिये काफी जगह होगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इतिहास बच्चों के लिये है। आज बडे पैमाने पर पाकिस्तान से एक्सोडस हो रहा है माइनोरिटीज को निकाला जा रहा है, हमारी लडकियों को अरब भेजा जा रहा है। हमने कागजों पर प्रोटेस्ट भेज दिया, यह नहीं चलेगा। आपको हमारा क्रांतिकारी इतिहास सामने लाना होगा, उसको पाठ्य-पुस्तकों में और दूसरी चीजों में लाना होगा। जो कुर्बानियों का इतिहास है उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहां का जो इतिहास है वह आर्काइव्ज में बंद है। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वक्त को देख कर इस कुर्बानियों के इतिहास को, इस संस्कृति को और हमारी जो लीगेसी है, हमारे बच्चों में एन्थ्यूज कर दी जाय ताकि आने वाली संतान अच्छी तरह से अपने इतिहास की रक्षा करेगी और आजादी को कोई खतरा नहीं पैदा होगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : राजस्थान को अपने भूतकाल के इतिहास पर गर्व है और सारा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है कि राजस्थान का गौरवमय इतिहास किस प्रकार बना। उसके बाद में मैं यह भी कह सकता हूं कि इस देश की आजादी का जो इतिहास है और उसके अंदर राजस्थान का जो इतिहास है वह भी बहुत गौरवमय है। परन्तु जैसे मुझ से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया उस इतिहास को आज आम लोगों के समाने लाने की आवश्यकता है। मैं उसे राजस्थान के लिये ही गौरव की बात नहीं कहता हिन्दुस्तान के लिये भी गौरव की बात है।

स्वर्गीय जमनालालजी, स्वर्गीय अर्जुन लालजी सेठी आदि बहुत से महान् व्यक्ति यहां पर हुए हैं, जिनको राजस्थान ने जन्म दिया है। चाहे बीकानेर की रियासत में, चाहे उदयपुर में, चाहे अलवर में, चाहे जयपुर में जहां जहां भी लोगों ने कुर्बानी दी है, आज उनका कोई नामोनिशान नहीं है; हो सकता है कि कहीं पर कुछ उनके बारे में लिखा गया हो। परन्तु आज जो भावी पीढ़ी राजस्थान के अंदर तैयार हो रही है उसको इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी, इसकी कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि किसी प्रदेश और किसी देश का इतिहास बनाया जाय और वह महत्वपूर्ण इतिहास बनाया जाय जिस पर सारे हिन्दुस्तान को गर्व हो सके। राज्य सरकार के लिये यह भी एक सोचने की बात है कि जिस समय हमारी आजादी के संग्राम के अंदर प्रजा-परिषदों और प्रजा-मंडलों द्वारा हमारे राजस्थान में लडाई लड़ी जा रही थी, उनका किस प्रकार से उस समय की सरकारों ने अपने यहां पर रेकॉर्ड बनाया है।

Page No. 94

(श्री फुलचन्द जैन)

इतिहास बनाने का जब प्रश्न आया तब उसके अंदर किस प्रकार की बातें सरकार को मिलीं, उनके समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा इतिहास बनाया जाय या नहीं बनाया जाय। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास आपको बनाना होगा और बनाना चाहिये। अब प्रश्न रह जाता है कि उस समय के वीरों ने राजस्थान की आजादी के अंदर बहुत बड़े त्याग और कुर्बानियां की हैं उनके बारे में दो पहलू हैं। वह सब सत्य भी है या नहीं इस बात की क्या गारंटी है कि जो कुछ उन्होंने राजा-महाराजाओं ने उस समय अपने रिकॉर्ड में लिखा है वह सही लिखा है और क्या हमारे आजादी के वास्तविक इतिहास को दवाए जाने के लिये तो नहीं लिखा गया है? इन सब चीजों के विस्तार में जाकर ठीक तरह से सारी चीजों का पता लगाकर सामने रखने की आवश्यकता है और उन क्रांतिकारी वीरों की जिन्होंने इस आजादी के दौरान के अन्दर कुर्बानियां की हैं। आज बहुत गम्भीर स्थिति हमारे सामने आ रही है। उदयपुर का एक किस्सा पेश करता हूं। हाल ही में जब हम उदयपुर गए, दुर्भाग्य से वहां पर स्वर्गीय मोतीलाल तेजावत की दुःखद मृत्यु हो गई। लोगों को समझाना पड़ा कि मोतीलाल तेजावत कौन हैं, जबकि उनका एक इतिहास है। उन्होंने जो कुछ अपने जीवनकाल में इस देश के लिये त्याग व बलिदान किए, यातनाएं सहीं अगर वह इतिहास सामने लाया जाय तो न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर असर पडे बल्कि उनमें एक नई स्फूर्ति पैदा होती है। लेकिन कौन सामने लाए? अब तक वह सारा इतिहास के रूप में सामने आना चाहिए था और पाठ्य-पुस्तकों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में शामिल किए जाने का जहां तक प्रश्न है उनको पाठय-पुस्तकों में ठीक तरह से अवश्य शामिल किया जाना चाहिये जिससे कि हमारी भावी पीढ़ियों को राजस्थान के इतिहास पर गर्व हो, उन्हें उससे प्रेरणा मिलेगी। परन्तु इसके साथ ही साथ राजस्थान की आजादी के उस इतिहास को बनाने पर भी जोर देना चाहिए जिसके बनाने के अंदर सरकार की तरफ से इतनी ढिलाई हो रही है।

श्री रामकिशन (वैर): जो प्रस्ताव श्रीमती नगेन्द्र बाला की ओर से आया है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह प्रस्ताव इस ढंग का है कि मैं समझता हूं कि सरकार को इसको मानने में एक क्षण की भी देरी नहीं करनी चाहिये। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य हों, यह सभी चाहेंगे कि जिस वजह से आज हम सब लोग एक लोकतंत्र सरकार चला रहे हैं या हम जिस आजादी को भोग रहे हैं वह हमारी वजह से नहीं; बल्कि उन शहीदों के कारण हम आज ये योजनाएं चला पा रहे हैं और आजादी का आनंद ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इस ढंग का है कि सरकारी पक्ष को न सोचने की जरूरत है, न विचार करने की जरूरत है; बल्कि इस प्रस्ताव को एकदम स्वीकार कर लेना चाहिए। अब राजस्थान में किसने कुर्बानियां की, किस किस ने क्रांतिकारी जीवन बिताया, यह सब खोज और छानबीन की चीज हो सकती है। लेकिन हमारे राजस्थान में या प्रजामंडलों के द्वारा और कांग्रेस नेताओं के द्वारा अलग अलग

(श्री रामकिशन)

राज्यों में काफी लोगों ने इसमें भाग लिया है। जैसे भरतपुर के एक रमेशस्वामी, उस जैसी मिसाल राजस्थान में एक भी नहीं मिलती। इस वक्त मैं उसको नहीं उठाता हूं। अब प्रश्न उठता है कि पाठ्य-पुस्तकों में कौनसा उल्लेख होना चाहिये। आम तौर पर किताबों में उनका उल्लेख करना चाहिये जो किसी न किसी कारण से ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं हो सकती हों, जो पुराने क्रांतिकारी हैं। लेकिन इतिहास लिखने का कारण केवल घटनाएं नहीं हैं। मुझे दुख है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक इन तथ्यों का संग्रह भी नहीं किया।

आज हम देखते हैं कि सरकार की साधारण घटनाओं का प्रकाशन होता है। आज आप मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। आज हैं तीन साल बाद नहीं रहेंगे। भरतपुर गया, वहां एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, कॉपी भी मेरे पास है। वे बता रहे थे भरतपुर जिला कांग्रेस पार्टी का प्रेसीडेण्ट कौन है ? बच्चे के सामान्य ज्ञान के लिए बता रहे हों, लेकिन यदि ऐसी बातों को लेकर इतिहास के रूप में, घटनाओं के रूप में बच्चों की पुस्तकों में रखा जाय, यह तो कोई इतिहास नहीं हुआ। लेकिन जो राष्ट्रीय घटनायें हुई हैं, क्रांतिकारी जीवन की घटनाओं और उन व्यक्तियों के आदर्श को यदि बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में न रख कर छोटे बच्चों में उनके जीवन को प्रकाशित न कर, उनके ज्ञान और मनोबल को बढ़ाने की कोशिश न करें तो राज्य सरकार की इससे अधिक अकर्मण्यता और क्या हो सकती है। यह ऐसा प्रस्ताव नहीं है, जिसमें राज्य को खर्चा करने की बात हो, यह तो केवल मन बनाने का सवाल है। नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य जोर से बोल रहे थे; क्यों नहीं हो रहा है ? उसका कारण समझ लें। मौजूदा सरकार क्रांतिकारियों की सरकार नहीं है, बल्कि यथास्थितिवादियों की सरकार है। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य अपने······

(व्यवधान)

मापदण्ड से देखते हैं। मौजूदा सरकार है वह क्रांतिकारियों की सरकार नहीं है; बल्कि यथास्थितिवादियों की सरकार है। यह तो यथास्थितिवादी, समझौतावादी और अवसरवादी सरकार है। क्रांतिकारियों की तो हमेशा उपेक्षा हुई है। यह कोई नयी बात नहीं है। यूरोप का जब इतिहास लिखा गया, तो पहले की बातों को इग्नोर किया गया, चीन का जब इतिहास लिखा गया तो सनयातसेन को इग्नोर किया गया। उनके दर्द की बात नहीं है। दर्द की बात यह है कि वे अपने दल के लोगों को तैयार करें; जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राण दिये हैं, जिन्होंने दुख और कष्ट सहे हैं, मौजूदा मंत्रि-मंडल तो उस चीज के पास तक ही नहीं फटका है, उसका नजदीक उससे रिश्ता नहीं है, सम्मिलित थे ही नहीं। नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य हो सकते हैं, जिनने यह प्रस्ताव रखा है, उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, या तो उनके साथी रहे हों या उनके परिवार के लोग रहे हों। इसलिए बिना किसी झंझट में डाले हुए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पक्ष-प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है साधारण सी बात है कि यह जानकारी हमारे बच्चों में हो। इतिहास की बात है

(श्री रामकिशन)

या नहीं यह इतिहास लिखने वालों का काम है। आम तौर पर यह मान्यता है कि दो सौ, तीन सौ साल का समय निकल जाने पर ही जो वास्तविक घटनायें होती हैं उनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इसलिए इस ओर प्रयास हो। हमारे प्रदेश का ही सवाल नहीं है। सारे मुल्क में हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस प्रकार का वास्तविक इतिहास लिखा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव हाउस के सामने है मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें विस्तार से हमारे साथियों ने कहा है। मैं एक बात इतनी सी ही जोड़ना चाहूंगा और प्रस्तावकर्ता एवं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इतिहास लिखा जाय वह किसी व्यक्ति विशेष का न लिखा जाना चाहिये और मेरी राय में तो जिस युग में आन्दोलन हुआ है उस युग का संपूर्ण इतिहास होना चाहिये। उस युग के इतिहास में चमकते हुए सितारे अपने आप अपना व्यक्तित्व दर्शायेंगे। इस प्रकार के इतिहास को कॉलेजेज और युनिवर्सिटीज़ में स्थान देना चाहिए। छः महीने पहले पाठ्य-पुस्तकों में इतिहास के विषय में इंगलैण्ड में चर्चा चल रही थी कि क्या पढ़ाना चाहिये। नये इतिहास को वहां स्थान दिया गया और पुराने इतिहास को छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से फ्रांस में भी देखेंगे कि रिवोल्यूशन के बाद का इतिहास पढ़ाया जाता है और पहले का बन्द कर दिया गया है। जर्मनी में भी वही इतिहास है जो कि उसको इण्डिपेण्डेन्स मिली और जो सामाजिक और आर्थिक विकास उसने किये, वहां वह इतिहास पढ़ाया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में भी उस युग का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिये जब से हमारे देश की आजादी की लड़ाई हुई, जो म्युटिनी हुई, देश की सर्व प्रथम आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा, उससे लेकर आज तक का इतिहास हमारे पाठ्य-पुस्तकों में होना चाहिए न कि एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने देश के लिए किया। इसलिए इस प्रकार के इतिहास के बारे में रिसर्च होना चाहिये, फेलोशिप होनी चाहिये और चेयर होनी चाहिये। अब तक क्यों नहीं हुआ है मैं इस बात में पड़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय हैं उनके दिमाग में यह बात न आयी हो। जो हमारा वास्तविक आजादी की लड़ाई का इतिहास है उसको हम नहीं छोड़ सकते। यह इतिहास तीन तरह का है। एक इतिहास वह है जिसमें अंग्रेजों से हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, दूसरा राजाओं से और तीसरा जागीरदारों से। गांवों के इतिहास को ले लीजिए। माननीय उपाध्यक्षजी, यह इतना बड़ा इतिहास होगा, हमारे देश में जितने आन्दोलन हुए हैं उनकी मिसाल दुनिया के कहीं इतिहास में नहीं मिलेगी। यदि इतिहास में गलत बातें होंगी तो उससे गांव वालों को चेतना और शक्ति नहीं मिलेगी और आने वाले समय में वास्तविक परिस्थितियों का हमारा देश सामना नहीं कर सकेगा। इसलिए जो भी इतिहास लिखा जाय वह वास्तविक और तथ्यपूर्ण हो। जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां कीं, सत्याग्रह करके, जेल जाकर,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

फांसी के तख्ते पर शहीद होकर जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान किया उनका इतिहास लिखा जाना चाहिये और उसको कालेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाना चाहिये। अपने प्रस्ताव में यदि थोड़ा सा सरकार जोड़ ले और उसको स्वीकार कर ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार न करके इसको स्वीकार कर ले और इसको विस्तृत रूप दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मार्नासह महार।

श्री मार्नासह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो श्री मती नगेन्द्रबाला ने प्रस्ताव रखा है वह तो सर्वमान्य सी चीज है, उसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती कि इतिहास किसका लिखा जाय और किसका नहीं लिखा जाय। मगर सवाल यह है कि आज १५-१६ वर्ष हो गये कांग्रेस को सरकार को बैठे और वह अपने ही साथियों का इतिहास नहीं लिखा सकती तो आप क्या सोचेंगे, मैं समझता हूं जो क्रांतिकारी थे और यह सरकार बनी १९५२ में जब से इन कुर्सियों पर बैठी रही हैं इन्होंने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब यह तो व्यर्थ सा सुझाव है कि लिखा जाय। यहां तो पाकिस्तानी पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं। राजस्थान वीरों का देश है, कई वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में नहीं लिखा जाता। यह इस सरकार की क्षमता के बाहर की बात है कि इसको एक चेतावनी दी जाय। ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष आता है और केवल एक उप-मंत्री ही बैठे हैं, अभी कोई मतलब की बात आ जाती, फाइनेन्स का बिल आ जाता, केबिनेट के हटने की बात आती तो यहां सारे बैठे हुए मिलते। लेकिन जब शहीदों का प्रस्ताव आता है तो वे ही विचार कर सकते हैं जिनके क्रांतिकारी विचार हैं।

अभी समाजवादी मित्र ने बात कही तो उधर के लोगों को बड़ा दुख हुआ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : किसको दुःख हुआ ? हमने तो समर्थन किया है।

श्री मार्नासह महार : आप लोगों को दुःख हुआ आपने उनको इण्टरप्ट किया। आप इस तरह की गलत बात सदन में मत कहिये।

तो यह बात है, मैं निवेदन कर रहा था आप कहीं शहीदों की बातें लिखने के अन्दर यह बात कहीं नहीं कर जायं १९५२ से लेकर यह सरकार ६७ तक चलेगी जितने मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर हुए हैं इस इतिहास में जोड़ दें।

श्री फूलचन्द जैन : उनका इतिहास तो आगे लिखा जायगा।

श्री मार्नासह महार : किस प्रकार आपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा लम्बे लम्बे फोटोज छपवाये हैं। क्या उस प्रकार का आप इतिहास लिखना चाहते हैं। आप इस इतिहास में १९४२ से ४६ तक १९३८ से ४२ तक के शहीदों के अलावा भी इतिहास लिखा जायगा......

एक माननीय सदस्य : क्या आप जिन्दों को ही शहीद बना देंगे ?

Page No. 98

श्री मानसिंह महार : इस प्रकार शुबहा होता है कहीं इस प्रकार का तो इतिहास नहीं लिखा जायगा । आज कहते हुए दुःख होताहै है कि जयनारायणजी व्यास भी मुख्य मंत्री रहे थे उनका इतिहास जरूर आयगा । इसके अलावा ऐसे नाम भी आ सकते हैं जो नवयुवक हैं उनमें फूलचन्दजी का नाम भी आ सकता है जिनका जन्म भी शायद व्यासजी के समय नहीं हुआ था····

श्री फूलचन्द जैन : जिस समय मैं जेल गया उस समय तो आपका पता ही नहीं था ।

श्री मानसिंह महार : जेल गये होंगे, इसकी मुझे खुशी है । आपको प्रमोशन नहीं मिला, आप कुर्सियों पर नहीं बैठे, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है....

एक माननीय सदस्य : इस प्रस्ताव का जो महत्व है उसको देखते हुए ही बोलें ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है लेकिन जब शहीदों का इतिहास लिखा जाय तो उसमें किसी पार्टी विशेष के लोगों को ही नहीं लिया जाय । जो लोग पूज्य बापू के नाम पर जनता को भुलावे में डाल कर अपनी कुर्सियों पर ही बने रहना चाहते हैं इस प्रकार के शहीदों को यदि रखने का है तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ से जो विचारधारा आयी है उसमें जो दूसरी प्रकार के विचार हैं वे भी हम जरूर रखेंगे । माननीय सदस्य क्यों चमकते हैं । जहां शहीदों की बात कही जाती है तो हमें वहां सोचना होगा शहीद कैसे हुए और किनको इसमें लिया जाय । जिन्होंने यह प्रस्ताव मव किया है जिनके बारे में कल्पना करते हैं जिन्होंने बहुत त्याग किया बलिदान किया ऐसे शहीदों के बारे में इतिहास लिखा जाय तो उसमें दो राय नहीं हो सकती । इतिहास के अन्दर उन लोगों को शहीद न मान लिया जाय जिनके नाम तक लोगों को पता नहीं है । जैसे अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य भरतपुर के किसी शहीद के बारे में कह रहे थे लेकिन कई सदस्य उनका नाम तक नहीं जान सके । तो ऐसे शहीद जिनका नाम तक जनता नहीं जानती उनको शहीद बना कर अपना उल्लू जो सीधा करना चाहें वह नहीं होना चाहिये । शहीद वही गिने जाते हैं जिनकी गाथायें जनता गाती हैं, जनता की जुबान पर जिनकी गाथायें रहती हैं । शहीदों का इतिहास किसी सरकार के लिखवाने से नहीं लिखा जाता । वह तो जनता के हृदय पर छाया रहता है । शहीद जो वास्तव में होते हैं उनकी गाथायें, उनके त्याग जनता की जुबान पर रहते हैं ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिहनगर) : आप क्या राजा मानसिंह और अकबर की गाथायें लिखवाना चाहते हैं ।

श्री **राधा [illegible]रण गोयल** (टोंक) : आप तो चाऊ एन लाई की गाथायें गाते हैं ।

श्री **मानसिंह महार** : स्टालिन की जो पूजा करते हैं उसके चले जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं वे उसकी मूर्ति ही उठा कर फेंक दें, एक कोने में उसे डाल दें, ऐसा हमारे यहां नहीं होने वाला है । यह भारतवर्ष है कितना ही सरकार चाहें पुराने जो शहीद हुए हैं उनका नाम तो लिया ही जायगा । महाराणा प्रताप, महाराजा जयसिंह···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महाराजा डूंगरपुर, जिन्होंने भील का गला काट कर लटकाया।

श्री मानसिंह महार : इतिहास जो लिखा जायगा वह दो रूप में लिखा जायगा.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्यों नहीं कहते महारावल डूंगरपुर का भी लिखा जायगा जिनके यहां भील का गला काट कर लटकाया जाता था; कहिये अपने मुंह से.......

श्री मानसिंह महार : आप क्यों फुदक रहे हैं, आप यहां के इतिहास को क्या जान सकते हैं ? आप न तो राजस्थानी हैं और न राजस्थान में पैदा हुए हैं; न जाने किधर से आकर यहां बस गये। आप तो नोमेड्स हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६६ हजार लोगों द्वारा चुन कर आया हूं, क्या वे भी नोमेड्स हैं ?

श्री मानसिंह महार : आपकी तरह चिल्लाता नहीं, चिल्ला कर कहना नहीं चाहता। जब से आप जयपुर में रहते थे तब से मैं आपको जानता हूं मेरे साथ पढ़े हुए हैं किसी जमाने में, मैं वे बातें कहना नहीं चाहता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार (जारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है इसलिये मुझे जवाब देना पड़ता है।

श्री फूलचन्द जैन : पॉइण्ट आफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, इनको बारबार समय दिया जा रहा है जब कि दूसरों को पांच मिनिट से अधिक नहीं दिया गया, यह डिस्क्रीमिनेटरी बर्ताव नहीं होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : सदन के समक्ष जो बातें हो रही हैं उसी पर मैं कह रहा हूं। मैं समय से बाहर नहीं जा रहा हूं आप घबरायें नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा हैं।

श्री मानसिंह महार : समय तो रोज बढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि जब इधर से समय बढ़ाने के लिये कहा जाता है उसको नहीं किया जाता। जो भी उपालम्भ दिये जाते हैं वह हमें ही दिये जाते ह। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शहीदों की गाथायें लिखने का सवाल है उसमें सब पक्ष आयेंगे। यह हमारा भारतवर्ष है, यहां डेमोक्रेसी है, उसमें सभी तरह के पहलू आयेंगे। यह हो नहीं सकता कि स्टालिन जिन्दा रहा तो उसकी गाथायें गाई गई उनकी जगह जब ख्रुश्चेव आये तो उनका नामो निशान खत्म कर दिया इस प्रकार का भारतवर्ष के अन्दर नहीं हो सकता। इस मसले को इतिहास लिखने के बारे में सरकार को सोच विचारना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिये जितना जल्दी हो इस बारे में जल्दी हो इस चीज को करना चाहिये। यहीं मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि समय समाप्त हो रहा है क्या सदन की यह राय है कि समय बीस मिनिट के लिये और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बीस मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के क्रा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कारियों और देश को आजाद कराने वालों के इतिहास को बनाने के लिये जो प्रस्ताव आया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

राजस्थान के क्रान्तिकारियों का अपना एक अनूठा स्थान है। दुहरी और तिहरी गुलामी के नीचे जिस प्रकार से राजस्थान दबा था, वह उसकी सारे भारतवर्ष में अपनी विशेष स्थिति थी। एक ओर तो लोगों को यहां अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ना पड़ा, और दूसरी ओर रजवाड़ाशाही के भयंकर जुल्मों की चक्की में पिसना पड़ा और उसके खिलाफ़ भयंकर संघर्ष करना पड़ा।

अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि किस प्रकार यहां इन क्रान्तिकारियों को इन राजाशाही और जागीरी निजाम के विरुद्ध जनता के हितों के लिये दिन रात संघर्ष करना पड़ था। औरों की बात छोड़िये।

मैं डूंगरपुर के ही इलाक़े को लूं। आदिवासियों ने जिस प्रकार का भीषण संघर्ष वहां की राजाशाही के खिलाफ किया वह एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक संघर्ष था। आज हम महाराणा प्रताप की पुण्य धरती पर जीने की बात करते हैं, वहां काली बाई और नाना भाई की भी यही पुण्य धरती है तो उन दर्शनों की भी बात करनी चाहिये हमें।

किसी माननीय सदस्य के वह दिन याद-दाश्ती में होता और उन वीर शहीदों की बात सुनी होती और जानी होती तो उन्हें पता लगता कि हमारे वीर क्रान्तिकारियों ने मरी आजादी के लिये अपना खून किस तरह से बहाया है और किस बहादुरी से इन बर्बर शासकों का मुक़ाबला किया है। मैं बताऊं जब नाना भाई को शासकों ने ट्रक के पीछे बान्धकर घसीटा और जब उस आदिवासी इलाक़े की सिहनी कालीबाई एक आदर्श भील रमणी से जब यह बर्दाश्त नहीं किया गया तो एक तेज चाकू लेकर रस्सी को काटा जिस रस्सी से बन्धकर नाना भाई घसीटा जा रहा था और फिर किस तरह से इन बर्बर शासकों ने उनको शहीद बनाया जब इन क्रान्तिकारियों की इन बातों को हम स्मरण करते हैं तो मालूम पड़ता है किस तरह से वे लोग इनसे जूझते थे। किस तरह से ये नृशंस शासक इन के सिरों को काटकर इन भीलों के सिर काट कर लटकाते थे।

अपने रामसिह नाम के व्यक्ति को तीर लग गया तो केवल उसके ज़ख्म को देखकर भीलों के सिर ये काट लेते थे और उनको टांग देते थे। आज वे ही लोग इन कुर्सियों पर यहां पर भी आकर बैठ गये हैं। अगर क्रान्ति का इनका खून भरा इतिहास लिखा जावे तो साथ साथ यह भी विचार किया जावे कि आज इसका क्या परिणाम हो रह है।

जहां डूंगरपुर से लेकर एक तरफ़ गुजरात की सीमा से लगे इलाकों में काली-बाई और नाना भाई सरीखे क्रान्तिकारियों ने अपनी क़ुर्बानी दी है तो उधर पंजाब की सीमा से लगे इलाक़े में चमार बीरबल जैसे क्रान्तिकारी भी शहीद बनकर अपने को अमर कर गये हैं।

पर आज इतनी बडी क़ुरबानी के बाद आदिवासियों की इतनी क़ुर्बानी के बाद, ग़रीब हरिजनों की क़ुर्बानी के बाद ग़रीब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मजदूर और किसानों की क़ुर्बानी के बाद मध्यम वर्ग के जगमगाते सितारों के अस्त होने के बाद, इस बर्बर राजाशाही और जागीरदार शाही के तख्तों पर इतने शहीदों के द्वारा अपना खून चढ़ाने के बाद, तेजसिंह बारहट जैसे शहीदों के बाद बाबा नरसिंह दास जैसे क्रान्तिकारियों की कुर्बानियों के बाद, विजयसिंह पथिक की बात करें और दूसरे क्रान्तिकारियों की बात करें क्रान्तिकारियों के सरताज अर्जुनलाल सेठी की बात करें अगर स्वामी कुमारानन्द की बात करें, माणिक लाल वर्मा के कामों को देखें और हजारों हरिजन और दबे वर्ग की कुर्बानियों को देखें भील मेघवाल और नायकों को क्या मिला है, इतनी क़ुर्बानियों के बाद भी इस धरती के ग़रीब लालों को क्या मिला है और उन्हीं अत्याचारियों की परम्परा के लोग आज चुनकर यहां आये और सदन में बैठे हैं इसका क्या कारण है ?

तो इन क्रान्तिकारियों का इतिहास जहां लिखा जावे तो इसे निकलने वाले सबक़ भी लिखे जावें इनके कारण भी लिखे जावें, उसके परिणाम जो आज निकल रहे हैं वे भी लिखे जावें कि इस सरकार की इन किसान मजदूर विरोधी नीतियों के कारण आज ये लोग हैं जो फिर चुन चुन कर यहां आ रहे हैं। आज भी इनको बड़े बड़े भू-खंड दिये हुए हैं, महल दिये हैं ।

आज आप उसी डूंगरपुर में चले जाइये। ये राजे-महाराजे आज भी उसी मजे में मिलेंगे, पर उन आदिवासियों की जिन्दगी देखिये। उन में आज भी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वे वैसे ही ग़रीब हैं। आज भी वे चिथड़ों में लिपटे मिलेंगे आपको सैंकड़ों ग़रीबी बेकारी और बीमारी के शिकार हैं, अज्ञान के शिकार हैं। आज भी भील गुलाम है उसके परिवार ग़ुलाम है। १० रुपया कोई उनको उधार देता है तो छः महीने के बाद ६००) हो जाता है। दो करोड़ रुपया कहने को सरकार ने विकास खण्ड में खर्च किया, समाज कल्याण ने लाखों करोडों खर्च किया। पर इन की गरीबी वैसी ही है । आख़िर यह पैसा किनको मिला ? इन्हीं जागीरदारों के टुकडखोरोंको । कर्जा लिया भीलों के नाम से और उस कर्जे के पेटे इस पैसे को एडजस्ट कर लिया। यह दशा है आज भी वहां के लोगों की ग़रीब आदिवासी भीलों की। आज पांच पांच दस दस हजार लोग अहमदाबाद की मिलों में अपना गुजारा करने के लिये जाते हैं। मजबूर हैं। गंगानगर में १॥ लाख की दर्खास्तें हैं इजैक्टमेन्ट के खिलाफ़ । आपने क्रान्ति की, देश ने क्रान्ति की, हमने क्रान्ति की, किसानों ने की, सबने की, पर आज उस क्रान्ति के फल से वे वंचित हैं जिन्होंने इस क्रान्ति में क़ुर्बानियां कीं। आज डूंगरपुर के चारों ओर गांवों में घूमकर आप देखिये जहां से विरोधी दल के नेता आते हैं । आज वहां के जंगलों के अपनी आजीविका कमाने के निमित्त घास काटने और मामूली लकड़ी काटने से भी मोहताज हैं वे गरीब भील आदिवासी लोग। आज तालाब है डूंगरपुर के बाहर, गायों को पानी पिलाने तक से वहां का गरीब मोहताज है आज। इनको मोहताज इन चीजों से किसने किया, क्रान्ति का फल भोगने से इनको किसने मोहताज किया? आपने । आपने इनको अपनी गोदी में बिठाया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिन्होंने क्रान्तिकारियों के सिर कुचले हैं उनको आपने अपनी छाती से आज लगाया है। सागरमल गोपा। जिसे जेल में मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जला डाला, उन जिन्दा जला देने वाले लोगों को आज आपने अपनी गोदी में बिठा लिया है, अपनी कुर्सियों पर बिठा लिया, उसके परिवार के लोगों को कुर्सियों पर बिठा लिया। लिखिये आप उनका इतिहास और उस इतिहास से निकलने वाले नतीजों को भी लिखिये और फिर सोचिये आप किधर जा रहे हैं आज।

मैंने पांच मिनिट से अधिक समय नहीं लिया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : yes, सरकारी पक्ष।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आन दी पोइन्ट आफ़ इन्फॉर्मेशन एक बात जो अर्ज करनी है इस प्रस्ताव के सिलसिले में वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जब श्रद्धेय व्यासजी चीफ़ मिनिस्टर थे तो उनके वक्त में हिस्ट्री ऑफ लिबरेशन मूवमेन्ट ऑफ़ राजस्थान नाम से एक पुस्तक लिखने के लिये एक सैल बनाया था, उसके कुछ पन्ने पढ़ने का मुझे भी मोका मिला है।

उस पर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसी तरीके से यह हिस्ट्री लिखनी है तो अलग बात है। उसमें सिवाय पोलि-टिकल Figures की कहानी के और उसे पोलिटिकल कलर देने के और बीच बीच में सत्तारूढ़ पोलिटिकल पार्टी के लोगों की फ़ोटोज़ देन के कोई बात नहीं थी। इस हिसाब से मैं नहीं सोच सकता कि आप इसका मकसद पूरा कर सकेंगे। अभी हिस्ट्री वह लिखी नहीं गई। एक शख्स लिख रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिस्ट्री उस दृष्टि से लिखी जावे। प्योरली तथ्यों के आधार पर लिखी जावे। अभी गदर पार्टी की सिलवर जुबली मनाई गई। उसमें यह तैय किया गया कि इस प्रकार के इतिहास का निर्माण किया जावे जिसमें उन वीरों की आत्मा का दर्शन मिले और आने वाली देश की सन्तति उससे प्रेरणा ले, अनुशासनबद्ध बनें, राष्ट्रीयता का व्रत लें और उन से अनुप्राणित हों।

तो इससे जो फायदा होगा, वह असीम होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, शिक्षा) : जो प्रस्ताव आज यहां प्रस्तुत हुआ है उसकी भावनाओं की सराहना किये बिना कोई नहीं रह सकता। इस प्रस्ताव में प्रेरणा है, सजगता है, और ओज और मार्ग दर्शन भी है। इस स्थिति में इसका विरोध न सरकार की तरफ से हो सकता है न माननीय सदस्यों की तरफ से ही।

इस सम्बन्ध में सदन में जिन क्रान्तिकारियों वीर आत्माओं का जिक्र किया गया और जिन्होंने हमारे इतिहास को बनाने में अभूतपूर्व योग दिया जिनकी कुरबानियां चिरस्मरणीय रहेंगी और जिनकी पुण्य स्मृति माननीय सदस्यों ने की, वह हमारे लिये, हमारे बच्चों के लिये और हमारे देश-प्रदेश की आने वाली सन्तति के लिए प्रेरणा देने वाली है।

माननीय सदस्या स्वयं एक वैसे ही क्रान्तिकारी परिवार से आई हैं जिस की क़ुरबानी राजस्थान को हमेशा चिरकाल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तक याद रहेगी। इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने कई वीर शहीदों का जिक्र किया उनके कार्यों का उल्लेख किया वे निश्चय ही अनुकरणीय और स्मरणीय है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा राजस्थान हमेशा से इस माने में एक अनूठा प्रदेश रहा है जहां के कण-कण का, चप्पे-चप्पे का इतिहास क्रान्ति और बलिदान का इतिहास रहा है और जो इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है ।

इस सदन का यह सौभाग्य है कि इन क्रान्तिकारियों की परम्परा में से कुछ वीर इसके सदस्य भी हैं जिन्होंने बहुत बड योग इस क्रान्ति को लाने में दिया है ।

स्वामी कुमारानन्दजी के नाम का उल्लेख किया गया जिनकी वीरत्व भावना का स्मरण करते हुए हमें प्रेरणा भी मिलती है और जिन के प्रति हम आज भी अपना अभिनन्दन प्रकट करते हैं। और गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इसी प्रकार एक माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले हैं जिन्होंने करीब करीब अपने जीवन के १३ साल इस क्रान्ति के युग में बिताये और जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया।

इसी तरह से कई माननीय सदस्य यहां पर हैं जिन्होंने युग पलटने में मदद दी।

इसी तरह से जब माननीय सदस्यों ने यह जिक्र किया कि राजस्थान के इन स्मरणीय क्रान्तिकारियों की जीवनियां यहां के स्कूलों पाठ्य पुस्तकों में समाविष्ट की जावें तो इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें प्रश्न सिर्फ एक ही उठता है और वह भी ऐसा नहीं है कि जिसमें विवाद हो। उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग मिल सके तो मेरा विश्वास है उसमें सहूलियत पैदा हो सकती है।

साथ ही यह खोज का विषय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कब कब कहां कहां कितने क्रान्तिकारी पैदा हुए जिन्होंने इस प्रदेश के और देश के अन्धकार से भरे इतिहास को बदलने में बडा योग दिया और किस किस आधार पर उन्होंने योग दिया यह खोज और परीक्षण का विषय है।

जैसे माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त कि दूसरे खास राजनीति में हैं उनका नाम आजाये। यह बात ठीक है कि जो इतिहास डाक्टर खड़गावत द्वारा लिखी गयी है माननीय सदस्यों का सकेत शायद उस हिस्ट्री से है जिसका नाम "हूज हू" है। माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि वह उससे कई ऊंची भावनायें रखने वाला है कि ऐसे वीरों की जीवनी इस संकलन आये । वह बनने वाला इतिहास कन्ट्रोवर्सी से परे हो और वर्तमान और आने वाली पुश्त को कन्ट्रोवर्सी से परे मार्गदर्शन देने वाला है। इसलिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरा विश्वास है कि जिस भावना से माननीय सदस्या ने संकल्प प्रस्तुत किया है और जो भावना माननीय सदस्या ने इसमें प्रदर्शित की है उसी भावना के आधार पर यदि कोई क्रम लाया जा सकता है तो वह लाया जायेगा····

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) अब तक क्या करते रहे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप भी सोते रहे हैं, अब तक। आपने क्या किया ? कोई सुझाव दिया ? आप इसी पार्टी से हैं आपने कोई सुझाव दिया ? आप तो बस एकदम डिस्लोकेट होकर चले जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था····

श्री दलपत सिंह (आबू) : ३ साल पहले प्रश्न भी आ चुका है, इस सम्बन्ध में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अभी तो क्लियर कट कमिटमेन्ट दे दें। इसका क्या मतलब कि क्रम लाया जा सकता है तो लाया जायेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं उस प्रश्न पर आ रहा हूं। कभी कभी उधर से माननीय सदस्य बोलते हैं तो हमें थोड़ा जमना पड़ता है और ज़िम्मेदारी से समझना पड़ता है। इसलिये पार्लियामेन्टरी डैमोक्रेसी में आप कभी बोलते हैं मे उसको समझ नहीं पाता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पाठ्य क्रम में इस विषय को लिया जाये। हमारी संतति क्रान्तिकारियों के जीवन से प्रेरणा ले इस भावना से हम स्वयं सहमत है और अगर कोई भविष्य के इतिहास को बनाता है। तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जहां तक पाठ्यक्रम में रखने का प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक हायर सैकेन्डरी बोर्ड है जो किसी क़ानून के अन्तर्गत चलता है। दूसरे नेशनेलाइजेशन आफ़ टैक्स्ट बुक्स एक डिपार्टमेन्ट है और वह राज्य सरकार के अन्तर्गत है। इस प्रकार की जीवनियां नेशनेलाइज़ेशन आफ़ टैक्स्ट बुक्स विभाग के पाठ्यक्रम में सन्निहित की जायें और उधर बोर्ड के पाठ्यक्रम में उनको जोड़ा जाये और इन दोनों का समन्वय कोआॅर्डीनेशन के आधार पर नेशनेलाइज़ेशन ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स के डिपार्टमेन्ट और हायर सैकेन्डरी बोर्ड के उस विभाग का आपस में समन्वय हो, यह एक कुछ नीति का प्रश्न है। सुझाव देने का इसमें आधार है लेकिन मैं माननीय सदस्या को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि राज्य की यह नीति है कि ऐसे क्रान्तिकारियों जिनका इतिहास बनाने में बड़ा योग रहा है उनकी जीवनियों को पाठ्यक्रम में किसी न किसी तरह से लगाया जाये। मैं जहां तक हायर सैकेन्डरी बोर्ड का प्रश्न है चूंकि उसका संचालन किसी क़ानून के अन्तर्गत होता है इसलिये राज्य सरकार इन सारी भावनाओं को और अपने सुझावों को हायर सैकेन्डरी बोर्ड के चेयरमैन को देगी और वक्त ब वक्त उनको इन सुझाव को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर भी बार बार सुझाव देते रहेंगे। यह तो हायर सेकेन्डरी बोर्ड के प्रश्न पर है मैं ने कहा जहां तक नेशनलाइज़ेशन ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स का प्रश्न है मैं यह समझता हूं कि यदि ऐसे क्रान्तिकारियों की जीवनियों को लेंग्वेज बुक्स में किया जा सके तो माननीय सदस्या की भावना की पूर्ति हो सकती है, मेरा यह सुझाव है कि लेंग्वेज बुक्स में अगर हमने ४ ऐसी जीवनियां इस साल दी और उसके आधार पर ही को-ऑर्डिनेशन लाने के लिए दूसरे क्रान्ति कारियों की जीवनियां जिससे कि प्रेरणा मिल सकती है कि उनको हायर सेकेन्डरी बोर्ड में उनकी लेंग्वेज बुक्स में या दूसरे क्रम में देने का सुझाव हम हायर सेकन्डरी बोर्डको दें, ऐसी हमारी मान्यता है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नेशनलाइज़ेशन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स का सवाल है हम यह विश्वास करते हैं कि यह किताबें रि-प्रिन्ट होने के वक्त हम ऐसी जीवनियों को उसमें सन्निहित करें और माननीय सदस्या ने जो भावना प्रदर्शित की ह उसके कन्टेक्स्ट में हम बोर्ड को भी सुझाव दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस प्रस्ताव ने राजस्थान के पाठ्यक्रम में एक सजगता इस दिशा की ओर देने का एक क्रम दिया है और मैं इसको किसी स्थिति में हो इस प्रस्ताव के आने के बाद हायर सेकन्डरी बोर्ड की नीति में मोड लाने का सुझाव दूंगा और जहां तक नेशनेलाइजेशन ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स का सम्बन्ध है मैंने जो सुझाव रखा है वह इस दौर की ओर बढ़ने का प्रथम प्रयास हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय स्वयं मुख्य मन्त्री महोदय इस प्रश्न पर बड़े सजग रहे हैं। उन्होंने कई मर्तबा इस प्रश्न पर विचार भी किया है और यहां पर भी नेशनेलाइज़ेशन ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स को इस ओर कई बार संकेत किया है। इसलिये मैं विश्वास रखता हूं कि ये मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको और विशद् रूप से उन पर विचार-विमर्श करने का मौक़ा देने के लिए और किस तरह से नेशनेलाइज़ेशन ऑफ़ टैक्स्ट बुक्स के केरीकुलम में समन्वय बैठाया जाये इस ओर जब सरकार की नीति स्पष्ट है तो माननीय सदस्या इस विश्वास के आधार पर अपना प्रस्ताव वापिस लेंगी इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला

आप काफी ब्रीफ रहें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मैं अपनी बात समाप्त करूं सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जो प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उसका हृदय से स्वागत किया और उसे केवल उचित ही नहीं समझा बल्कि आवश्यक समझा कि अब अधिक देरी इस काम में नहीं होनी चाहिये कि राजस्थान प्रान्त के क्रान्तिकारियों की ओर शहीदों की जीवनियां हमारे सामने आयें, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित इस प्रस्ताव के पीछे मेरी यह भावना है कि जल्दी से जल्दी हम इसलिए इस इतिहास को वापिस चाहते हैं और इसकी पुनरावृत्ति की इसलिये जनता मांग करती है कि आने वाली पीढ़ियां ही नहीं बल्कि हम स्वयं भी उससे प्रेरणा लें और यह आज भारतवर्ष की आज़ादी के लिए आवश्यकता है जैसा क़ि हम देख रहे हैं कि आज एक तरफ़ तो चीन की आंखें हमारे भारतवर्ष पर गढ़ी हैं और दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की। इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं और निश्चित इसी वातावरण को लेकर मेरे दिमाग में यह भावना पैदा हुई और हो सकता है यह दिन दूर नहीं कि जब हमें कुर्सी छोड़ कर सदन छोड़ कर और दुनियां के सारे सुख और वैभव

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

छोड़ कर फिर अपने सिरों को हथेली पर रखने की नौबत आये। यह तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियां तो करेंगी ही। लेकिन यह इतिहास नही दोहराया गया तो निश्चित जिस तरह से हम भूलते जा रहे हैं कि राजस्थान के किन वीरों ने आहुतियां दीं तो हो सकता है हमारे अन्दर भावना ही पैदा न हो। जहां तक त्याग और तपस्या का प्रश्न आता है इस बात को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगना चाहिये कि हमें क्या करना है। इस तरह का फैसला करने में राजस्थान प्रान्त से आगे बढ़कर दूसरा प्रान्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा। इसलिये हमारी वीरता को जिन्दा रखने के लिए, हमारी कुर्बानियों को अमर रखने के लिए हम चाहते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं। यह ठीक है उन्होंने कहा है कि मैं इस प्रस्ताव को वापिस ले लूं क्योंकि सरकार स्वयं सजग है। मुझे खुशी है ····

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a point of order Sir ?

मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा सरकार ने कहा है। मेरे खयाल से यह प्रस्ताव पास होना चाहिये। वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला:– उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : Reply to this point only

श्रीमती नगेन्द्रबाला :–मैं आ रही हूं उस प्रश्न पर, आप चिन्ता मत कीजिए। राजस्थान सरकार ने जो सुझाव दिया है तो मैं कहती हूं कि उनकी यह भावना इसके साथ रहेगी जैसा कि वे करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृत अवश्य करेंगे। इसमें कोई बन्दिश नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में उन्हें एक क्षण भर की भी देर नहीं करनी चाहिए। सारा सदन इसके साथ है और यह प्रस्ताव आवश्यक है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि ····

(सदन में चारों ओर से 'नो–नो' की आवाजें)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीया श्रीमती नगेन्द्रबाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ

सदन की बैठक कल प्रातः काल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बजकर ५१ मिनिट पर शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ३ अप्रेल, १९६४)

राजस्थान पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ (२) के अन्तर्गत, श्री भीखाभाई, मन्त्री पंचायत विभाग, ने निम्नांकित नियम सदन की मेज पर रखा :—

(१) राजस्थान पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् (ग्रान्ट आफ़ कॉपीज़ आफ़ रेकार्ड्स) नियम, १९६३

Page No. 108

स्कम्भ

(२) राजस्थान पंचायत समिति (यूज़ ऑफ़ व्हीकल्स) नियम, १९६३।

३. गैर सरकारी सदस्य कार्य

अशासकीय संकल्प

श्री रामानन्द अग्रवाल, एवं श्री उमरावसिंह ढाबरिया, सदस्य, विधान सभा ने क्रमशः निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

(१) "इस सदन की राय में इस बढ़ती हुई मंहगाई में मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रत्येक मजदूर एवं कर्मचारी को चाहे वह निजी क्षेत्र में कार्य करता हो और चाहे राजकीय क्षेत्र में, वर्तमान वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता आवश्यकीय रूप से मिलना चाहिये जो कि वेतन के उस अनुपात में हो जो कि १९५५-५६ के मंहगाई सूचक अंक और वर्तमान मंहगाई सूचक अंक में अनुपात है। तथा भविष्य में जितना यह मंहगाई सूचक अंक बढ़े उसी अनुपात में मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जावे।" ६९

(२) "राज्य सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस सदन की यह मान्यता

स्कम्भ

है कि जिन कर्मचारियों को २५०) रु० तक प्रति माह वेतन मिलता है उनके वेतन में १ अप्रेल, १९६४ से १० रु० प्रति माह की बढ़ोत्तरी की जावे।" ८५

श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर श्री केदारनाथ, श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा एवं श्री मुरलीधर व्यास ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

उपरोक्त संकल्पों पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री भीखाभाई, श्रम मन्त्री, एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने दिया।

तत्पश्चात् दोनों संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किये गये।

(३) श्रीमती नगेन्द्रबाला, सदस्या, विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की राय है कि स्वतन्त्रता संग्राम में आहूति देने वाले राजस्थानी वीर क्रान्तिकारियों की जीवन गाथाओं का संकलन कराया जावे और उन्हें प्रकाशित कराया जाकर अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों में रक्खा जावे।" १७३

उपरोक्त संकल्प पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से उप-शिक्षा मन्त्री, श्री निरन्जननाथ आचार्य, ने दिया।

संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

Page No. 109

शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४ की कार्य सूची गैर-सरकारी विधायी कार्य

(१) राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रस्तुति एवं वापस लेना)

(२) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापन)

(३) राजस्थान दकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(प्रस्तुति एवं वापिस लेना)

(४) राजस्थान प्रसूति-लाभ (संशोधन) विधेयक, १९६३

(प्रस्तुति एवं वापिस लेना)

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिये)

Details of the bills claimed for doing the job on Dodge vehicles for I. G. Police, Rajasthan, Jaipur.

Bill No. 1	Vehicle No. 2	"C.&M." oil 3	Break oil 4	Petrol 5	Ele. parts 6	Other parts 7	Labour 8	Total 9
1900	BMB 690	4	3	..	..	1.07	10.00	18.07
1904	,, 519	6	3	3.70	2.14	..	..	14.84
1905	,, 933	2	2	..	..	..	..	4.00
1906	,, 520	6	3	3.70	..	..	..	12.70
{1907} {1931}	,, 523	2	11	2.22	20.38	1.07	..	36.67
1909	,, 799	6	2	..	..	2.14	..	10.14
1911	,, 803	6	2	..	..	4.15	..	12.15
1913	,, 800	6	2	..	..	2.68	10.00	20.68
1915	,, 931	4	2	..	..	..	..	6.00
1917	,, 687	6	2	3.70	3.47	2.68	10.00	27.85
1918	,, 525	6	2	3.70	3.47	4.61	10.00	29.78
1920	,, 738	4	9	3.70	21.31	3.54	10.00	51.55
1924	,, 802	4	3	..	1.86	3.75	..	12.61
1925	,, 931	..	..	..	..	4.28	..	4.28
1927	,, 688	8	3	3.70	17.84	..	..	32.54
1928	,, 522	4	2	3.70	7.50	1.62	..	18.82
1930	,, 803	10	3	3.70	..	3.21	..	19.91
1937	,, 937	4	2	3.70	4.81	9.42	..	23.93
1932	,, 525	..	..	3.70	..	..	..	3.70
1935	,, 934	..	2	..	2.54	5.21	..	9.75
1938	,, 741	..	..	3.70	12.83	3.21	10.00	29.74
1939	,, 519	..	..	..	..	..	2.00	2.00
1941	,, 932	2	3	..	..	..	..	5.00
1942	,, 738	8	..	3.70	0.93	10.03	..	22.66
1943	,, 736	4	3	..	21.31	14.14	10.00	52.45
1946	,, 801	6	2	3.70	247.92	3.71	5.00	268.33
1948	,, 802	6	3	..	7.49	4.29	10.00	30.78
1950	,, 742	10	3	3.70	6.68	8.02	..	31.40
1951	,, 737	10	..	3.70	1.86	1.61	..	17.17
1957	,, 939	6	..	3.70	1.86	1.61	..	17.17
1960	,, 740	2	3	..	3.07	3.21	..	11.28
1968	,, 524	6	3	8.14	5.86	10.36	..	33.36
TOTAL	.....	148.00	78.00	69.56	416.88	113.90	92.00	918.34

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९	६	प्रश्नोंत्तर	प्रश्नोत्तर
११	१०	पाननीय	माननीय
,,	११	जतनी	जितनी
१२	१२	सुखाडिया	सुखाडिया
१७	१०	आवार्य	आचार्य
१६	,,	,,	,,
२०	६	श्री जैठामल	श्री जेठमल
२३	अन्तिम से ४	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुट बिहारीलाल
३३	,, ,, ५	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
३५	१६	श्री दौल सा	श्री दौलतराम सारण
३७	३	श्री मफूसिंह	श्री मनफूलसिंह
,,	११	श्री दौतारम	श्री दौलतराम सारण
,,	१५ से २३	Bund for....village	Bund (1) for Suratgarh town (2) Strengthening of Karniji distributory (4) Protection Bund of Sri Ramsir village (5) Protection Bund of Talwara Kalan village (6) Protection Bund for Barekeni village (7) Protection Bund for Theri Amarpura village (8) Protection Bund for Rampura village
३७	अन्तिम से ४	दौल म सरण	श्री दौलतराम सारण
,,	,, ,, ४	श्री मनफलसह	श्री मनफूलसिंह
३८	११	श्री मा ल	श्री मनफूलसिंह

१	२	३	४
३८	२२	श्री म प्र ाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
४१	८	श्री अयध्क्ष	श्री अध्यक्ष
४३	शीर्ष	(श्री गि व ध्य)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)
,,	३	श्री अ क्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से ३	ख यं	खाद्य एवं
४४	,, से २	श्री रमन अ	श्री रामानन्द अग्रवाल
४५	५	श्री नायूर ि ि ा	श्री नायूराम मिर्धा
,,	१५	श्री भी न	श्री भीमसेन
,,	१८	सरकर	सरकार
४६	५	उ मंत्रो, अकाल सहायता	उप-मंत्री, अकाल सहायता
		(श्रीमतीं	(श्रीमती
,,	अन्तिम से ६	बाढ़दर।	बाढ़दार।
,,	,, ,, ७	श्री भमसेन	श्री भीमसेन।
,,	,, ,, ६	घस का सर ारी	घास का सरकारी
,,	,, ,, ५	श्री भ सेन।	श्री भीमसेन।
		(लूणकर सर)	(लूणकरणसर
५०	१०	श्री परसरम	श्री परसराम
५१	१	वह ि सान	वह किसान
५३	शीर्ष	(गिरधारीलाल	(श्री गिरधारीलाल
,,	अन्तिम से ६	सुखाडिया	श्री सुखाडिया
६७	प्रथम	र्स ति	समिति
,,	१३	सदन म	सदन में
७०	अन्तिम	को स्पप्ट	को स्पष्ट
७१	अन्तिम से ६	पसेट की	पर्सेन्ट की,
,,	,, ,, ६	ह है	हुई है
,,	,, ,, ३	इ स्ट्रियल	इन्डस्ट्रियल
,,	अन्तिम	होदय,....भयकर	महोदय....भयंकर
७४	१४	और वे.......में	और वे राष्ट्र के प्लानिंग में
८७	शीर्ष	(श्री उमरवसिह	(श्री उमरावसिंह
११५	,,	(श्री योगेन्द्रनाथहाडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	प्रथम	के ल जन	के लिये जिन
,,	अन्तिम से १०	मिक्सड	मिक्स्ड

१	२	३	४
११५	अन्तिम से ५	आकड़ें	आकड़े
,,	,, ,, ६	तक दुसरी	तक, दूसरी
११६	२	प्रडक्शन	प्रोडक्शन
,,	३ व ४	इंम्फ्लेमेटरी	इन्फ्लेमेटरी
११८	८	माटिंग हुई	मीटिंग हुई
,,	१८	एस्योर	एश्योर
,,	२०	अन्दर	अन्दर,
१२७	शीर्ष	(श्री मरलीधर	(श्री मुरलीधर
१२६	१६	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
१३१	शीर्ष	(श्री मुरलीधर	(श्री मुरलीधर
१४१	शीर्षक	बढ़ान	बढ़ाने,
,,	२	श्री भीखाभई	श्री भीखाभाई
१४७	२२	श्री भीखाबाई	श्री भीखाभाई
१४८	शीर्षक	सकल्प	संकल्प
१५६	शीर्षक	काल)	कौल)
१६०	,,	अप्रेल,- ६४	अप्रेल, ६४–
१७६	,,	आहूति	आहुति
से २०२	,,		
१८०	,,	गाथांएं	गाथाएं
१८४	,,	गाथाए	गाथाएं
१८७	शीर्ष	(श्री फुलचंद	(श्री फूलचन्द
१६०	शीर्षक	ने वालों	देने वालों
२१७	१-२	कार्य सूची गैर–सरकारी विधामी कार्य	कार्य-सूची गैर–सरकारी विधायी-कार्य

*विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।